खण्ड-253, अंक-3
बुधवार, 21 माघ, शक संवत् 1886
(10 फरवरी, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१८१–१८५
प्रश्नोत्तर	१८५–२४३
विविध विषय (जारी)	२४३–२४४
श्री राज्यपाल के भाषण की अंग्रेजी प्रति छपने पर आपत्ति	२४४
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	२४४–२४५
सरकार द्वारा बालिकाओं की दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा किये जाने के उपरान्त भी शिक्षा संस्थाओं द्वारा शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२४५
अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा	२४६
विविध विषय	२४६
२५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२४६–२४८
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापित किया गया) ..	२४८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	२४८–२९५
नत्थियां	२९६–३१९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जो० दत्त, श्री
ए० सी ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीश शरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारख डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्भ्रेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
न दैवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारा णसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री

नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पन्नालाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैद्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह , श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम , डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री ।

नोट---वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० फरवरी, १९६५

श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ४८ के उत्तर में संशोधन

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्याणचन्द मोहिले ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में किन जिलों में कितना धन सेल्स टैक्स का बकाया है ? उस समय जो उत्तर दिया गया था वह इस प्रकार था कि १ अप्रैल, १९६३ को बिक्री-कर की देय धनराशि १,०७१.१५ लाख रुपया व्यापारियों पर अवशेष थी जिसका मण्डल-क्रम से विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

संशोधित उत्तर इस प्रकार है :

१ अप्रैल, १९६३ को बिक्री-कर की देय धनराशि १,०८१.१५ लाख रुपया व्यापारियों पर अवशेष थी जिसका मण्डल -क्रम से विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ २९६-२९९ पर ।)

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो बकाया धनराशि दिखायी गयी है उसके कोर्ट द्वारा रोकी गयी धनराशि के अलावा बची हुई धनराशि की वसूली करने के लिये सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

वसूली करने में और तेजी हो इसके लिये माल विभाग को कुछ और अधिकार दिये गये हैं। वसूली की अब पूरी जिम्मेदारी बोर्ड आफ़ रेवेन्यू पर है और उन को यह सुविधा भी दे दी गयी है कि अगर वसूली के लिये कुछ और कर्मचारियों की जरूरत हो तो रखे जा सकते हैं। अब यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि सेल्स टैक्स और माल विभाग के अधिकारी आपस में मिल कर बकाया रकम के बारे में एक मान्य सूची बनायें जिसका महवारी मिलान किया जाय जिससे यह पता लग सके कि अब कितना रुपया बाकी रह गया है और कितना वसूल हुआ। यह कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त यह भी कार्यवाही की गयी कि जिलाधीश को कुछ और अधिकार दे दिये गये हैं जिससे बकाया मालगुजारी की तरह से उस रुपये को वसूल कर सकते हैं तथा उनको यह भी अधिकार दिया गया है जो सिविल कोर्ट में किसी डिक्री-की रकम के वसूल करने के लिये सिविल कोर्ट को होते हैं। इससे वसूली में कुछ और आसानी हुई। इसके अतिरक्त व्यापारियों की प्रवृत्ति धन रोकने की न हो इसके लिये पीनल इंटरेस्ट लगाया है कि १ माह की मियाद होती है असेसमेंट के बाद, उसके बाद ६ महीने के अन्दर अगर धनराशि अदा नहीं कर देते तो उनको १८ प्रतिशत सूद भी देना पड़ेगा। यह कार्यवाहियां हो रही हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १०,८१,१५,३२६ रुपया जो बकाया है इसमें से कितने रुपये की वसूली के लिये अदालत ने रोक लगायी है और कितना रुपया वसूल करने के लिये कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा—

१,०८१.१५ लाख रुपये का विवरण इस प्रकार है.....

श्री अध्यक्ष—

वे पूछ रहे हैं कि इसमें से कितनी रकम अदालतों की आज्ञा से रोकी गयी है। आप बतला सकते हैं कि नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—यह रकम १६७ लाख ५५ हजार है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिलाधीशों को और अधिक अधिकार दिये गये हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस तरह रेवेन्यू विभाग कार्यवाही करता है उसी प्रकार इस ११ करोड़ बकाया रकम की वसूली के लिए रेवेन्यू विभाग द्वारा कितने लोगों की कुर्की की गयी, कितनों का नीलाम किया गया और कितनों को जेलों में बन्द किया गया, जिस तरह से किसानों को बन्द किया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—

इसके सम्बन्ध में सही आंकड़े तो इस समय नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल का कहना है कि क्या इस रकम की वसूली के लिये जिस प्रकार रेवेन्यू विभाग कार्यवाही करता है, उस प्रकार की कार्यवाही की गयी ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि यह ११ करोड़ की बकाया रकम आमदनी के अनुपात (प्रोपोर्शन) में हिन्दुस्तान के हर प्रदेश से ज्यादा है ? क्या माननीय मंत्री जो इस रकम के वसूल न होने के मोटे मोटे कारण बताने की कृपा करेंगे ? यह भी बताने का कष्ट करें कि कितने अर्से से यह रकम बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह रकम सुनने में तो बहुत बड़ी मालूम होती है लेकिन यह सन् १९४८ से आज तक की बकाया है। १३० करोड़ रुपये से ज्यादा वसूल हो चुकी है। अगर आप देखें तो बकाया लगभग १० प्रतिशत भी नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

बहुत सी रकम इस ११ करोड़ के अन्दर ऐसी है जो १२ साल से पुरानी है। उसके लिए कार्यवाही भी हो चुकी है। नोटिस भी दिये गये लेकिन वह रकम वसूल नहीं हो पा रही है। क्या माननीय मंत्री जी अब भी इस प्रकार की सुविधा देने के लिये तैयार हैं कि इनकी वसूली के लिए मन्थली इन्सटालमेंट रख दी जाय ताकि वह रकम पूरी तौर से वसूल हो सके ?

श्री जयराम वर्मा—

जब कोई विशेष मामला हमारे सामने आता है तो हम उस पर विचार करते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वसूली के लिये कार्यवाही सख्ती से उस क्लास के ऊपर होती है जिसके ऊपर १००, २०० की रकम बकाया होती है लेकिन लाखों रुपयों वाली क्लास से क्यों इतने दिनों से कोई वसूली नहीं हो पा रही है? क्या रकम १९६५-६६ में पूरी वसूल हो जायेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

सब बकाया रकम वसूल हो जाय यह तो सम्भव नहीं है लेकिन वसूली काफी तेजी से हो रही है और इस साल के आंकड़े जब आप के सामने आयेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा कि इन कार्यवाहियों का क्या असर हुआ है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बतलायेगी कि जिस तरह से किसानों से वसूल करने के लिये उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसी तरह से क्या सरकार ने इस तरह के आर्डर्स इश्यू किये हैं कि ट्रेडर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—

गिरफ्तारी के लिये कानून बना हुआ है ।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में गांव ऊंचे करने का काम

*१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितने गांवों को ऊंचा करने की योजना जन-शक्ति या सिंचाई विभाग की है और किस-किस वर्ष में कितने-कितने गांव ऊंचे होंगे ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पाण्डेय)—

जन शक्ति योजना के अन्तर्गत ६३५ गांवों को ऊंचा करने की योजना है जिसका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	गांवों की संख्या
१९६४–६५	६०
१९६५–६६	७९
१९६६–६७	८०
१९६७–६८	८०
१९६८–६९	८०
१९६९–७०	८५
१९७०–७१	८५
१९७१–७२	८६

*२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल कितने गांवों में काम शुरू किया गया और अब तक इनमें से गोरखपुर के किन-किन तहसीलों में कितना-कितना काम पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

१५९ गांवों में पटाई का काम शुरू कर दिया गया है जिसका तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है:

तहसील	गांवों की संख्या
बांसगांव	३२
फरेंदा	४०
सदर	७०
महाराजगंज	१७

पर किसी भी गांव में कार्य पूरा नहीं हुआ है जिसका मुख्य कारण मिट्टी का उपलब्ध न होना है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार बतलायेगी कि अभी तक कुल कितना रुपया गांव पटाई में खर्च हुआ है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)—

जब गांव पटाई के लिये मिट्टी नहीं मिल रही है और इससे पहले यह शिकायत हो चुकी है कि गांव पटाई में धांधली होती है, रुपये का दुरुपयोग होता है इसको देखते हुए क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत इस रुपये से बाढ़ क्षेत्र में एक गांव को दूसरे गांव से मिलाने हेतु सड़कों का निर्माण किया जाय ताकि बाढ़ के जमाने में इन सड़कों के जरिये किसानों को आने जाने तथा विकास कार्य हेतु माल ले जाने के लिये रास्ता मिल सके ?

श्री राममूर्ति—

सड़कों के लिये भी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी न मिलने के कारण यह हैं कि रबी की फसल खड़ी हुई है और जब खेत कट जायेंगे तो उम्मीद की जाती है कि मिट्टी वहां मिलेगी। दूसरे हमारे पास ग्रामीण लीडर्स की कमी है और हम चाहते हैं कि पहले की तरह यह काम फिर सरकार को सुपुर्द न कर दिया जाय, लिहाजा कुछ लोकल लोग भी ऐसे हों जिनकी मदद से यह काम किया जाय और उम्मीद है कि फसल कट जायगी तो यह काम होगा।

श्री उग्रसेन (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने बतलाया कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के ३२ गांवों को ऊंचा किया जा रहा है, तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन गांवों में कितने रुपये की तथा कितनी मिट्टी पड़ी ?

श्री राममूर्ति—

यह ब्यौरे का सवाल है। इस तरह हर गांव की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या यह ठीक है कि जिन गांवों की संख्या दी गयी है उनमें अधिकांश गांवों में सचमुच मिट्टी की पटाई इसलिये नहीं हो रही है कि जो इंडवायरी का काम पेंडिंग है वह समाप्त नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

मेरे पास इसकी इत्तिला नहीं है।

श्री उग्रसेन—

क्या यह ठीक है कि गांव पटाई के सम्बन्ध में वहां के ओवरसियर मुअत्तल किये गये थे और सिंचाई के वहां के सब से बड़े आफिसर पर मामला चल रहा है, इसलिये कागज पर लिख दिया गया कि गांव की पटाई हो गयी लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कह दिया है कि उसको मत पाटना और इसलिये एक खांची मिट्टी भी वहां नहीं पड़ी है ?

श्री राममूर्ति—

इस की इत्तिला भी हमारे पास नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या यह सही है कि गांवों की पटाई न होने का कारण यह है कि खेतों का कम्पेन्सेशन सरकार नहीं देती है ? दूसरे मिट्टी के कट जाने से खेती को क्षति पहुंचती है और कम्पेंसेशन न देने के कारण किसान नहीं चाहता है कि खेत काटे जायं ? क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे क्राप का कम्पेंसेशन मिल सके और मिट्टी उठाने से जो क्षति होती है उसका भी उस को कम्पेंसेशन मिल सके ?

श्री राममूर्ति—

ऐसी बात नहीं है। गांव वहीं ऊंचे किये जा रहे हैं जहां बाढ़ आती है। उसूल यह है कि जो गड्ढे खोदे जाते हैं वह बाढ़ के बाद पट जाते हैं। इसलिये न तो जमीन को नुकसान होता है और न फसल को होता है। इसलिये माननीय सदस्य को जो भ्रम हो गया उसे दूर कर दें।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना है कि गांवों की पटाई अपूर्ण रहने की एक वजह प्राविधिक अधिकारियों की अयोग्यता है ? इसको मैं और साफ कर दूं कि जो मिट्टी के निकालने का कार्य हो रहा है वह इसलिये पूरा नहीं हो पा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की देखभाल की कमी है ।

श्री राममूर्ति—

किसी हद तक यह बात सही है। हम यह चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो ग्रामीण स्थानीय जनता है उसके जरिये यह काम कराया जाय लेकिन जो वहां ठेकेदार होते हैं वे उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं और वे चाहते हैं कि ठेकेदार के द्वारा ही काम होना चाहिये, इसलिये दिक्कत होती है।

श्री रामअवधसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मिट्टी की पटाई का काम और रुपये की अदायगी की तारीख ३१ मार्च रखी जाती है और इन दिनों रबी की फसल तैयार रहती है ? इसलिये क्या मन्त्री जी रुपये की अदायगी और काम खत्म करने की तिथि को ३१ मार्च के बजाय ३० जून करने के प्रश्न पर ध्यान देंगे ?

श्री राममूर्ति—

इसको माननीय सदस्य विवरण सहित भेजने की कृपा करें। हम उसके ऊपर बहुत ही सौहार्द तरीके से विचार करेंगे और चाहेंगे कि ऐसा ही किया जाय ।

बुलन्दशहर जिले में सहकारी नलकूप

*३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने सहकारी नलकूप हैं ? वह इस समय किस दशा में हैं और कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर रहे हैं, या कर सकते हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जिला बुलन्दशहर में १५ सहकारी नलकूप हैं, जिनमें १३ नलकूप बेकार पड़े हैं और २ नलकूप चालू हैं। चालू नलकूप ६०० एकड़ भूमि की सिंचाई करते हैं ।

*४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी नलकूपों को सुचारु-रूप से चलाने के लिये वह क्या कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी नलकूपों को सुचारु रूप से चलाने के लिये सिंचाई विभाग से विचार विमर्श हो रहा है ।

*५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलदन्शहर में सहकारी नलकूपों का निर्माण कौन-कौन से सन् में हुआ और कौन-कौन से गांव में हुआ ?

श्री बनारसीदास—

जिला बुलन्दशहर में सहकारी नलकूपों का निर्माण निम्नलिखित गांवों में और उनके सामने लिखे हुये वर्ष में हुआ :

क्रम-संख्या	गांव का नाम	निर्माण का वर्ष
१	भवन बहादुरनगर	५२–५३
२	सथला	,,
३	देहरा	,,
४	परवाना महमदपुर	,,
५	जफराबाद	,,
६	रून्सी	,,
७	उस्मानपुर	,,
८	केवलीखुर्द	,,
९	रूकनपुर	,,
१०	नगर	,,
११	करोरा दलपतपुर	,,
१२	डेरी मच्छा	,,
१३	मकौरा	,,
१४	खटाना	,,
१५	मोहरसा	५३–५४

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसे देखते हुऐ इस एक विशेष सहकारी योजना के असफल हो जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

इसका कारण यह है कि ५२–५३ के अन्दर यह नलकूप बनाये गये थे। एक तो उस समय उनके लिये बिजली उपलब्ध नहीं हुई थी। यह कृषि अभियन्ता की तरफ से बनाये गये थे और उनका सम्बन्ध २–३ विभागों के बीच होने के कारण भी यह सफल नहीं हुए और इनको जो यह तेल से चलाये जाते थे उनको चलाने के लिये गांव में कुशल कारीगर भी नहीं मिले, इसलिये वह योजना असफल हुई।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

इन नलकूपों के संबंध में पी० ए० सी० ने अपनी गत वर्ष जो आडिट रिपोर्ट दी थी, क्या माननीय मंत्री जी ने उसे पढ़ा था और यदि पढ़ा है तो उसकी असफलता के क्या कारण दिये गये हैं ?

श्री बनारसीदास—

इसके संबंध में बराबर यह निश्चय किया गया है कि इन नलकूपों को चलाने के लिये बराबर सिंचाई विभाग से बातचीत की जाये। इस संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ सोसाइटीज नलकूपों को विभाग को देने के लिये तैयार नहीं हैं। कुछ कठिनाइयां सिंचाई विभाग की तरफ से हैं। जैसे गवर्नमेंट ने नलकूप के लिये कुछ सब्सिडी दी है, लोन दिया है, जो उनकी बुक वैल्यू है, उस पर विभाग लेने को तैयार नहीं है और सोसाइटी उस बुक वेल्यू से कम पर देने को तैयार नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस तरह के जो नलकूप सहकारी विभाग द्वारा लगाये गये थे, जिनकी संख्या करीब ४००–५०० है, इन सबकी हालत खराब है। इस तरह की खराब हालत बस्ती के नलकूपों की है और दूसरी जगहों पर भी है कि ज्यादातर नलकूप खराब हैं, बेकार हैं। इसके संबंध में ५–६ वर्ष पहले यह विचार हुआ था कि इन सारे ट्यूब-वेलों की सिचाई विभाग द्वारा जांच कराकर यह सब उन्हें सौंप दिये जायें, किन्तु इस काम में अबतक कोई प्रगति नहीं हो सकी है तो इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

श्री ऊदल जी ने यह ठीक फरमाया है कि बहुत बड़ी तादाद में ट्यूबवेल बने हैं और उनमें से बहुत खराब पड़े हैं। यह ट्यूबवेल बहुत बड़ी तादाद में बनाये गये थे और बनने के समय तकनीकी सलाह मशविरा भी नहीं लिया गया था, इसका परिणाम है कि इसमें कुछ कमियां हैं और इनके रन करने में कुछ खराबियां हैं जिससे वे वे ठीक से काम नहीं करते हैं। इन नलकूपों से पहले पानी दे दिया जाता है और बाद में रुपया ले लिया जाता है और रुपया इतना कम था कि पक्की नालियां वगैरह भी नहीं बनाई जा सकीं, नतीजा यह हुआ कि उनका काम ठीक नहीं हुआ, उनका डिस्चार्ज भी ठीक नहीं हुआ। जब यह मसला सिचाई विभाग में गया था, उस पर विचार हुआ और करीब १८० नलकूप जिनका डिस्चार्ज अच्छा था उन्हें सरकार ने ले भी लिया और जिन्हें समझा गया कि यह ठीक नहीं हैं और इनके लेने से सरकार पर व्यर्थ का एक बर्डेन आयेगा उन्हें नहीं लिया गया।

श्री विजय सिंह—

यह सहकारी नलकूप जो सिचाई विभाग को दिये जा रहे हैं, क्या इसमें सिचाई विभाग को सरकार ने अपने सहकारिता के सिद्धान्त को बदलकर सिचाई विभाग को देने का प्रयत्न किया है और जो यह योजना असफल हुई है उससे कुछ सबक भी सरकार ने लिया है ?

श्री बनारसीदास—

यह तो स्पष्ट है कि जब यह नलकूप सिचाई विभाग को दिये जायेंगे तो वहां की सहकारी सोसाइटियां खत्म हो जायंगी और जहां तक सबक का सवाल है, हम तो हमेशा अनुभव से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो काम नहीं कर रहे हैं वह कब से काम नहीं कर रहे हैं? वह बाद में खराब हुये या शुरू ही नहीं हुये और आरम्भ ही से खराब हैं ?

श्री बनारसीदास—

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, जो मेरे पास सूचना है वह यह है कि जहां तक बुलन्दशहर का सवाल है यह ५२–५३ के अन्दर बनकर तैयार हो गये थे और २ को छोड़कर किसी नलकूप ने ठीक से काम नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

पी० ए० सी० ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें यह लिखा था कि १०० कुवें ऐसे हैं जो कागज पर हैं और मौके पर नहीं मिले। क्या उनके संबंध में मंत्री जी ने कोई जांच की कि वह कुवें कहां गये या उनका रुपया कहां गया? इस रिपोर्ट को दिये हुये एक साल हो गया लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या अब इसकी जांच करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहां थे ?

श्री नेकराम शर्मा—

यह ट्यूबवेल सहकारिता के बताये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो सिर्फ बुलन्दशहर के बारे में है ?

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां, मैं इस प्रश्न के द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि बुलन्दशहर में जितने कुएं बने वह कागज पर ही हैं या वास्तव में वह हैं ?

श्री बनारसीदास—

बुलन्दशहर के संबंध में जितने भी कुओं का सवाल है वह सब जमीन पर हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इन तमाम नलकूपों को कितना रुपया कर्जे की शक्ल में सोसाइटियों के जरिये दिया गया ?

श्री बनारसीदास—

माननीय सदस्य को इसकी सूचना विस्तार से दी गयी है। उसका पैटर्न यह था कि फी ट्यूबवेल ५ हजार रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, ५ हजार रुपया कर्जे की शक्ल में होता था क्योंकि अनुमान यह था कि यह कुएं १५ हजार में बन जायेंगे और जब १० हजार इस तरह से हो जायेगा तो ५ हजार सोसाइटियां अपने आप लगा लेंगी। कुछ कुएं १५ हजार में नहीं बन सके, कुछ १६ हजार में बने और एक कुएं में २५ हजार लगा, लेकिन ज्यादातर कुएं १५ हजार ही में बन गये थे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह पांच हजार की सब्सिडी कृषि विभाग सहकारिता विभाग को नहीं देती है। क्या मंत्री जी उसे दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

उसका तरीका यह होता है कि जब उपयोगिता का सर्टीफिकेट मिल जाता है तभी वह सब्सिडी दी जाती है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जब नलकूप अमूमन ७० और ८० हजार रुपये में तैयार होते हैं तो फिर सोसाइटियों को सिर्फ १५ हजार रुपये ही क्यों दिये गये और ६०, ७० या ८० हजार फी कुएं के हिसाब से क्यों नहीं दिये गये जिससे काम पूरा हो जाता ?

श्री राममूर्ति—

अमूमन लोगों की राय यह है कि सहकारिता में लोग कम पैसों में काम कर लेते हैं इसलिये लोगों की राय माननीय पड़ी।

भुवाली सेनेटोरियम में अस्थायी पद

*६—सर्वश्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद) तथा बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को मालूम है कि भुवाली, सेनेटोरियम में बहुत से पद ऐसे हैं जो गत १२ वर्षों से अस्थायी चल रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

जी हां। पदों को आवश्यकतानुसार स्थायी किया जाता है। जैसे-जैसे आवश्यक समझा जायगा इन पदों को स्थायी कर दिया जायगा।

*७—श्री बंशीलाल तथा श्री बांकेलाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये अस्थायी पद कब स्थायी किये जायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस संबंध में कोई निश्चित तिथि बतलाना सम्भव नहीं है।

(अगले प्रश्न के लिये सर्व श्री बंशीलाल तथा बांकेलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जब बंशीलाल और बांकेलाल जी के नाम पुकारे और बांकेलाल जी खड़े हो गये तो फिर उस प्रश्न को न लेना क्या उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

न श्री बंशीलाल खड़े हुये और न श्री बांकेलाल।

श्री उग्रसेन—

बांकेलाल जी तो खड़े हुये थे।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने पुकारा तब वे खड़े नहीं हुये थे। खैर, बाद में ले लिया जायगा।

विकास क्षेत्र अधिकारी, हसरन के विरुद्ध शिकायत

*८—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, अधिकारी हसरन, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध सुरक्षा कोष का रुपया लेकर रसीद न देने का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, फर्रुखाबाद को १ मार्च, १९६४ से ३१ मार्च, १९६४ के बीच मिला है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस संबंध में जिलाधीश महोदय, फर्रुखाबाद को श्री प्रह्लादसिंह भदोरिया का एक शिकायती पत्र दिनांक २०-३-६४ ई० को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र जिला नियोजन अधिकारी, फर्रुखाबाद को जांच हेतु दिया गया था। जांच कर ली गई है तथा संबंधित शिकायत को निराधार पाया गया है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या जांच करते समय भदोरिया जी से भी पूछताछ की गयी ?

श्री राममूर्ति—

रिपोर्ट जो मेरे पास है उसके अनुसार उनसे भी जांच की गयी।

श्री होरीलाल यादव—

क्या भदोरिया जी ने जांच के समय ऐसा पत्र दिया था जिसमें बी० डी० ओ० ने लिखा था कि सुरक्षा कोष मे वसूली पायी गयी थी ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो रिपोर्ट है वह १४ या १५ पेज की है। अगर मेरे मित्र को दिलचस्पी हो तो मैं उनके साथ बैठ सकता हूं और सारे डिटेल्स डिसकस कर सकता हूं। अगर उनको संतोष हो जाय तो अच्छा है और न हो जाय तो मैं भी हमदर्दी से सोचकर बाकी कार्यवाही फिर करने के लिये तैयार हूं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वार फंड में जो रुपया आता है उसका आडिट होता है? अगर होता है तो उसमें कितना रुपया कम पाया गया?

श्री राममूर्ति—

इस रिपोर्ट में आडिट का कोई जिक्र नहीं है।

होमियोपैथिक नेशनल कालेज, लखनऊ के मामलों में जांच

*९—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि होमियोपैथिक नेशनल कालेज, लखनऊ के फिजियोलाजी डिपार्टमेंट संबंधी सामान की खरीदारी के संबंध में इसके आनरेरी ट्रेजरार ने डाइरेक्टर को रिपोर्ट किया है कि ३,४०० रुपये में १,६०० रुपये के सामान की खरीदारी दिखाई गई है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

कालेज के एकाउन्ट्स अफसर की ऐसी एक रिपोर्ट आनरेरी ट्रेजरार ने डाइरेक्टर को भेजी थी। डाइरेक्टर ने जो कालेज के प्रेसीडेन्ट भी हैं, बिल का भुगता रोककर इन्क्वायरी का आदेश दे दिया।

*१०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि होमियोपैथिक बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्यों की टीचर्स कांस्टीटुएंसी संबंधी दो स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से और सरकार को इसकी सूचना कब मिली और इसमें कार्यवाही क्या की गई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आनरेरी ट्रेजरार ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और वह रिपोर्ट क्या है, किस तारीख को भेजी है और सरकार किसके जरिये से उसकी जांच करा रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह रिपोर्ट उन्होंने पहले फरवरी में अोरेली कहा था लेकिन फिर १८ मार्च, १९६४ को भेजी। उसके बाद जांच की गई और उसके बाद प्रिंसिपल ने उसकी ताईद की और अभी उसकी जांच चल रही है।

श्री कमलासिंह यादव—

वह रिपोर्ट क्या है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कम रुपये का सामान और ज्यादा रुपये का बिल वाउचर दिखाया गया है। इसकी जांच हो रही है ।

श्री कमलासिंह यादव—

यह जांच की रिपोर्ट कब तक मिल जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह जांच सम्भवतः २ महीने के अन्दर समाप्त हो जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि होम्योपैथिक बोर्ड के सैक्शन ४ में यह दिया है कि ३ मेम्बर टीचर कांस्टीटुएंसी के होंगे ? इनमें दो मेम्बर ऐसे हैं जो नेशनल होम्योपैथिक कालेज के थे। चूंकि अब नेशनल होम्योपैथिक कालेज, आगरा से एफिलियेटेड हो गया है इसलिये वे दोनों मेम्बर नहीं रह सकते तो उनकी वैकैन्सीज को आज तक पूरा नहीं किया गया है और क्या यह सही है कि ये वैकेन्सीज हुई हैं और जो होम्योपैथिक बोर्ड ने रिपोर्ट भेजी है उसमें भी गलत सूचना इसको दी गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वे टीचर बराबर बने रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से जगह खाली नहीं हो सकती ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि बोर्ड ने इस किस्म की कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है कि यह सर्कुलेट कर दिया जाय कि वे मेम्बर कंटिन्यू नहीं कर सकते और उनकी मेम्बरशिप डिसकंटिन्यू कर दी जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सारी रिपोर्ट के आने के बाद जांच की गई और कानूनी राय भी ली गई और कानूनी राय के अनुसार कार्य किया गया। उनकी यह राय है कि इसमें कोई वैकेन्सी नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि डाक्टर जे० सी० शर्मा ने डिग्री बाइ फ्राड हासिल की है जिसको होम्योपैथिक बोर्ड ने अमान्य कर दिया है जिसके कारण उनकी मेम्बरशिप कंटिन्यू नहीं रह सकती ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि रिपोर्ट पर पूरा विचार किया गया है और न्याय विभाग से भी परामर्श किया गया। उसके अनंतर यह निश्चय हुआ कि स्थान रिक्त नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

वह स्कूल के टीचर के बारें मे है। मैं कह रहा हूं कि यह डिस्क्वालिफिकेशन है। चूंकि डाक्टर जे० सी० शर्मा की डिग्री बाई फ्रड आब्टेन की गयी थी और बोर्ड ने भी इसको मान लिया है कि वह अमान्य होनी चाहिये इसलिये वह उस पद पर कंटिन्यु नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने उनको माना है और वह अपनी जगह पर कांटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस पहलू से भी जांच करा ली जायगी ।

श्रमदान द्वारा निर्मित छंदरौली—गूढ़ाखजुरों सड़क

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६२ में हैदरगढ़ तहसील, जिला बाराबंकी में छंदरौली ग्राम से गूढ़ाखजुरों की जो सड़क श्रमदान द्वारा बाबा हसवापुर (खैरावीरू) ने बनवाई थी उसकी बी० डी० ओ०, त्रिवेदीगंज ने क्या रिपोर्ट डी० पी० ओ० को दी थी और डी० पी० ओ० ने सितम्बर, सन् १९६२ में कोई पत्र पी० डब्लू० डी० के जिला इन्जीनियर को सड़क की लम्बाई, उसे पक्का बनाने का अनुमानित व्यय तथा पुलियों की संख्या जानने के लिये भेजा था ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सन् १९६२ में भसवापुर के बाबा रामेश्वर दास ने श्रमदान द्वारा इन्दरौली ग्राम से गूढ़ा खजुरों तक सड़क बनवाने का प्रयास किया था जो जगह जगह पर जमीन न मिलने के कारण अधूरी पड़ी है । क्षेत्र विकास अधिकारी ने जिला नियोजन अधिकारी को इस संबंध में कोई पत्र नहीं लिखा और न जिला नियोजन अधिकारी ने जिला इंजीनियर से सड़क की लम्बाई आदि के बारे में कोई लिखी पढ़ी की ।

*१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बतायेगी कि पी० डब्ल्यू डी० के इंजीनियर, बाराबंकी ने उक्त बातों पर क्या रिपोर्ट डी० पी० ओ० को दी उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और यह बतायेगी कि यह सड़क पुलियों सहित कब तक बन जायगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुए कि जिला प्लानिंग अफसर ने ४ सितम्बर, १९६२ को अपने पत्र संख्या २६४० के अनुसार पी० डब्लू० डी० इंजीनियर को लिखा कि इस सड़क का सर्वे कराया जाय और रिपोर्ट दी जाय और यह बताया जाय कि कितने फ्लु, पुलियां बनेंगी तथा इसकी कुल लम्बाई क्या है । उसका इस्टीमेट मांगा । एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने २९-१०-६२ को अपने पत्र संख्या ३४११ में लिखा, अपने ओवरसियर को कि इसकी जांच की जाय । उसने इस्टीमेट दिया और यह उसका पत्र और नक्शा है । यह पत्र है १९-१-६४ का जो उसने अपने इंजीनियर महोदय को सबमिट किया । तो क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस बारे में लिखा पढ़ी हुई है इसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो इत्तिला है वह यह कि जिला नियोजन अधिकारी और पी० डब्लू० डी० इंजीनियर का जिक्र किया गया है उसके बीच में कोई खतो किताबत नहीं हुई । जब मार्च १३ और २० को पी० डब्लू० डी० की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही थी उस समय इस सड़क का जिक्र किया गया और इसलिये सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के दफ्तर से पता चला कि यह २५ मील की सड़क है और इस पर साढ़े २२ लाख रुपया खर्च होगा । इस पर चूंकि खर्च ज्यादा था और वह तीसरे प्लान पीरियड से बाहर की सड़क है इसलिये इसको नहीं लिया जा सकता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि बाबा हसवापुर के व्यक्तिगत प्रभाव से यह १८ मील की सड़क श्रमदान द्वारा बनायी गयी है इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी इस पर आवश्यक पुल, पुलियां आदि बनाने का प्राविधान करेंगे ताकि यह बर्बाद न हो जाय ?

श्री राममूर्ति—

बाबा जी का जो जिक्र किया गया उस बारे में मालूम पड़ता है कि उनका पूरा प्रभाव पड़ा नहीं इसलिये कि यह सड़क बीच-बीच में टूटी हुई है और जमीन भी अभी तक लोगों ने नहीं दी है। लेकिन सरकार के सामने एक असली दिक्कत यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में चूंकि यह सड़क नहीं है और अब उसकी सीमा पूरी हो चुकी है इसलिये सरकार का इस बारे में कोई विचार नहीं है।

विकास क्षेत्र प्रतापपुर के लिये स्वीकृत धन

*१३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, प्रतापपुर, जिला इलाहाबाद में वर्ष १९६२-६३ में सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ? उसमें से किन पंचायतों को अग्रिम धनराशि दी गई थी और इन पंचायतों में यदि कार्य निर्धारित समय के अन्दर प्रारम्भ नहीं हुआ तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वर्ष १९६२-६३ में सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु ६,००० रुपये ६ मिलन केन्द्रों पर स्वीकृत किया गया था, इनमें से ५०० रुपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से निम्नांकित गांव पंचायतों को सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि दी गई थी—

(अ) हीरमिनपुर,
(ब) अतरसुइया,
(स) करुआडीह,
(द) मिलखिनी,
(य) जलालपुर।

उक्त पंचायतों में से केवल मिलखिनी गांव पंचायत में कार्य आरम्भ न हो सका। इस गांव पंचायत को जो धनराशि अग्रिम दी गई थी, उसे वापस करने के लिये नोटिस दी गई है। क्षेत्र समिति प्रतापपुर ने अपनी २९-८-६४ की बैठक में उक्त कार्य को अस्वीकृत कर दिया है और दुबारा एक नोटिस प्रधान को दे दिया गया है। शेष पंचायतों में कार्य प्रगति पर है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि जितना रुपया दिया गया वहां के लिये, वहां पर काम नहीं हुआ है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस ग्राम सभा को नोटिस दी गयी है उसके लिये कोई अवधि भी निर्धारित की गयी है कार्यवाही करने के लिये ?

श्री राममूर्ति—

सरकार ने एक नोटिस और दे दी है, अगर उस पर भी अमल नहीं होगा तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन पंचायतों में कार्य प्रगति पर है, वहां पर कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति—

हीरमिनपुर में भवन लगभग ४ फुट के बन चुका है। सम्भवतः बरसात के बाद काम पूरा हो जायेगा। अतरसुइया में भी स्लैब वगैरह पड़ गया है और कमरे की दीवार वगैरह बन गयी है, यह काम भी शीघ्र पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

बस काफी है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार इन ब्लाकों के अलावा जो और ब्लाक हैं वहां के बारे में जानकारी करायेगी कि वहां पर कार्य की क्या प्रगति है और जो रुपया दिया गया है उसका कहीं गोलमाल तो नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा खयाल है कि कहीं गोलमाल नहीं हुआ होगा और सब जगह काम हो रहा होगा। वसे अगर कहीं कोई गोलमाल होने की शिकायत मेरे पास आयेगी तो मैं देखूंगा।

ऊंची मुस्तहकम साधन सहकारी समिति द्वारा ऋण वितरण

*१४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति, ऊंची मुस्तहकम, जिला बस्ती को जून सन् १९६४ में सहकारी बैंक, जिला बस्ती द्वारा अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण कितना दिया गया है और सरपंच ने उक्त ऋण समिति के सदस्यों को वितरित किया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

ऊंची मुस्तहकम साधन सहकारी समिति ने २०-६-६४ को ८,०४० रुपये का अल्पकालीन ऋण जिला सहकारी बैंकिंग यूनियन लि०, बस्ती से अपने सदस्यों में बांटने हेतु लिया था जिसे २१-६-६४ को वितरित कर दिया गया।

जून, १९६४ में उक्त समिति ने सहकारी बैंक से कोई मध्यकालीन ऋण नहीं लिया।

*१५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ऊंची मुस्तहकम साधन सहकारी समिति के सदस्यों के नाम फर्जी कर्जा बरामद किया गया है और इसको एक व्यक्ति ने ले लिया है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

ऊंची मुस्तहकम साधन सहकारी समिति ने अपने सदस्यों के नाम विगत वर्षों से अब तक कोई भी फर्जी कर्जा बरामद नहीं किया है और न बरामद कर एक व्यक्ति को दिया है। ऐसी दशा में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

लारपुर, ग्राम सभा प्रधान को सीमेंट

*१६—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री अतीक, प्रधान, ग्राम सभा, लारपुर, विकास खण्ड जलालपुर, जिला फैजाबाद के अतर्गत विकास कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी, श्री कामेश्वरसिंह द्वारा सन् १९६३-६४ में कितने बोरे सीमेंट का कितनी बार परमिट दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

उक्त अवधि में श्री अतीक, प्रधान ग्राम सभा, लारपुर को विकास कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी, जलालपुर द्वारा ५ बार में कुल १४ बोरी सीमेंट दिया गया।

किशनी व कुसमरा में चिकित्सा असुविधा

*१७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले में किशनी व कुसमरा ग्रामों के अड़ोस पड़ोस में करीब पन्द्रह मील के इर्द-गिर्द कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जिससे बिला इलाज के कितने ही लोग मरते जा रहे हैं और कितने ही लोग बीमार पड़े हैं ? क्या पिछले समय सन् १९६२ में व १९६३ में जब माननीय धर्म सिंह जी उप-स्वास्थ्य मन्त्री थे किशनी और कुसमरा अस्पतालों में डाक्टर भेजने का आदेश भी दिया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त अस्पतालों में डाक्टर कब तक पहुंचा दिये जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह निवेदन है कि किशनी कुसमरा ग्रामों के १५ मील के इर्द-गिर्द निम्नलिखित एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक अस्पताल स्थित हैं—

(१) बैबर एलोपैथिक अस्पताल—कुसमरा से लगभग ६ मील दूर और किशनी से १४ मील दूरी पर है।

(२) सभवा आयुर्वेदिक अस्पताल—कुसमरा से ११ मील दूर और किशनी से केवल ५ मील दूरी पर है।

(३) हिन्दूपुर आयुर्वेदिक अस्पताल—कुसमरा से ६ मील दूर और किशनी से १२ मील दूरी पर है।

गत २३ जनवरी, १९६५ को किशनी में एक डाक्टर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं। डाक्टरों के अभाव के कारण कुसमरा में अभी तक डाक्टर नियुक्त नहीं हो सका है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतायेगी कि किशनी में डाक्टर कब तक पहुंच जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसके लिये आदेश तो हो चुके है, शीघ्र पहुंच जायेगा।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

कुसमरा अस्पताल में कब तक पहुंच जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो निवेदन किया जा चुका है कि डाक्टरों की कमी है, जैसे वे उपलब्ध होंगे, भेजने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री होरीलाल यादव—

जो बहुत से अस्पताल बिना डाक्टरों के पड़े हुये हैं क्या वहां पर इन्टीग्रेटेड कोर्स वाले डाक्टरों को भेजने की व्यवस्था की जायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह सही है कि इनमें से कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें इंटीग्रेटेड कोर्स के पास नहीं हैं । सरकार उनको लेने का विचार कर रही है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह बात सत्य है और सुनने और देखने को भी मिलती है कि अस्पतालों की कमी है । तो क्या सरकार ऐसी योजनाओं पर विचार करेगी कि सचल डाक्टरों का एक गिरोह जनता के बीच में सेवा कार्य करता रहे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसमें भी डाक्टरों की जरूरत पड़ेगी ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, उसमें तो १, २ डाक्टर से भी काम चल सकता है । जिलों में कितनी ही मोटरें बेकार पड़ी हैं ? उनमें यदि १, २ डाक्टर भी कर दिया जाय तो वे सेवा कार्य कर सकेंगे ।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, उसमें यह जरूर सम्भावना हो जावेगी कि डाक्टर बदलते रहेंगे और कभी कोई नुस्खा देगा और कभी कोई और ही बदला हुआ नुस्खा देगा ।

सहकारी बैंक, राठ में गबन

*१८—श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक, महोबा, जिला हमीरपुर की शाखा राठ में आडीटरों द्वारा अभी तक कितने रुपये का गबन व अस्थायी गबन पकड़ा गया है ?

श्री बनारसीदास—

स्थायी गबन—८४,०६१ रु०, ८८ पैसे ।

अस्थायी गबन—४,३५,३१६ रु०, ६८ पैसे ।

*१९—श्री मोहनलाल अहिरवार—

क्या सरकार उन व्यक्तियों की सूची बताने की कृपा करेगी कि जो इस गबन के लिये जिम्मेदार हैं ?

श्री बनारसीदास—

आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की सूची निम्न प्रकार है :—

नाम व्यक्ति जो इस सम्बध में दोषी पाये गये		पद
१—श्री रामलाल	..	अवैतनिक कोषाध्यक्ष, शाखा राठ ।
२—श्री कालिका प्रसाद	..	एकाउन्टेन्ट तथा खजांची, राठ शाखा ।
३—श्री जमुना दास	..	कोषाध्यक्ष साधन सहकारी समिति, मुसकरा ।
४—श्री जगेश्वर	..	पंच सहकारी समिति, बुन्देला ।
५—श्री बैजनाथ	..	सदस्य, सहकारी समिति, बुन्देला ।
६—श्री जगदीशचन्द्र अग्रवाल	..	इंचार्ज, राठ शाखा ।
७—श्री लक्ष्मीप्रसाद श्रीवास्तव	..	लिपिक, राठ शाखा ।
८—श्री बेनीप्रसाद रिछारिया	..	सुपरवाइजर ।
९—श्री रामसेवक गुप्त	..	,,
१०—श्री रामेश्वरप्रसाद दुबे	..	भूतपूर्व सरपंच साधन सहकारी समिति, मुसकरा ।
११—श्री रामलाल शर्मा	..	सहकारी, सुपरवाइजर ।
१२—श्री शिवनाथ	..	कोषाध्यक्ष, सहकारी समिति, मुसकरा ।

*२०—श्री मोहनलाल अहिरवार—

क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री बनारसीदास—

उक्त सूची के प्रथम दो व्यक्ति स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गये और बाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर छूटे । शेष १० व्यक्ति अपने आप अदालत में हाजिर हुये और अदालत द्वारा जमानत पर छोड़े गये । पुलिस जांच जारी है ।

श्री मोहनलाल अहिरवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक में यह गबन कब से चल रहा है और यह नोटिस में कब आया और यह आडिटर्स की कब की रिपोर्ट पर आधारित है ?

श्री बनारसीदास—

यह ५७ से लेकर ५८, ६२–६३ वर्षों की आडिट रिपोर्ट और ६४–६५ की आडिट रिपोर्ट से सम्बन्धित है । इसका इन्स्पैक्शन आडिट किया गया है और राठ की शाखा के अन्दर गबन सबसे पहिले सरकार की नोटिस में आया । आडिट रिपोर्ट ५–१०–६३ को आई । २३,३४३ रु० ५५ पै० का गबन है और १,३१,८२२ रु० ६ पै० का मिस-एप्रोप्रिएशन है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय सहकारिता मंत्री की बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में कोई ऐसी सहकारी समिति भी है जिसमें गबन न हुआ हो ?

श्री बनारसीदास—

जहां तक सहकारी समिति का सवाल है, मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पहिले वे पता करें कि कम्पनीज ऐक्ट के अधीन जो सोसायटीज रजिस्टर्ड हैं, उनमें प्रायः बहुत कम हैं, जिनमें गबन हुआ हो। इसके अलावा सोसायटीज में गबन का कारण डेमोक्रेसी के तत्वों का सब जगह होना है।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

विकास क्षेत्र, जगतपुर में पम्पिंग सेट का वितरण

*२१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, जगतपुर में अब तक कितने पम्पिंग सेट सरकार द्वारा स्वीकृत हुये तथा कितनों का वितरण किन-किन ग्रामों में किन-किन व्यक्तियों के नाम हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला रायबरेली के अन्तर्गत विकास क्षेत्र जगतपुर में ११ पम्पिंग सेट लगाने की स्वीकृत दी गई इसके लिये तकावी के रूप में जो धनराशि जिन २ व्यक्तियों को वितरित की गई उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०-सं०	नाम काश्तकार तथा पूरा पता	वितरित धनराशि
		रु०
१	श्री विजय बहादुर सिंह, ग्राम इस्माइलमऊ	२,५००
२	हिम्मत बहादुर सिंह, ग्राम टीकर, जगदीशपुर	२,५००
३	श्री पल्टू उर्फ बंशीधर, ग्राम घोघरा	२,५००
४	कुंवर वीरेन्द्र विक्रम सिंह, ग्राम छीछेमऊ	१,५००
५	श्री बजरंगी, ग्राम सिकन्दरपुर	१,०००
६	श्री गंगादयाल, ग्राम दाऊदपुर गडई	२,५००
७	श्री राम शंकर, ग्राम पूरेमोसो (जगतपुर)	२,५००
८	श्री आनन्द कुमार, ग्राम पूरव गांव	२,५००
९	श्री जय गोपाल, ग्राम टीकर अमावीपुर	२,५००
१०	श्री अम्बिका प्रताप सिंह, ग्राम कीरतपुर चरुहार	२,०००
११	मु० चम्पा कुंवरि, ग्राम सुल्तानपुर जुमौली	२,५००

*२२—श्री रतीपाल—

क्या सभी पम्पिंग सेट लगकर सुचारु-रूप से कार्य कर रहे हैं तथा उनके दामों की वसूली प्रारम्भ हो गई है ? यदि हां, तो कितना धन किस्तों के रूप में सरकार को अब तक विकास क्षेत्र, जगतपुर से प्राप्त हुआ है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं, केवल ६ पम्पिंग सेट लगकर सुचारुरूप से कार्य कर रहे हैं। इन सब की किस्तवार वसूली हो रही है, शेष ५ व्यक्तियों से एक मुश्त वसूली की जा रही है। अभी तक विकास क्षेत्र, जगतपुर से ८०१४-५४ रु० किस्तों के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

श्री रतीपाल—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८वें नम्बर पर पंडित आनन्दकुमार जी, ब्लाक प्रमुख हैं, उन्होंने सन् ६२ में रुपया लिया और अभी पक पम्पिंग सेट नहीं लिया है? यदि यह सही है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बंशीधर पांडेय—

इनको २५०० रुपया दिया गया। सेट की पूर्ण होने की तिथि २१-२-६२ थी और ३०० रुपया वसूल भी हो चुका है।

श्री रतीपाल—

मैं मंत्री जी के ऊपर नोटिस देता हूं कि उन्होंने झूठी बात यहां कहीं चूंकि आनन्दकुमार जी ने अभी तक पम्पिंग सेट खरीदा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसका यह कायदा है कि आप मेरे पास लिख कर भेजें, मैं देख लूंगा।

रतनपुरा-बेलौरी सड़क

*२३—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

प्रश्नकर्ता के दिनांक २९ जुलाई, १९६४ के प्रश्न संख्या ६८-६९ के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रतनपुरा-बेलौरी सड़क के बलिया जिले के नगरा ब्लाक में स्थित १ मील के भाग को द्वितीय चरण में तथा सीमर ब्लाक में स्थित साढ़े चार मील भाग को तृतीय चरण में ले लेने का निश्चय सरकार कर चुकी है?

श्री बंशीधर पांडेय—

बलिया जिले में रतनपुरा-बिलौरी सड़क का एक मील का भाग नगरा ब्लाक में द्वितीय चरण के अतिरिक्त कार्य-क्रम में यथा सीयर ब्लाक में स्थिति साढ़े चार मील का भाग तृतीय चरण के अतिरिक्त कार्यक्रम में स्वीकृत कर दिया गया है।

*२४—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी उक्त भागों को पक्का कराने का काम कब से आरम्भ होने जा रहा है?

श्री बंशीधर पांडेय—

कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जन-शक्ति योजना में काम बहुत धीरे हो रहा है?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी तक तक धीमा था लेकिन अब उसमें मशीनरी वगैरह सब ठीक कर दी गई है और वह कार्यक्रम अब शीघ्र होने वाला है।

श्री बृजबिहारी—

इस सड़क का शेष भाग जो ७ मील का है रतनपुरा ब्लाक में स्थित है, क्या उसे भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैन-पावर योजनाओं में धीमी प्रगति होने से ७ करोड़ में ३ करोड़ ही रुपया खर्च हुआ, यह देर क्यों हो रही है ?

श्री राममूर्ति—

इन योजनाओं की स्वीकृति के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखना पड़ता है, टैक्नीकल स्टाफ की कमी है । इसलिये देर हो रही है । अब कुछ टैक्नीकल स्टाफ और रखा है ताकि काम जल्दी हो ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार जनता को यह सुविधा देगी कि रतनपुरा के लोगों के लिये शीघ्र से शीघ्र रास्ते बना दिये जावें ?

श्री राममूर्ति—

अच्छा सुझाव है ।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी इस ब्लाक की पिछड़ी हालत को दृष्टि में रखते हुए वहां कुछ विकास की योजनायें कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

पिछड़े हिस्सों पर सरकार का विशेष ध्यान है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

उत्तर प्रदेश में कौन कौन इलाके पिछड़े हुए हैं और किन-किन इलाकों के लिये कितना-कितना पैसा जन-शक्ति योजना दे में रहे हैं और अगर खर्च नहीं हो रहा है तो क्या हरदोई जिले की योजना में आप ५० लाख रुपया देने की कृपा करेंगे जिसे सरकारी अफसरों ने और लोकल वर्कर्स ने मिल कर तैयार किया है ?

श्री अध्यक्ष—

इनका ध्यान इस वक्त रतनपुरा पर है ।

दोकनहा ग्राम समाज का प्रबन्ध

*२५—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत खीरों परगना के दोकनहा ग्राम समाज के अध्यक्ष के निर्वाचन का जो विवाद हाई कोर्ट में चल रहा था और जिसका १० जनवरी, १९६३ का निर्णय प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध हुआ था, उन्होंने अब तक अपना समस्त चार्ज निर्णीत अध्यक्ष को क्यों नहीं दिया ? क्या इस सम्बन्ध में अधिकारियों के कुछ पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत खीरों परगना के दोकनहा ग्राम समाज के चुनाव द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष श्री भगोले के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक ११-१-६३ को किया गया था जिसके अनुसार पूर्व निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध चुनाव में पराजित उम्मेदवार श्री बलवन्त सिंह ग्राम समाज दोनकहा के निर्णित अध्यक्ष घोषित हुये । जब विवाद उच्च न्यायालय में चल रहा था उसी समय न्यायालय की आज्ञानुसार निर्वाचित अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद का समस्त चार्ज दिनांक २५-८-६१ को ही उप प्रधान, श्री गंगाचरन को दे दिया था । इसलिये निर्वाचित अध्यक्ष, श्री भगोले द्वारा निर्णित अध्यक्ष, श्री बलवन्त सिंह को चार्ज देने का प्रश्न नहीं उठता । इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः कोई कार्यवाही की जाने की आवश्यकता नहीं थी । हां, श्री बलवन्त सिंह ने ७-८-६३ को एक प्रार्थनापत्र उप प्रधान द्वारा चार्ज न देने के बारे में दिया थ', जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

*२६- श्री गुप्तारसिंह—

क्या यह सही है कि चार्ज न देने वाले अध्यक्ष हस्तान्तरित न किये हुये कागजों द्वारा लेखपाल तथा अन्य अधिकारियों की सहायता से पिछली तारीखों में अवैधानिक पट्टे आदि कर रहे हैं ? क्या सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच करायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि चार्ज न देने वाले अध्यक्ष हस्तान्तरित किये हुए कागजों द्वारा लेखपाल व अन्य अधिकारियों की सहायता से पिछली तारीखों में अवैधानिक पट्टे पर रहे हैं । मामले की पूर्ण जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

*२७—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि चार्ज न मिलने के कारण ग्राम समाज को मछली आदि की नीलामी न होने के कारण प्रति वर्ष २,५०० रुपय की हानि होती ह ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१३७० फसली तक तो ग्राम ग्राम समाज ने मछली नीलाम किया पर १३७१ फसली के लिये १८-५-६४ को भूमि प्रबन्धक समिति दोकनहा ने मछलियों की नीलामी हर साल न कर बीच में एक वर्ष का अन्तर दे कर करने का निर्णय लिया था । इसलिये इस वर्ष नीलामी नहीं की गई । भूमि प्रबन्धक समिति अपनी सुविधानुसार मछली नीलाम कर सकती है । उक्त निर्णय से गांव सभा को मछली नीलामी में कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है ।

अवध औषधियां

*२८—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि आगरा, मथुरा, कानपुर आदि स्थानों में एक व्यापक पैमाने पर अप्रमाणित और दोषपूर्ण अवैध दवाइयों (Spurious Drugs) का निर्माण और व्यापार होता है ? यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने में क्या-क्या कायवाही की और उसे कहां तक सफलता हो पाई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आगरा, मथुरा, कानपुर आदि स्थानों में किसी व्यापक पैमाने पर न तो अप्रमाणित और दोषपूर्ण अवैध दवाइयों (Spurious Drugs) का निर्माण हो रहा है और न व्यापार

नोट—तारांकित प्रश्न २७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हो हो रहा है। कभी कभी एक दो दवाएं बाजार में पकड़ी जाती हैं और उन पर कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है। चूंकि ऐसे केसेज अधिक संख्या में नहीं हैं, इसलिए किसी और विशेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*२९—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार की अवैध दवाइयों के निर्माण में किन-किन विशेष गिरोहों का हाथ है ?

श्री दाऊदयाल खान्ना—

जहां तक सरकार को ज्ञात है अवैध दवाइयों के निर्माण तथा व्यापार में किसी खास गिरोह का हाथ नहीं है।

सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन का वेतन-क्रम

*३०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन राज्य भर में किस-किस विकास खंड में कितने हैं जो ७५–५–१२० रु० के वेतन-क्रम में वेतन पाते हैं ?

श्री राममूर्ति—

प्रदेश में ७५–५–१२० रु० के वेतन-क्रम में २०२ सहायक विकास अधिकारी (पशु पालन) नियुक्त हैं जिनकी नियुक्ति के विकास खंडों का ब्योरा† संलग्न सूची में है।

*३१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने इस संबंध में कोई नियम बना रखा है कि सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन का वेतन क्रम तीन साल की सेवाओं की अवधि बीतने पर ७५–५–१२० रु० के स्थान पर १२०–५–२५० रु० कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो कुछ सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन को उक्त वेतन-क्रम देने के बाद शेष को उक्त वेतन-क्रम न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा कोई नियम नहीं है।

*३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन्हें १२०–५–२५० रु० का वेतन क्रम नहीं मिला है क्या उन्हें वह यह वेतन देने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में गांवों की पटाई

*३३—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष में बस्ती जिले की बांसी तथा नौगढ़ तहसील में कितने गांवों को ऊंचा करने की व्यवस्था की गई है ? ये गांव कौन-कौन से हैं तथा इनमें काम कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री राममूर्ति—

ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत इस (वित्तीय) वर्ष में बस्ती जिले की बांसी तथा नौगढ़ तहसील में ९२ गांवों को ऊंचा करने की व्यवस्था की गई है। इन गांवों की सूची संलग्न है। इन सभी गांवों की पटाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। काम आरम्भ किये जाने की तिथि प्रत्येक गांव के सामने अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३००–३०५ पर)

*३४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव चोराई ताल, तहसील बांसी (बस्ती), जो अभी पट कर पूरा नहीं है, कब तक पूरा पट जायगा ?

श्री राममूर्ति—

इस गांव की पटाई का कार्य ९–८–६४ को समाप्त हो गया है।

*३५—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त जिले में कुल कितने रुपये का ऐसा भुगतान बाकी है जिसका काम पिछले वित्तीय वर्ष में समाप्त हो गया और देर का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

उपरोक्त जिले में गत वित्तीय वर्ष में पटाई के कार्य का कोई भुगतान बाकी नहीं हैं।

पुनर्नियुक्त डाक्टर का वेतन

*३६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो डाक्टर रिटायरमेंट के बाद पिछले एक साल में रिइम्प्लाय किये गये हैं (मैन और वोमैन ब्रांच में) उनको कितने दिन से वेतन नहीं मिला है ? और यदि नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला ? और कब तक मिलने की आशा की जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

रिइम्पलाय किये गये डाक्टरों में से केवल एक डाक्टर ऐसे हैं जिन्हें अक्तूबर, १९६४से वेतन नहीं मिला है। उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि और बढ़ाने के विषय में लोक सेवा आयोग की स्वीकृत अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। उनको मार्च, १९६५ तक प्राविधानिक रूप से वेतन दिलाने के लिये महालेखापाल को लिख दिया गया है।

कामता प्रसाद के विरुद्ध अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ का पत्र

*३७—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज विभाग के अनुसचिव को जिला परिषद्, आजमगढ़ द्वारा भेजा हुआ पत्र संख्या ८१०, दिनांक १० सितम्बर, १९६२ का प्राप्त हुआ है जिसमें अनुदान में पाये हुये रुपये का ठीक प्रकार उपयोग न करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

भूतपूर्व अंतिरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के अध्यक्ष का पत्र संख्या ८१०, दिनांक १०–९–१९६२, जो उप सचिव, पंचायत राज विभाग को संबोधित था और जिलाधीश, आजमगढ़ के माध्यम से भेजा गया था, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०६–३०७ पर)

*३८—श्री दौलत लाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायती-पत्र की जांच किस अधिकारी से और कब कराई गई और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री राममूर्ति—

शिकायती-पत्र की जांच सर्वश्री राम रतन प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, आजमगढ़ तथा रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय व अतिरिक्त परगनाधीश, मुहम्मदाबाद के द्वारा कराई गई थी। श्री राम रतन ने अपनी प्रथम व द्वितीय रिपोर्ट क्रमशः १३ मई व १ अगस्त, १९६३ को जिलाधीश आजमगढ़ को प्रस्तुत की। श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने अपनी रिपोर्ट दिनांक ५ व ७ नवम्बर, १९६४ को प्रस्तुत की। उपर्युक्त जांचों के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि श्री कामतासिंह ने ऐसी कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की थी जिनके आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये शासन से सिफारिश की जाती।

पानीयाली ग्राम के लिए सिंचाई गूल

*३९—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

विधान सभा की बैठक दिनांक २९ जुलाई, १९६४ के प्रश्न संख्या ६ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के क्रम में क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हौज के पानी से कितने एकड़ भूमि की १२ घंटे में सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—

कथित हौज के पानी से १२ घंटे में लगभग १/२० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

उच्च प्रशिक्षित ग्राम सेवक

*४०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष १९६१ व ६२ में क्रमशः १२ और १० ग्राम सेवक उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रदेश स्तर में चुने गये थे, तथा उन्हें बलवन्त विद्यापीठ बिचपुरी से ग्रामोद्योग, सहकारिता, कृषि आदि विभिन्न विषयों में स्पेशलाइज्ड कर प्रशिक्षित किया गया ? यदि हां, तो उच्च प्रशिक्षण प्राप्त ग्राम सेवकों के नाम क्या हैं और वह प्रशिक्षण के पूर्व किन स्थानों में कार्य कर रहे थे, तथा अब उनकी नियुक्ति कहां और किन पदों पर, किस वेतन-क्रम पर की गई है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

संलग्न सूची में विवरण है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०८–३११ पर)

फतेहपुर जिले में सीमेंट वितरण

*४१—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि फतेहपुर जिले में लघु-सिंचाई योजनाओं के लिये सुरक्षित कोटे के अधिकांश भाग सिंचाई के विभिन्न कार्यों के नाम पर लेकर उसे भवनों आदि में इस्तेमाल किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त कार्य के लिये सुरक्षित सीमेंट के वितरण के लिये ऐसी कोई समुचित व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कृषि उत्पादन के लिये सुरक्षित कोटे का सही उपयोग हो सके ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। लघु सिंचाई योजनाओं के लिये प्राप्त कोटे के वितरण की पूर्ण व्यवस्था पहले से है।

मैनपुरी जिले में सोशल वर्कर्स

*४२—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के पुरुष तथा महिला सोशल वर्कर परिवार नियोजन, किस-किस ब्लाक में कितने-कितने समय से काम कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका (१) में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१२-३१३ पर)

*४३—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन सोशल वर्कर सरकारी इमारत में कब-कब से रह रहे हैं और उन्होंने अब तक कितना-कितना किराया सरकार को दिया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना संलग्न तालिका (२) में दी गयी है ?

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

*४४—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुरुष तथा महिला सोशल वर्कर ने अब तक कितने केस कार्ड भरे और कितने आपरेशन कराये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में (३) दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३१५ पर)

जैतपुर ब्लाक में हरिचरण सिंह के वेतन में कटौती की शिकायत

*४५—सर्वश्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच), मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग क्षेत्र विकास अधिकारियों को निर्धारित रसीद के अतिरिक्त कच्ची रसीद देकर कोई धन लेने का अधिकार है ? यदि हां, तो वह रकम कितने समय आउट आफ एकाउन्ट रह सकती है ? यदि नहीं, तो जैतपुर ब्लाक जिला हमीरपुर में श्री हरचरण सिंह, भूतपूर्व ग्राम सेवक के वेतन से दिनांक १३ अगस्त, १९६१ को ६० रु० २५ न० पै० क्षेत्र विकास अधिकारी ने काट लिये थे और कच्ची रसीद दी गई थी ? आज तक न तो रुपया दिया गया और न पक्की रसीद ही दी गयी जब कि इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किया जा चुका है और २/४ वर्ष तक यह रकम आउट आफ एकाउन्ट क्यों पड़ी है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। क्षेत्र विकास अधिकारी ने श्री हरिचरण सिंह ग्राम सेवक के वेतन से कोई धनराशि नहीं काटी और न उन्हें कच्ची रसीद दी। अतएव पक्की रसीद देने का प्रश्न नहीं उठता। विधान सभा के प्रश्न में जिस पूर्व प्रश्न का उल्लेख किया गया है उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। रकम का आउट आफ एकाउन्ट पड़े रहने का प्रश्न नहीं उठता।

एक्साइज एडवाइजरी कमेटी, बांदा

*४६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की एक्साइज कमेटी की मीटिंग कब से नहीं हुई है और इतने दिनों तक मीटिंग न करने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बांदा जिले की ऐक्साइज ऐडवाइजरी कमेटी की गत मीटिंग २८ मार्च, १९६२ को हुई थी। इसके पश्चात् कोई मीटिंग नहीं हुई। चूंकि कमेटी के अधिकारों के अन्तर्गत विचार योग्य कोई समस्या प्रस्तुत नहीं हुई इसलिये कमेटी की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

सुल्तानपुर जिले में विकास कार्य

*४७—सर्वश्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर), उमादत्त (जिला सुल्तानपुर), रमाकान्त (जिला सुल्तानपुर) तथा इन्द्रपाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले के किन-किन विकास खंडों में जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत सन् १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कितने गांव ऊंचा करने तथा कितनी सड़कों के बनाने की स्कीम स्वीकृत की गई थी और उनमें कितना कार्य सम्पन्न हुआ ?

*४८—क्या सरकार को ज्ञात है कि उसी स्कीम के अन्तर्गत वल्दीराम विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महमूदपुर का बांध भी रखा गया था ? यदि हां, तो उसके बनाने की क्या कार्यवाही हुई ?

*४९—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ से अब तक कितना रुपया सुल्तानपुर जिले के लघु सिंचाई योजना के लिये दिया गया और उसमें से कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वैद्यों व हकीमों के लिये नियम पुस्तक

*५०—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेद एवं यूनानी वैद्यों की कोई नियम पुस्तक (मैनुअल) बनी है ? यदि नहीं तो क्या वह शीघ्र ही इस प्रकार के मैनुअल को तैयार कराने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। ऐसा मैनुअल अभी बनाया जा रहा है।

विकास खंड, दहगवां में चपरासियों की भर्ती

*५१—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

२० जुलाई, १९६४ को बदायूं जिले के विकास खंड दहगवां में चपरासियों की भर्ती के लिये जो साक्षात्कार किया गया उसके सम्बन्ध में क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये तथा उनकी योग्यता क्या थी ?

(२) जो चपरासी लिये गये उनकी योग्यता क्या थी ?

(३) जो लोग लिये गये उनमें परिगणित जाति के कितने हैं ?

श्री राम मूर्ति--

क्षेत्र विकास कार्यालय दहगवां में कोई आवेदन-पत्र सीधे नहीं प्राप्त हुआ था, चपरासियों का चुनाव सेवा योजन कार्यालय बदायूं से प्राप्त सूची† के आधार पर किया गया है, जो संलग्न है। उसमें शैक्षिक योग्यता का विवरण वर्णित है।

चपरासी के पद पर निम्नलिखित ३ व्यक्ति चुने गये और उनकी योग्यता उनके नाम के सामने वर्णित है--

(१) लक्ष्मी नारायण, जूनियर हाई स्कूल।
(२) श्री चिरौंजी लाल, जूनियर हाई स्कूल।
(३) श्री रामचन्द्र, कक्षा ६।

लिये गये लोगों में केवल एक व्यक्ति परिगणित जाति का लिया गया जो कि क्रम संख्या ३ पर ऊपर दर्शाया गया है। इसका नाम श्री रामचन्द्र है।

देवरिया जिले में प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों का भत्ता

*५२--श्री बांकेलाल--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के तृतीय आम चुनाव में प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों ने पुलिस के सहायतार्थ जो ड्यूटी दी थी उसका भत्ता अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

जी हां। प्रान्तीय रक्षक दल के साठ स्वयं सेवकों ने ड्यूटी दी थी। इन स्वयं सेवकों को बार-बार अपना भत्ता लेने के लिये कहा गया पर वे भत्ता लेने नहीं आये ?

सरइया ग्राम के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*५३--श्री [illegible]क्षपाल सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि ग्राम सरइया, डाकखाना बढ़हरा, जिला देवरिया के प्रधान अथवा उनके परिवार के लोगों ने किसी सार्वजनिक मार्ग पर मकान बना कर उसे बन्द कर दिया है तथा अब प्रधान जी जबरदस्ती दूसरे लोगों के खेतों से सड़क निकलवा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक मार्ग पर बने अवरोध को हटाने तथा अन्य किसानों की परेशानी को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं।

कोषागार कर्मचारियों के सेवा नियम

*५४--श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेजरी के रिआर्गनाइजेशन तथा उसके कलक्ट्रेट से पृथक होने के परिणाम-स्वरूप उसके कर्मचारियों के सर्विस कंडीशन को निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री कैलाश प्रकाश--

कोषागारों के कर्मचारियों के सेवा नियमों का आलेख्य बन चुका है। उसे कुछ सम्बन्धित विभागों ने देख लिया है किन्तु अभी कई विभागों तथा अधिकारियों द्वारा उसका परीक्षण होना बाकी है। इन विभागों द्वारा परीक्षण के पश्चात् इसे अन्तिम रूप दे कर प्रकाशित किया जायेगा।

रेनकूट स्थित कास्टिक सोडा फैक्टरी का विषाक्त जल

*५५—सर्वश्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़), माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द जलाशय में मिर्जापुर जनपद के रेनकूट क्षेत्र में निर्मित प्रथम विशाल कास्टिक सोडा फैक्टरी श्री कनौरिया केमिकल्स द्वारा क्षारयुक्त विषैले पानी के छोड़े जाने से और उस पानी के पीने से अनगिनत जानवर अब तक मर चुके हैं, मछलियां मर चुकी हैं, आदमी बेहोश हो गये हैं और उससे पिपरी, ओबरा, चोपन तक के करीब ४० हजार ग्रामीणों की जान खतरे में पड़ने की सम्भावना बढ़ गई है और रिहन्द की मशीनों और पुर्जों पर भी खतरा बढ़ गया है ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं। प्रतिष्ठान के एम० एस० टैन्क में १० सितम्बर १९६४ को अचानक एक छेद हो जाने के कारण कुछ विषैला पानी एफलुएण्ट ड्रेन में होकर रिहन्द जलाशय तथा उससे मिली हुई नाली में चला गया जिससे कुछ मछलियां अवश्य मर गईं। इसके अलावा किसी प्रकार के जान या माल या मशीन को न तो नुकसान ही हुआ और न ऐसा होने की कोई सम्भावना ही है।

*५६--श्री झारखंडेराय, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, तथा श्री ऊदल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस ओर उसने कौन से कदम उठाये हैं ताकि यह अपार हानि बचाई जा सके ?

श्री बनारसीदास---

सेवाप्रोजकों को ऐसी दुर्घटना के रोकने के लिये उचित प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं।

छतहरा ग्रामवासियों का शिकायती पत्र

*५७---सर्वश्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा रामसुन्दर पांडेय--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम छतहरा (जगदीशपुर), पोस्ट रामपुर, जिला आजमगढ़ के कुछ व्यक्तियों का दिनांक २० फरवरी, १९६० का भेजा हुआ पत्र सहायक रजिस्ट्रार, जिला कोआपरेटिव सोसाइटीज, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है, जिसमें गलत ढंग से गल्ला तथा उसकी कीमत वसूल करने की शिकायत की गई है ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं।

*५८---सर्वश्री भीमाप्रसाद तथा रामसुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायती पत्र के सन्दर्भ में दिनांक १ मई, १९६४ को रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, उत्तर प्रदेश ने डिप्टी रजिस्ट्रार, गोरखपुर को पत्र लिख कर जांच कराने का आदेश दिया था और उक्त आदेश की प्रतिलिपि उक्त ग्राम के प्रार्थियों को भी भेजी गई थी ? यदि हां, तो जांच किससे कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री बनारसीदास—

उक्त पत्र के संदर्भ में जांच करने का कोई आदेश उपनिबन्धक, गोरखपुर को नहीं दिया गया था, बल्कि रजिस्ट्रार ने प्रश्न में उल्लिखित जांच का आदेश, आजमगढ़ जिले के कमल सागर-बीज भंडार से गल्ला के लेन देन से सम्बन्धित श्री श्रीनारायण अहीर, ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट रामपुर करही, जिला आजमगढ़ के दिनांक ४ अप्रैल, १९६५ के शिकायती-पत्र पर दिया था।

शिकायती पत्र की जांच अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, आजमगढ़ से कराई गई। जांच में शिकायत कर्ता २१४·४५ रु० गल्ले की कीमत के अब भी बकायादार पाये गये।

एटा जिले में विकास खंड कर्मचारियों का वेतन

*५९—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के विभिन्न विकास खण्डों में काम करने वाले ऐसे कौन-कौन कर्मचारी हैं जिनको १ अक्टूबर, १९६४ तक गत ६ मास से अधिक का वेतन नहीं मिला था तथा वेतन बकाया होने का कारण क्या है?

श्री राममूर्ति—

इस जिले के विभिन्न विकास खंडों में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसको १ अक्तूबर, १९६४ को गत ६ मास से अधिक का वेतन न मिला हो।

*६०—श्री बेदराम—

[तीसरे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नियोजन विभाग के अस्थायी कर्मचारी तथा देवरिया जिले में नियोजन कार्य

*६१—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग में ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवायें ५ वर्ष से ऊपर हो गई हैं उनके स्थायीकरण के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है? उनके स्थायी करने में विलम्ब का क्या कारण है?

*६२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में १९६४–६५ में नियोजन विभाग द्वारा देवरिया जिले के भटनी भाटपार, वनकटा, ब्लाक में कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

असन्दरा ग्राम से अस्पताल के लिये प्रार्थना-पत्र

*६३—श्री ख्यालीराम (जिला लखनऊ)—

क्या यह बात सही है कि असन्दरा ग्राम जिला बाराबंकी में औषधालय भवन बनाने के लिये निःशुल्क भूमि तथा आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार को वहां की जनता से हाल में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। ग्राम असन्दरा, जिला बाराबंकी की जनता ने मांग की है कि ग्राम मोतिक में कार्य कर रहे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय को ग्राम असन्दरा में स्थानान्तरित कर दिया जाय जिसके भवन के लिये ग्राम वासी निःशुल्क भूमि व १,००० रु० दान देने को तैयार हैं।

*६४—श्री खयालीराम—

क्या सरकार उक्त प्रस्ताव के अनुसार असन्दरा ग्राम में औषधालय बनाने का विचार कर रही है। यदि हां तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। क्योंकि ग्राम अन्सदरा की दूरी ग्राम मोतिकपुर से केवल दो मील की है अतः वहां की जनता मोतिकपुर में कार्य कर रहे चिकित्सालय से पूरा-पूरा लाभ उठा रही है।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय

*६५—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार प्रदेश में विशुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति पर कोई महाविद्यालय खोलने की योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि :

(अ) उक्त विद्यालय कब तक खोला जायगा,
(ब) कि स्थान पर खोल जायगा, तथा
(स) उसकी पूरी रूपरेखा क्या होगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*६६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[वापस ले लिया गया।]

*६७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[दूसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

डिबाई व दानपुर विकास खंड कूप निर्माण

*६८—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिबाई व दानपुर ब्लाक, जिला बुलन्दशहर में सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ में कितने कुओं के लिये तकावी दी गई और कितने कुओं का निर्माण हुआ? यदि नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—

दानपुर विकास खण्ड

सन्	कुओं की संख्या जिनको तकावी दी गई	निर्माण हो चुके कुओं की संख्या	यदि नहीं हुए तो क्या कार्यवाही की गई
१९६२-६३ ..	११	४	७ कुओं का निर्माण नहीं हुआ जिनके विरुद्ध रिकवरी आर्डर किये जा चुके हैं।
१९६३-६४ ..	२५	२७	५ कुए प्रगति में हैं।

डिबाई विकास खण्ड

सन्	कुओं की संख्या जिनको तकावी दी गई	निर्माण हो चुके कुओं की संख्या	यदि नहीं हुए तो क्या कार्यवाही की गई
१९६२–६३ ..	३९	७	सन् १९६२–६३ के ३२ अपूर्ण कार्यों के लिये दिए हुए धन के वसूली हेतु जिलाधीश को लिख दिया गया है।
१९६३–६४ ..	१७	३	१९६३–६४ के लिए अभी दिये धन की वसूली का समय नहीं हुआ है जिससे कार्यवाही नहीं की जा सकी।

*६९—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दानपुर व डिबाई ब्लाक, जिला बुलन्दशहर में सन् १९६२, १९६३, १९६४ में कितने काश्तकारों को सिंचाई के कुयें बनाने के लिये सीमेंट दिया गया और कितने काश्तकारों ने कुयें बनाये और जिन्होंने नहीं बनाये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—

दानपुर विकास खण्ड

सन्	काश्तकारों की संख्या जिन्हें कुएं बनाने को सीमेंट दिया गया है	उन संख्या	काश्तकारों की जिन्होंने कुएं बनवाये	जिन्होंने कुएं नहीं बनाये उनके विरुद्ध कार्यवाही
१९६२ ..	३३	३३	..	
१९६३ ..	१५	१०		५ काश्तकारों ने चकबन्दी पूरा न होने के कारण कुएं नहीं बनाये एवं रिकवरी आर्डर मय ब्याज के किये गये हैं।
१९६४ ..	७६	२६		५० कुओं का कार्य चालू है।

डिबाई विकास खण्ड

सन्	कुओं की संख्या जिनको तकावी दी गई	निर्माण हो चुके कुओं की संख्या	यदि नहीं हुए तो क्या कार्यवाही की गई
१९६२ ..	८	७	कृषक, जिसने कुआं नहीं बनाया। उनके विरुद्ध दिया गया सीमेंट के मूल्य की एकमुश्त वसूली के लिए जिलाधीश को लिखा जा चुका है।
१९६३ ..	३	३	..
१९६४ ..	३	३	..

मड़ियाहूं विकास क्षेत्र के पुराने कर्मचारी

*७०—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में कितने ऐसे कर्मचारी ए० डी० ओ० व बी० डी० ओ० हैं जो ५ वर्ष या उससे अधिक समय से इसी क्षेत्र में पड़े हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र मड़ियाहूं में २ चपरासी, व १ पत्रवाहक नियोजन विभाग के तथा १ कामदार व १ चौकीदार कृषि विभाग के ५ वर्ष या इससे अधिक समय से उसी विकास क्षेत्र में नियुक्त हैं।

*७१—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास क्षेत्र मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के उक्त कर्मचारियों का नाम क्या है ? वे एक ही क्षेत्र में इतने दिनों तक क्यों रखे गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र मड़ियाहूं जिला जौनपुर के उक्त कर्मचारियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

१—श्री फूलचन्द्र	..	चपरासी
२—श्री राम धनी	..	,,
३—श्री रामनाथ	..	पत्र वाहक
४—श्री महबूब खां	..	कामदार, कृषि विभाग
५—श्री सुन्दर ..	..	चौकीदार, कृषि विभाग।

उक्त वर्गों के कर्मचारियों को एक विकास क्षेत्र से स्थानान्तरित करने हेतु कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है।

*७२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विकास क्षेत्र मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में एक ही स्थान पर ५ वर्षों से अधिक काल तक रहने वाले कर्मचारी दलबन्दी, भाई-बिरादरी व गोलबन्दी के चक्कर में पड़े हैं जिससे विकास कार्यों में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं विकास क्षेत्र का कार्य सुचारुरूप से चल रहा है।

स्वास्थ्य विभाग, देवरिया के कर्मचारियों का भत्ता

*७३—श्री कैलाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग, देवरिया के कितने कर्मचारियों का टी० ए० बिल एवं तनख्वाह का १९६३ से अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान में विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७४-७५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २८-२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

क्षेत्र समितियों का चुनाव

*७६—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश में विकास खंडों की वर्तमान क्षेत्र समितियों के संगठन के पश्चात् पहली बार उक्त समितियों के चुनाव होने के बाद अगस्त सन् १९६४ तक नियमानुसार वार्षिक चुनाव नहीं हुआ ? यदि ऐसा हुआ, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

क्षेत्र समितियों का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है। वर्तमान क्षेत्र समितियों का गठन व चुनाव सन् १९६२ में हुआ था। अतएव सन् १९६४ में उक्त समितियों के चुनाव का प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों के कम्पाउन्डरों व डाक्टरों का वेतन

*७७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों में कार्य करने वाले डाक्टरों तथा ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों को क्या राजकीय अस्पतालों के डाक्टरों एवं कम्पाउन्डरों के बराबर महंगाई भत्ता एवं तनख्वाह देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राममूर्ति—

सरकारी तथा जिला परिषदों के कम्पाउन्डरों का वेतनक्रम एक है। सरकारी डाक्टरों तथा जिला परिषदों के डाक्टरों का वेतनक्रम ३१-१०-६४ तक एक था परन्तु नवम्बर १, १९६४ से सरकारी डाक्टरों का वेतनक्रम पृथक हो गया। जिला परिषदों के डाक्टरों के वेतनक्रम को उसके समान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जिला परिषदों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है।

तकावी वितरण

*७८—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से इस आशय का कोई निदेश सितम्बर, १९६४ में प्राप्त हुआ है कि सरकार सभी प्रकार के तकावी लोन को सहकारी समितियों के ही माध्यम से वितरित करने की व्यवस्था करे? यदि हां, तो पूरी योजना क्या है तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है?

श्री बनारसीदास—

जी हां। परन्तु योजना क्या है यह तो यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कमरे में आकर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला सहकारिता कार्यालय, प्रतापगढ़ के कर्मचारियों का प्रावीडेंट फंड

*७९—श्री बाबूलाल श्रीवास्तव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारिता कार्यालय, प्रतापगढ़ से जिन कर्मचारियों ने १९५२ में अवकाश ग्रहण किया है उनमें से ऐसे कौन-कौन कर्मचारी हैं जिनके प्रावीडेंट फंड का पैसा अभी तक उनको नहीं दिया गया तथा क्यों?

श्री बनारसीदास—

सहकारी विभाग के किसी भी कर्मचारी ने सन् १९५२ में जिला सहकारी कार्यालय प्रतापगढ़ से अवकाश ग्रहण नहीं किया, अतः प्रश्न के अन्य भागों का उत्तर भी नकारात्मक है।

*८०—श्री बाबूलाल श्रीवास्तव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रावीडेंट फंड का पैसा प्रश्न में उल्लिखित कर्मचारियों को कब तक दे दिया जायेगा?

श्री बनारसीदास—

उक्त स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फतेहपुर जिले में पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति

*८१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में पंचायत मन्त्रियों की नियुक्ति उनके निवास स्थान के १० मील के अन्दर की जाया करे तथा जो अधिक दूरी पर कार्य कर रहे हैं उन्हें १० मील के अन्दर सुविधाजनक स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया जाय?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

शासन द्वारा ऐसा आदेश भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*८२-८३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

[दूसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

श्रम कार्यालय कर्मचारी, श्री प्रेमशंकर का निलम्बन

*८४—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम कार्यालय के कर्मचारी, श्री प्रेम शंकर जो कि लेबर डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल इम्पलाइज एसोशियेशन के प्रधान मंत्री भी हैं, को उनकी सेवाओं से कब निलम्बित किया गया ?

श्री बनारसीदास—

९ दिसम्बर, १९६३ से ?

*८५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनको निलम्बित हुए लगभग ८ मास से अधिक समय हो गया है फिर भी कोई निर्णय न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

उनके मामले में अधिक समय लगने का कारण यह है कि जब उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही थी तो उन्होंने पुनः अनुशासनहीनता का व्यवहार किया जिसके लिये फिर से चार्जशीट देनी पड़ी। कुछ तारीखों में यह जांच में सम्मिलित भी नहीं हुए।

*८६—श्री ऊदल—

[चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सरपंच, न्याय पंचायत विस्कोहर के विरुद्ध कार्यवाही

*८७—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में जिला अधिकारियों के आचरण के विरुद्ध न्याय पंचायत के सरपंचों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें सन् १९६४ के प्रारंभ से प्राप्त हुई है ? क्या उनकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसका फल क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति—

जिला बस्ती के जिला अधिकारियों के आचरण के विरुद्ध अभिलेखों के आधार पर कोई शिकायत नहीं पाई गयी।

न्याय पंचायत विस्कोहर के सरपंच के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक २५ जुलाई, १९६४ को सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिया गया था। उक्त शिकायती पत्र पर जांच हुई और जांच के फलस्वरूप उक्त सरपंच के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही हेतु परगनाधीश को लिखा जा रहा है।

बिक्री-कर

*८८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में प्रदेश में कितना बिक्री-कर लगाया गया, कितना पुराना या नया कर एक्जम्प्ट कर दिया और कुल बकाया कितना था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वर्ष १९६३–६४ में १६.०६ करोड़ रुपये का बिक्री-कर लगाया गया तथा इस वर्ष १७.३१ लाख रुपये की कर की माफी दी गयी। साल के अन्त में ११.७१ करोड़ रुपये की धनराशि वसूल करने से बाकी रह गई। इस धनराशि में पिछले सालों की भी बकाया धनराशि सम्मिलित है।

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर के कर्मचारियों की मांगें

*८९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित लेबर कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा श्रम आयुक्त, कानपुर के माध्यम से शासन को कोई ज्ञापन दिनांक ३० जुलाई, १९६४ को मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतायेगी कि उन मांगों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कमालगंज अस्पताल के कर्मचारियों का वेतन

*९०—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६३ तथा १९६४ में विभिन्न महीनों में फर्रुखाबाद के कमालगंज अस्पताल तथा जच्चा-बच्चा केन्द्र पर काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों को वेतन किन-किन तारीखों पर मिले ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना †माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

*९१—श्री सूबेदार सिंह—

क्या यह सही है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी कुछ कर्मचारियों को उनका वेतन पहले दे देते हैं और कुछ को बाद में देते हैं ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, इसलिये कि अस्पताल के कर्मचारियों का एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र कमालगंज के कर्मचारियों का वेतन अलग-अलग मदों वे अलग-अलग दिन निकलता है। कमालगंज मेटरनिटी सेन्टर का वेतन जिले के अन्य जच्चा बच्चा के साथ खजाने से उस दिन निकाला जाता है जिस दिन पूरे केन्द्रों के बिल का भुगतान होने की संभावना होती है।

*९२—श्री सूबेदार सिंह—

क्या यह सही है कि जच्चा-बच्चा केन्द्र, कमलागंज पर काम करने वाली दाइयों की तनख्वाहों में से कटौती करने के बाद वहां की मिडवाइफ उन्हें वेतन देती है ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

दिनांक १ जनवरी १९६३ से ३० सितम्बर १९६३ तक लगभग सभी दाइयों को चिकित्साधिकारी, कमालगंज द्वारा ही भुगतान किया गया था। उसके पश्चात् १ अक्तूबर १९६३ से मई, १९६४ तक चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति में जच्चा बच्चा केन्द्रों पर मिडवाइफ तथा कम्पाउन्डर द्वारा भुगतान किया गया था। जब १९ मई, १९६४ को चिकित्साधिकारी आये तो पुनः दाइयों का भुगतान उनके द्वारा किया जाने लगा।

मिडवाइफ द्वारा केवल आठ बार स्थायी दाइयों का वेतन एवं केवल तीन बार प्रशिक्षण दाइयों का वजीफा एक-एक मास का भुगतान किया गया, क्योंकि उस समय प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कमालगंज में कोई चिकित्साधिकारी नहीं था। स्थायी दाइयों ने कटौती के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है। कुछ प्रशिक्षण दाइयों ने ऐसी और इससे मिलती जुलती शिकायतें की हैं जिस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी फतेहगढ़ आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

औरैया परगने में प्रधानों के विरुद्ध जांच

*९३—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६४ से अगस्त, १९६४ के बीच इटावा जिले के परगना औरैया में किन-किन ग्राम प्रधानों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के संबंध में शासन द्वारा जांच कराई गई ? क्या-क्या तथ्य सामने आये तथा सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जनवरी, ६४ से अगस्त, ६४ के बीच इटावा जिले के परगना औरैया के २४ प्रधानों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी शिकायती-पत्र प्राप्त हुये, जिन पर की गई कार्यवाही का पूर्ण †विवरण संलग्न है।

*९४-९५—[हटा दिया गया।]

बिक्री-कर का बकाया

*९६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६४ के तृतीय सप्ताह में बिक्री-कर के बकाया रुपये की वसूली में छूट करने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है और यह आदेश जारी करने का क्या कारण है तथा इस आदेश के कारण सरकार को कितने रुपये की हानि होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अक्तूबर, १९६४ के तृतीय सप्ताह में बिक्री-कर के बकाया रुपये की वसूली में छूट देने का कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था यद्यपि इसी माह की २४ तारीख को सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा उन कच्चे आढ़तियों को जो राब का व्यापार करते हैं १९५९-६० से लेकर १९६३-६४ तक के निर्धारित कर की ५० प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया गया। यह छूट वैसी ही है जैसी की गल्ला, गुड़ और तिलहन में काम करने वाले कच्चे आढ़तियों को कर की वसूली में कठिनाई होने के कारण दी गयी थी। ऐसे आढ़तियों को निर्धारित कर की ५० प्रतिशत धनराशि ३१-३-१९६५ तक जमा कर देनी है। अतः इस आज्ञा से सरकार को कितनी हानि होगी उसका अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है।

---

†छापा नहीं गया।

सहपइ ब्लाक कर्मचारियों की भूख हड़ताल

*९७—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहपइ ब्लाक जिला मथुरा में १ अक्तूबर, १९६४ को ५२ आदमियों ने भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो वह भूख हड़ताल क्यों की गई थी ?

श्री राममूर्ति—

१ अक्तूबर, ६४ को २०–२५ व्यक्तियों ने भूख-हड़ताल की थी । यह हड़ताल कुछ गांवों से वर्षा का पानी निकालने के बारे में थी ।

*९८—श्री मुहम्मद रफी खां—

उस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिये जिला अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिये थे ? यदि कोई दिये थे, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—

उस भूख हड़ताल को खत्म कराने के लिये अधिकारी वर्ग कोई भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं था । न उनकी ओर से कोई आश्वास्न दिया ही गया । यों, पानी निकालने के लिये एक नाला खोदा जा चुका है ।

वैद्यों, हकीमों व ऐपीडैमिक असिस्टेंटों का वेतन-क्रम

*९९—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जोशी कमेटी सिफारिश के आधार पर प्रदेशीय सरकार के अधीन कार्य करने वाले आयुर्वेदिक यूनानी स्नातकों को जी० ओ०नं० १९९६/सी० बी०–८८–१९६२, दिनांक २५ मई, १९६४ के अनुसार नया वेतन-क्रम देने की जो सरकार ने घोषणा की है उसके अनुसार चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के किस-किस कैडर के आयुर्वेदिक व यूनानी स्नातक लाभान्वित होंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत १२०–२०० रु० के वेतन क्रम में अधीनस्थ (अराजपत्रित) चिकित्सा सेवा (आयुर्वेद एवं यूनानी) एवं २००–४०० रु० के वेतन क्रम में अधीनस्थ (राजपत्रित) चिकित्सा सेवा (आयुर्वेद एवं यूनानी) के वैद्य एवं हकीम लाभान्वित होंगे ।

*१००—श्री राममूर्ति 'अंचल' तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक यूनानी शाखा के स्नातकों के समान योग्यता व स्टेटस वाले प्रदेशीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने वाले ऐपीडैमिक असिस्टेंट के बारे में उपर्युक्त जी० ओ० के अनुसार सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

राजाज्ञा संख्या १९९६–सी० आई०/५–८८-१९६२, दिनांक २५ मई, १९६४ जन-स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नहीं होता है ।

*१०१—श्री राममूर्ति 'अंचल' तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एपीडैमिक असिस्टेन्ट का नाम प्रेक्टिसिंग एलाउन्स एवं डैजिगनेशन एवं कन्फर्मेशन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन लगभग चार वर्ष से है ? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐपीडेमिक असिस्टेन्टों को नान प्रेक्टिसिंग एलाउन्स (non-practising allowance) देने के प्रस्ताव को आर्थिक संकट के कारण सरकार ने अच्छे समय के लिये स्थगित कर दिया है। इनको अब हिन्दी में "महामारी निरोध सहायक" तथा अंग्रेजी में "ऐपिडैमिक असिस्टेन्ट" के पदनाम से संबोधित करने का निश्चय किया गया है। और इनमें से जो अस्थाई हैं उनके कनफरमेशन (Confirmation) के लिये स्वास्थ्य निदेशक को उचित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अलीगंज तहसील में विकास-कार्य

*१०२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला नियोजन अधिकारी एटा का पत्रांक सा० लि० दिनांक २२ सितम्बर, १९६४ तथा मेरा पत्र दिनांक २१ अक्तूबर, १९६४ जिला एटा की तहसील अलीगंज के परगना निधपुर के विकास हेतु उप-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कम्युनिटी डेवलपमेन्ट (सी) विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निम्नलिखित के विषय में क्या योजना बनाई जा रही है — (१) पुलों के निर्माण हेतु, (२) गंगा नदी के बांध बनाने हेतु, (३) विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु, (४) आदमी एवं पशुओं के अस्पताल बनाने हेतु, और (५) विद्युत शक्ति पहुंचाने हेतु ?

श्री राममूर्ति—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०३—श्री राजेन्द्रसिंह—

[हटा दिया गया।]

बांदा जिले में अवैध मादक वस्तुओं संबंधी चालान

*१०४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में हर थाने से सन् १९६३ व १९६४ में पृथक्-पृथक कितने चालान गांजा, भांग तथा असलहा बरामद करने के संबंध में हुए और उक्त चालानों में से कितने व किस-किस जुर्म में सजा पाये तथा कितने बरी हो गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सन् १९६३ व १९६४ में बांदा जिले में थानेवार असलहा या गांजा भांग की नाजायज बरामदगी पर किये गये चालानों, सजा पाये, रिहा तथा शेष का ब्योरा संलग्न† तालिका में दिया है।

---

†छापी नहीं गई।

हरदोई जिले के विकास खंडों में जीपें

*१०५—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के कितने विकास खण्डों में जीपों की व्यवस्था नहीं है तथा क्यों ?

श्री राममूर्ति—

हरदोई जिले के पांच विकास खण्डों में जीपों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वर्तमान आपातकालीन स्थिति में नये खण्डों को जीपों का दिया जाना स्थगित है।

*१०६—श्री परमाईलाल—

क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जहां जीप की व्यवस्था नहीं है वहां यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—

इस समय यह कहना संभव नहीं है कि जीपों की व्यवस्था कब तक हो सकेगी।

गिरवां सहकारी समिति में गबन

*१०७—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के महुआ ब्लाक के अन्तर्गत गिरवां सहकारी समिति में दो सुपरवाइजरों के चार्ज लेने-देने में दस हजार रुपयों का गायब होना बताया जाता है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

*१०८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

अगर यह बात सत्य है तो सरकार उपरोक्त धनराशि को प्राप्त करने की क्या योजना बना रही है ?

श्री बनारसीदास—

गबन की रिपोर्ट पुलिस में की जा चुकी है। आगे की कार्यवाही पुलिस की रिपोर्ट आ जाने पर ही की जा सकेगी।

*१०९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

सरकार दोषी अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? इसकी पूर्ण रिपोर्ट देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

दोषी अधिकारियों के प्रति कार्यवाही पुलिस की रिपोर्ट के आ जाने पर ही की जा सकती है।

बस्ती जिले के सेनेटरी इंसपेक्टरों के खिलाफ शिकायतें

*११०—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास खण्डों के किन-किन सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध जनवरी, १९६४ से १५ सितम्बर तक कितनी कितनी शिकायतें जनता की ओर से प्राप्त हुईं तथा उनके संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

*१११—क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले के विकास खण्ड बढ़ती के वर्तमान सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के खिलाफ जुलाई अथवा अगस्त, १९६४ में कोई जांच शासन द्वारा जनता की शिकायत पर कराई गई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या आरोप थे तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फेमिली प्लानिंग एक्सटेंशन एजूकेटरों की नियुक्ति

*११२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैमली प्लानिंग विभाग में कितने फैमली एक्सटेंशन प्लानिंग एजूकेटर की नियुक्ति का मामला सरकार के विचाराधीन है एवं उनकी शैक्षिक योग्यतायें और वेतन-क्रम क्या निर्धारित किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

६६७ फैमिली प्लानिंग एक्सटेंशन एजूकेटरों की नियुक्ति का मामला सरकार के विचाराधीन है । उनकी शैक्षिक योग्यताएं और वेतन क्रम निम्न प्रकार हैं :

अनिवार्य योग्यताएं

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में एम० ए० की उपाधि :

(१) समाज सेवा (Social Work)

(२) सामाजिक विज्ञान (Social Science)

(३) सामाजिक शास्त्र (Sociology)

(४) सामाजिक मनोविज्ञान (Socio-psychology)

(५) शिक्षा (Education)

(६) कलचरल ऐन्थ्रापालोजी (Cultural Anthropology)

अपेक्षित योग्यताएं

निम्नलिखित में किसी एक का ३ वर्ष का अनुभव :

(१) परिवार नियोजन,

(२) शोध अध्यापन ।

वेतन-क्रम

२००–१५–३५० रु० ।

*११३—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फेमिली प्लानिंग विभाग के लेडी व मेल सोशल वर्कर का वेतन-क्रम एवं शैक्षिक योग्यता न्यूनतम और अधिकतम क्या निर्धारित है ? इन दोनों के कार्य व क्षेत्र में कितना अन्तर है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेल सोशल वर्करों की न्यूनतम योग्यता बी० ए० की उपाधि है । उनका वेतन-क्रम १२०–८–२०० द० रो० १०–३०० है। लेडी सोशल वर्कर जो० बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तथा कम से कम हाई स्कूल परीक्षा पास है उनको ७५–१५० रु० का वेतन-क्रम दिया जाता है। तथा जो० बी० ए० की उपाधि प्राप्त होती है। उनको १२०–३०० रु० का वेतन क्रम दिया जाता है । लेडी तथा मेल सोशल वर्करों के कार्य में कोई अन्तर नहीं है। लेडी सोशल वर्कर का कार्य क्षेत्र महिलाओं तक ही सीमीत है तथा मेल का पुरुषों तक ।

समाज सेवकों का यात्रा भत्ता

*११४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन विभाग में काम करने वाले समाज सेवक को निर्धारित टी० ए० क्यों नहीं दिया जाता जबकि महिला समाज सेविका को २० रु० प्रति माह दिया जाता है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

पुरुष समाज सेवक तथा महिला समाज सेविकाओं को कोई निर्धारित टी० ए० नहीं दिया जाता ।

देवरिया जिले में जन-शक्ति उपयोग योजना

*११५—श्री उग्रसेन—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती में जन श्रम उपयोगी योजना के अन्तर्गत १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में जिलेवार कितनी रकम की स्वीकृति थी और कितना धन खर्च किया गया ?

*११६—क्या नियोजन मंत्री को जिला अधिकारियों से शिकायत मिली हैं कि उक्त योजना कड़े नियम के कारण लाभदायक नहीं सिद्ध हो रही है ?

*११७—क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत १९६३–६४ और १९६४–६५ में कौन-कौन से कार्य देवरिया जिले में संपादित किये गये और उन पर कितना खर्च पड़ा ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अपर इंडिया शुगर एक्सचेंज मैटरनिटी अस्पताल, कानपुर में गलत खून देने से विमला देवी की मृत्यु

*११८—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जच्चा-बच्चा अस्पताल अपर इंडिया शुगर एक्सेंज, कानपुर, में दिनांक १६ मार्च, १९६४ को श्रीमती विमला को दाखिल किया गया जिनकी उसी दिन रात में अस्पताल में ही मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इसके कारण क्या-क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमती विमला देवी अपर इंडिया शुगर एक्सेंज मैटरनिटी अस्पताल, कानपुर में दिनांक १६ मार्च, १९६४ को भरती हुई थीं। उनकी मृत्यु १६ मार्च, १९६४ को नहीं बल्कि १७ मार्च १९६४ को ७।। बजे सन्ध्या को अस्पताल में हुई। उन्हें फुल टर्म प्रिगनेन्सी व एनिमिया था। उनकी मृत्यु का कारण उनके शरीर में गलत खून चढ़ाया जाना बताया गया है।

*११९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि श्रीमती विमला देवी को अस्पताल में जो खून दिया गया वह अस्पताल के किस कर्मचारी ने किसके आदेश से दिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमती विमला देवी को स्टाफ नर्स स्नेहलता लूथर ने स्वयं खून चढ़ाया, डाक्टर (कु०) रामा बाजपेयी ने जो इस केस को देख रही थीं स्टाफ नर्स को श्रीमती विमला देवी के खून चढ़ाने की सभी सामग्री तैयार करने के उपरान्त नर्स ने खून की बोतल जिसे एक जमादार आपरेशन थियेटर के रिफरीजेटर से उठा लाया था बिना डाक्टर को बताये अपने आप चढ़ाना शुरू कर दिया। यह कार्य उसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता था। स्टाफ नर्स ने खून के ग्रूप को भी नहीं जांचा कि यह श्रीमती विमला देवी के लिये ही हैं जब कि वह खून दूसरे मरीज को चढ़ाने के लिए था।

*१२०—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती विमला देवी की माता श्रीमती रानी देवी ने इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक ११ जुलाई, १९६४ को स्वास्थ्य मंत्री व अन्य विभागीय अधिकारियों को दिये हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमती विमला देवी की माता श्रीमती रानी देवी ने एक प्रार्थना पत्र १७-७-६४ को स्वास्थ्य मंत्री व अन्य विभागीय अधिकारियों को भेजा था। इस संबंध में डा० तागड़ी, अधीक्षक, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज व संबंधित अस्पताल, कानपुर व उपस्वास्थ्य सेवा निदेशक व सुपरिन्टेन्डेन्ट नर्सिंग सर्विसेज ने भी जांच की है। इस जांच के परिणामस्वरूप डा० बाजपेयी और स्टाफ नर्स स्नेहलता लूथर को जिम्मेदार ठहराया गया। डाक्टर बाजपेई की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया तथा नर्स के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जा रही है। वह इस समय निलम्बित हैं। जांच अभी जारी है।

उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव लैंड डैवेलपमैंट बैंक, लखनऊ की शाखा जौनपुर

*१२१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय, (जिला जौनपुर) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव लैन्ड डेवेलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई और कितनी पूंजी से हुई ?

श्री बनारसीदास--

उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव लैण्ड बैंक, लि०, लखनऊ का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) १२ मार्च, सन् १९५९ को हुआ था मगर इसका काम १९६०-६१ के साल में शुरू हुआ। शुरूआत में इसकी पूंजी १५ लाख रुपये थी।

*१२२--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बैंक के चेयरमैन को वेतन अथवा पुरस्कार भत्ता तथा अन्य साधनों के रूप में क्या दिया जाता है?

श्री बनारसीदास--

बैंक के चेयरमैन के बजाय प्रेसिडेंट का अवैतनिक पद है। उन को ३०० रु० फिक्स्ड टी० ए० तथा मकान, दौड़े पर १ १/२ प्रथम श्रेणी का किराया व १० रु० प्रति दिन भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा एक अर्दली भी मिलता है।

*१२३--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जौनपुर में उक्त बैंक की शाखा किराये के मकान में है अथवा निजी मकान में? यदि किराये के मकान में है, तो मकान मालिक कौन है और उसका किराया कितना दिया जाता है?

श्री बनारसीदास--

उत्तर प्रदेश राज्य कोआपरेटिव लैण्ड डेवलपमेंट बैंक, लि०, लखनऊ की जौनपुर की शाखा किराये के मकान में है। मकान मालिक श्री मेंहदी जाफरी हैं। और उस मकान का किराया तीस रुपये मासिक है।

फर्रुखाबाद सहकारी क्रय-विक्रय संघ में खाद के स्थान पर नमक

*१२४--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद सहकारी क्रय-विक्रय संघ में सन् १९६३ या १९६४ के प्रारम्भ में ५० बोरे खाद के स्थान पर नमक के बोरे पकड़े गये? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बनारसीदास--

इस प्रश्न का जवाब प्रथम सत्र, १९६४ के ४थे बुधवार को श्री होरीलाल यादव के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के सन्दर्भ में दिया जा चुका है।

*१२५--श्री दयाराम शाक्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ५० बोरे खाद का मूल्य किससे और किस प्रकार वसूल किया गया और कब?

श्री बनारसीदास--

विभागीय जांच में श्री रामशंकर दीक्षित को उक्त मामले में उत्तरदायी ठहराया गया। अतः समिति के प्रेसिडेंट ने उन से खाद का दाम मुब्लिग १,८७० रुपया वसूल कर के दिनांक १५ जनवरी, १९६४ को समिति के खाते में जिला सहकारी बैंक, फर्रुखाबाद में जमा कर दिया।

स्टेबिलाइजेशन फंड

*१२६—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरल क्रेडिट तथा मेहता कमेटी की सिफारिश के अनुसार यू० पी० स्टेट कोआपरेटिव बैंक में स्टैबिलाइजेशन फण्ड निर्माण किया है कि नहीं? यदि हां, तो उस में कितनी पूंजी है और अगर नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

जी हां। इस फण्ड के अन्तर्गत ३० जून, १९६४ तक ६,४७,९६० रु० जमा हो चुका है।

जिला सहकारी बैंकों के मनोनीत डाइरेक्टर

*१२७—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में जो राजकीय मनोनीत डाइरेक्टर, जिला सहकारी बैंक में नियुक्त किये गये थे उनके मनोनीत करने पीछे क्या उसूल राज्य सरकार ने निश्चित किया था?

श्री बनारसीदास—

वर्ष १९६३–६४ में जुलाई, सन् १९६३ जिला सहकारी बैंकों में शासन द्वारा जो व्यक्ति मनोनीत किये जाते थे सम्बन्धित जिले का उनमें सहायक निबन्धक होता था और दो गैर-सरकारी व्यक्ति होते थे। जुलाई, १९६३ से मनोनीत करने की नीति में परिवर्तन किया गया और निम्नलिखित व्यक्ति मनोनीत किये जाने लगे :—

(१) अध्यक्ष, जिला परिषद्,

(२) स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा का एजेन्ट,

(३) जिले का सहायक निबन्धक।

*१२८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मन्त्री सहकारी वर्ष, १९६३–६४ के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला सहकारी बैंकों में मनोनीत डाइरेक्टरों की सूची के नाम बतायेंगे?

श्री बनारसीदास—

†सूची संलग्न है।

*१२९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मन्त्री वर्ष १९६४–६५ के लिए जिला सहकारी बैंकों में मनोनीत डाइरेक्टरों की सूची (नाम) बताने की कृपा करेंगे तथा उनके मनोनयन के पीछे क्या पिछले २ वर्षों से चल रही नीति अपनायी गयी? यदि अन्तर पड़ा है, तो कहां और क्यों?

श्री बनारसीदास—

†सूची संलग्न है। अगस्त, सन् १९६४ से मनोनयन के उसूल में परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार जो उसूल जूलाई, सन् १९६३ से पहले था वही अपनाया गया। यानी मनोनीत व्यक्तियों में जिले का सहायक निबन्धक और दो गैर सरकारी व्यक्ति जो ऐक्टिव कोआपरेटर होते हैं और बैंक से सम्बन्धित सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, मनोनीत किये जा रहे हैं। यह परिवर्तन इस तजुर्बे की वजह से किया गया कि बहुत से ऐजेंट स्टेट बैंक और अध्यक्ष, जिला परिषद् कोआपरेटिव संस्थाओं के काम में दिलचस्पी नहीं रखते थे।

---

†छापी नहीं गयी।

डालडा में रंग मिलाने पर विचार

*१३०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के विनिश्चय के अनुसार डालडा में रंग डालने का प्रश्न कब से विचाराधीन हैं और कब तक यह कार्य सम्पन्न होगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डालडा में रंग डालने का प्रश्न सन् १९५० से विचाराधीन है। अब तक जो रंग प्राप्त हुये और जिन रंगों पर तजुर्बा किया गया वे कोई सन्तोषजनक नहीं पाये गये। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब तक कोई उपयुक्त रंग प्राप्त होगा और कब से डालडा में उसका प्रयोग किया जा सकेगा।

स्प्रिट की खरीद

*१३१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक मलेरिया द्वारा स्प्रिट की खरीदारी विभाग के लिए होती है या नहीं ? यदि होती है, तो गत तीन वर्षों में प्रदेश भर के लिए किस-किस स्थान से स्प्रिट खरीदी गयी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, उप निदेशक, मलेरिया द्वारा मलेरिया विभाग के लिए स्प्रिट की खरीदारी होती है। सन १९६१–६२ में रेक्टिफाइड स्प्रिट मेसर्स कैरिउ ऐन्ड कम्पनी लिमिटेड, रोजा, शाहजहांपुर से तथा सन १९६३–६४ में रेक्टिफाइड स्प्रिट मेसर्स सेन्ट्रल डिस्टिलरी ऐन्ड केमिकल वर्क्स लिमिटेड मेरठ कैन्ट से खरीदी गयी। सन् १९६२–६३ में कोई खरीदारी नहीं हुई।

*१३२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न भागों में डिस्टिलरी होने के बावजूद क्या उसने कोई कोटेशन या टेंडर मांगा गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और यदि नहीं, तो एक ही जगह से उपरोक्त खरीदारी का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, सन् १९६१–६२ में निम्नलिखित डिस्टिलरियों से कोटेशन मांगे गये थे:—

(१) डायर मिकिन ब्रेवरीज लिमिटेड, लखनऊ।
(२) कैरिउ ऐन्ड कम्पनी, रोजा, शाहजहांपुर।
(३) सेन्ट्रल डिस्टिलरी ऐन्ड केमिकल वर्क्स, लिमिटेड, मेरठ कैन्ट।
(४) अजुधिया डिस्टिलरी, मुरादाबाद।
(५) अवध सूगर मिल, हरगांव, सीतापुर।
(६) सरैया डिस्टिलरी, सरदारनगर, गोरखपुर।

मेसर्स कैरिउ ऐन्ड कम्पनी, रोजा, शाहजहांपुर का कोटेशन सब से कम होने के कारण उन से रेक्टिफाइड स्प्रिट १९६१–६२ में खरीदी गयी थी।

सन् १९६२–६३ में कोई खरीदारी नहीं हुई। सन् १९६३–६४ में उपरोक्त डिस्टिलरियों से कोटेशन मांगे गये थे। मेसर्स सेन्ट्रल डिस्टिलरी ऐन्ड केमिकल वर्क्स लिमिटेड मेरठ कैन्ट का कोटेशन सब से कम होने के कारण उन से रेक्टिफाइड स्प्रिट खरीदी गयी।

*१३३—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

[दूसरे गुरुवार के लिए प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उनबल औषधालय के कम्पाउण्डर बेचू मिश्र की पेंशन

*१३४—श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बेचू मिश्र, भूतपूर्व कम्पाउण्डर, राजकीय औषधालय, उनबल, जिला गोरखपुर का जो ३० जून, १९६३ को रिटायर हुये अब तक पेंशन न मिलने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पेन्शन सम्बन्धी कागजों को पूरी तरह ठीक होने में कई महीनों की देर हो गयी, क्योंकि महालेखाकार और विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के बीच लिखा-पढ़ी चल रही थी। पूरे कागजात महालेखाकार, इलाहाबाद को २८ सितम्बर, सन् १९६४ को भेजे गये और स्मरण-पत्रों के भेजने के बावजूद भी उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। शीघ्रता करने के लिए उन्हें तार भी भेजा गया है।

*१३५—श्री गणेशप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पेंशन मिलने में कितना विलम्ब लगेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अब कोई विशेष विलम्ब न होगा। जैसे ही महालेखाकार के यहां से कागजात वापस मिले, वैसे ही आवश्यक आदेश जारी कर दिया जायगा।

*१३६—श्री गणेशप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में निम्न कर्मचारियों की पेंशन रिटायरमेंट की तिथि से अधिक से अधिक ६ महीने के अन्दर दे दी जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कालावधि निर्धारित करना तो जरा कठिन होगा। परन्तु हां, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को शीघ्र से शीघ्र पेंशन दिलाये जाने की प्रत्येक सम्भव चेष्टा की जाती है और सम्बन्धित अधिकारियों को बराबर सचेत किया जाता रहता है।

बृज यात्रा मार्ग

*१३७—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला परिषद् ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर मंजूर किया कि बृज यात्रा की ५३ मील सड़क का निर्माण कराया जाय और उसका कोई नक्शा बनाकर भेजा है ? यदि हां, तो उस निर्माण के लिए सरकार से कितने धन की सहायता की मांग की गयी है और अब तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, मथुरा ने अक्तूबर, १९६४ में प्राप्त अपने एक पत्र में शासन को सूचित किया है कि जिला परिषद् ने बृज यात्रा के ५३ मील लम्बे कच्चे मार्ग को पक्का कराने की योजना तैयार की है। परिषद् ने इस कार्य के लिए शासन से तीन लाख रुपये के अनुदान की मांग की है जो शासन के विचाराधीन है।

कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, लखनऊ द्वारा ऋण वितरण

*१३८--सर्वश्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) तथा पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या यह सत्य है कि समितियों को रुपया सीधे न देकर जो लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि० के माध्यम से दिया जाता है संघ इस रुपया का दुरुपयोग करता है और सालों रुपया समितियों को न दे कर अपने इस्तेमाल में लाता है और ब्याज समितियों पर पड़ता है? यदि हां, तो इन अनियमितताओं के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी और क्या सरकार इस पद्धति को जनहित में समाप्त करवाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं।

*१३९---सर्वश्री रामकिशोर वर्मा तथा पातीराम अहरवार---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि इन समितियों की जो धनराशि संघ में जमा है उस पर संघ ब्याज नहीं देती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस रुपये पर प्रारम्भ से ब्याज दिलवाने की व्यवस्था करेगी और जो अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं उन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री बनारसीदास---

संघ से सम्बन्धित समितियों ने कोई मियादी अमानत संघ में नहीं रखी है। समितियां अपने दुग्ध बिल के माध्यम से हर महीने कुछ न कुछ रुपया जमा करती तथा आवश्यकतानुसार निकालती रहती हैं। इस चालू खाते में जमा की हुई रकम पर संघ द्वारा ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

*१४०---सर्वश्री रामकिशोर वर्मा तथा पातीराम अहरवार---

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड का मन्त्री Chief Dairy Development Officer हैं? यदि हां, तो उन्हें इस पद से कब तक हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास---

सरकार के चीफ डेरी डेवेलपमेंट आफिसर, लखनऊ कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के अवैतनिक मन्त्री भी हैं। सरकार में अपनी नियुक्ति से पहले वह यूनियन के वैतनिक मन्त्री थे। उन के वहां से हटने के बारे में सरकार कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझती है।

लखनऊ में सहकारिता भवन का अधूरा निर्माण

*१४१---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में रायल होटल, विधान सभा मार्ग के सामने जो सहकारिता भवन अधबना खड़ा है उस पर अब तक क्या खर्चा हुआ है तथा उस पर और कितने खर्चे का अनुमान है तथा वह कब तक पूरा बन जायेगा?

श्री बनारसीदास---

अब तक रु० ७,९१,७१६.४४ पैसे खर्च हो चुके हैं। पूरे भवन के निर्माण पर अनुमानित व्यय रु० १७,४१,७०१.२५ पैसे था चूंकि इस समय काम बन्द हो गया है इसलिए यह अनुमान लगाना कि अब और कितना खर्च होगा, इस समय सम्भव नहीं है। जहां तक भवन

के पूरा होने का प्रश्न है, चूंकि ठेकेदार द्वारा दीवानी अदालत में चलाये गये मुकदमें का अभी निर्णय नहीं हुआ है इसलिए निर्णय हो जाने पर ही शेष भवन के निर्माण की अवधि निश्चित की जा सकती है।

ग्राम सभा, मिनिहनी के प्रधान का निलम्बन

*१४२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा भिनिहनी ब्लाक बिसवां, जिला सीतापुर, के प्रधान को जो ग्राम सभा की आमदनी का गबन करने के सिलसिले में पदच्युत किया गया था उनके विरुद्ध क्या अदालती कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

प्रधान ग्राम सभा, मिनिहिनी, ब्लाक बिसवां, जिला सीतापुर, को गांव सभा की आमदनी के गबन करने के सिलसिले में पदच्युत नहीं किये गये और न ही उनके विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही की गयी। प्रधान को परगनाधीश ने गांव सभा की सम्पत्ति दुरुपयोग करने के आरोपों में निलम्बित किया है तथा प्रधान के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही परगनाधीश के विचाराधीन है।

*१४३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा भिनिहनी ब्लाक बिसवां, जिला सीतापुर, के प्रधान के पदच्युत करने के बाद जिस व्यक्ति को कार्यभार सुपुर्द किया गया था वह उस ग्राम का वैधानिक उपप्रधान नहीं था वरन् एक पुराने प्रधान के गुट का आदमी था ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा मिनिहनी ब्लाक बिस्वां जिला सीतापुर के, प्रधान पदच्युत नहीं किए गए बल्कि निलम्बित किए गए हैं। निलम्बन के उपरान्त प्रधान पद का कार्यभार श्री रामग्रासरे को सौंपा गया था जो गांव सभा के वैधानिक उप प्रधान हैं।

सोडा ऐश फैक्टरी, दुलहीपुर में हड़ताल

*१४४—श्री ऊदल—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सोडा ऐश फैक्टरी दुलहीपुर, वाराणसी में १९ नवम्बर, १९६४ को हड़ताल हो गयी थी और तारीख २५ नवम्बर, १९६४ से पुनः हड़ताल है ? यदि हां, तो हड़ताल करने का कारण क्या है और क्या श्रम विभाग ने उन कारणों का पता लगा कर उन्हें दूर करने की कोई कोशिश की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्नकर्ता का आशय सम्भवतः साहू केमिकल्स ऐंड फर्टीलाइजर्स, वाराणसी से है। श्रमिकों ने इस प्रतिष्ठान में १९-११-६४ को अन्तर्कालीन वेतन वृद्धि की मांग के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। सेवायोजकों ने इस हड़ताल के सम्बन्ध में ७ श्रमिकों को निलम्बित किया। इस कारण श्रमिकों ने २४-११-६४ से पुनः हड़ताल कर दी। हड़ताल का मुख्य कारण अन्तर्कालीन वेतन वृद्धि तथा निलम्बित श्रमिकों को नौकरी में वापस लेना था।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने हड़ताल समाप्त कराने का निरन्तर प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों में ५-१-६५ को एक समझौता हो गया और हड़ताल ७-१-६५ को समाप्त हो गई तथा कार्य पुनः चालू हो गया।

शाहजहांपुर जिले में सहकारी बीज गोदामों का बकाया

*१४५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में सहकारी बीज गोदामों को कितनी रकम नवम्बर, सन् १९६४ तक बकाया है ?

श्री बनारसीदास—

शाहजहांपुर जिले में ३० नवम्बर, सन् १९६४ को सहकारी बीज गोदामों की बकाया की धनराशि आंकिक ७,९१,५०० रु० थी।

जौनपुर जिले में सेनेटरी इन्स्पेक्टर का बकाया वेतन

*१४६—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले में जो ब्लाक स्टेज वन से स्टेज टू में गया है उनमें कार्य करने वाले सेनेटरी इन्स्पेक्टरों को आठ महीने से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मार्च ३१, १९६४ तक जौनपुर के ब्लाक जो स्टेज वन में थे उनके एक सेनेटरी इन्स्पेक्टर का वेतन ब्लाक बजट से उचित समय पर दिया जाता रहा। स्टेज टू में जाने पर इस इन्स्पेक्टर का वेतन सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट से दिया जाना था। कुछ कठिनाइयों के कारण सरकारी आदेश नवम्बर, १९६४ में जारी हो सके। उक्त इन्स्पेक्टर को अप्रैल १, से दिसम्बर ३१, १९६४ तक का वेतन जनवरी, १९६५ में दिया जा चुका है।

सहकारिता विभाग के गजटेड अफसर

*१४७—श्री नवलकिशोर—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में ऐसे कितने गजटेड अफसर (नाम व पद सहित) हैं जो कि दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक प्रदेश से बाहर डेपुटेशन या फारेन सर्विस पर लगातार कार्य करते हुए चार या उससे अधिक वर्ष पूरे हो गए हैं ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी विभाग में कोई भी गजटेड अफसर नहीं है जिसे १–१२–६४ तक प्रदेश के बाहर डेपुटेशन या फारेन सर्विस पर लगातार कार्य करते हुए चार या उससे अधिक वर्ष पूरे हो गए हैं।

*१४८—श्री नवलकिशोर—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई गजटेड अफसर हैं जो सस्पेंड कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ? इनमें से कितनों को कोई भी चार्ज शीट नहीं दिया गया है और क्यों नहीं ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी विभाग में १–१२–६४ तक कोई भी गजटेड अफसर सस्पेंड नहीं किया गया है। अतः अन्य प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*१४९—श्री नवलकिशोर—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में ऐसे कितने गजटेड अफसर हैं जिनको अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुए एक वर्ष से ऊपर हो गया है, परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है? यदि ह, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१५०—श्री नाथूराम शिक्षक—

[हटा दिया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पूर्वी जिले के अस्पतालों में मृतकों की संख्या

१—श्री उग्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती के अस्पतालों में १ जनवरी, सन् १९६४ से ३० जून, १९६४ तक कितने मरीज भरती हुए और कितने मरे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती के जिला एवं महिला अस्पतालों में १ जनवरी, १९६४ से ३० जून, १९६४ तक भर्ती हुए और मरे मरीजों की संख्या निम्नलिखित है:—

स्थान	भर्ती हुए मरीजों की संख्या	उन मरीजों की संख्या जो मर गए
आजमगढ़	१,९८९	७८
गाजीपुर	२,४९३	६३
बलिया	२,६६०	१२८
देवरिया	२,७६३	१३०
गोरखपुर	५,८४६	४०९
बस्ती	४,२३६	२०६

नियोजन कार्यालय, गोरखपुर से सीमेंट वितरण

२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ से सन् १९६४ तक गोरखपुर जिले के प्लानिंग दफ्तर में सीमेंट तथा नालीदार चद्दर को देने हेतु कौन क्लर्क नियुक्त है और उस का क्या नाम है? क्या उपरोक्त क्लर्क के कार्य तथा सरकारी पद के दुरुपयोग सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र मुख्य मन्त्री द्वारा जांच हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—

सन् १९५९ से सन् १९६४ तक जिला नियोजन कार्यालय, गोरखपुर में सीमेंट तथा नालीदार चादर के परमिट बनाने के सम्बन्ध मे निम्नलिखित लिपिकों ने निम्नांकित अवधि तक कार्य किया। यह अवधि उनके नाम के सामने अंकित है :—

(१) श्री शारदानन्द, जुलाई, ६३ से दिसम्बर, ६३ तक।
(२) श्री राम चन्द्र , जुलाई, ६३ से अक्तूबर १९, १९६३ तक।
(३) श्री शंकर जी, जुलाई, ६३ से दिसम्बर, ६३ तक।
(४) श्री सच्चिदानन्द दुबे, २०–१०–६३ से दिसम्बर, ६३ तक।
(५) श्री गंगादीन, जुलाई, ६३ से दिसम्बर, १९६३ तक।

(२) उक्त श्री शारदा नन्द और एक अन्य लिपिक श्री हरिद्वार सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु जांच करने पर आरोप असत्य और निराधार पाए गए।

३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ दिसम्बर से १९६४ मई के प्रथम सप्ताह तक उक्त प्लानिंग दफ्तर से कितने बोरे सीमेंट का परमिट जारी किया गया ?

श्री राममूर्ति—

दिसम्बर सन १९६२ से मई सन् १९६४ तक प्लानिंग दफ्तर से ६,५५५ बोरे सीमेंट के परमिट जारी किए गए; इसके अलावा ३४,८२० बोरी सीमेंट विकास कार्यों के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को एलाट किया गया।

४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

उपरोक्त सालों के अन्दर बाढ़ विभाग तथा विकास कार्यों हेतु नालीदार चद्दर अलग-अलग कितना टन परमिट द्वारा दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

बाढ़ कार्यों के लिए जिला नियोजन कार्यालय द्वारा कोई नालीदार चादर उक्त अवधि में नहीं दी गई। विकास कार्य के लिए उपरोक्त अवधि में १९ टन नालीदार चादर परमिट द्वारा दी गई।

प्रधान, गांव सभा, रूपपुर के विरुद्ध शिकायत

५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा, रूपपुर, तहसील व जिला मैनपुरी के प्रधान के विरुद्ध १९६४ ई० में जनता की तरफ से तहसीलदार, मैनपुरी को व जिलाधीश, मैनपुरी को ऐसी लिखित शिकायतें दी गयी थीं कि प्रधान ग्राम सभा, रूपपुर ईसन नदी की मछलियों को कई साल से कई-कई हजार रुपए में ठेके पर देते हैं और आमदनी में दो या तीन सौ रुपए सालाना दिखा देते हैं ?

श्री राममूर्ति—

मौजा रूपपुर के निवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था जो तहसील कार्यालय में दिनांक १०–७–६४ को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में प्रधान गांव सभा रूपपुर के विरुद्ध यह शिकायत की गई थी कि प्रत्येक साल ईसन नदी की मछलियों के ठेके से लगभग १,५०० रु० की आमदनी होती है मगर वे आमदनी की पूर्ण धनराशि को जमा नहीं करते।

६---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या यह सत्य है कि अभी जुलाई सन्, १९६४ ई० में उपरोक्त शिकायतों के कारण उक्त मछलियों का ठेका तहसीलदार, मैनपुरी ने मौके पर जा कर नीलाम किया तो वह मछलियों का ठेका इकतीस सौ (३,१०० रुपये) में नीलाम हुआ है ?

श्री राममूर्ति---

यह सत्य है कि वर्ष १९६४ में रूपपुर गांव सभा की ईसन नदी की मछलियों का नीलाम तहसील कार्यालय मैनपुरी द्वारा किया गया था और मछलियों का ठेका ३,१०० रु० (एकतीस सौ रुपये) में नीलाम हुआ ।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में औषधि व्यय

७---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में सन् १९६२-६३, १९६३-६४ में दवाई हेतु कितने का बजट था तथा उसमें १९६२-६३, १९६३-६४ में कितनी दवाई खर्च हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में १९६२-६३ और १९६३-६४ में निम्नलिखित बजट दवाई हेतु था।

					अतिरिक्त अनुदान रु०
१९६२-६३	..	..	..	..	२५,०००
२०,००० रु०	..	..	..	..	७५,०००
					की दवाइयां सेंट्रल मेडिकल स्टोर से भेजी गईं।
१९६३-६४	२५,००० रु०	..	..	..	२५,०००
	दवाइयां जो १९६२-६३, १९६३-६४ में खर्च हुईं।				
१९६२-६३	४५,००० रु०	..	..	..	..
१९६३-६४	१,२०,००० रु०	..	..	..	..

८---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि १९६२-६३, १९६३-६४ में कितने मूल्य की दवाई इनडोर पेशेन्ट्स तथा आउट डोर पेशेन्ट्स में खर्च की गईं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

निम्नलिखित मूल्य की दवाइयां इनडोर तथा आउटडोर विभाग में खर्च हुईं ।

		रु०
१९६२-६३	.. ..	४५,०००
१९६३-६४	.. ..	१,२०,०००

९---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में कितने मरीजों ने १९६२-६३ में तथा १९६३-६४ में अस्पताल में रह कर इलाज कराया तथा कितने मरीज आउट डोर के थे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वर्ष	संख्या इनडोर मरीजों की	संख्या आउट-डोर मरीजों की
१९६२–६३	४,०१९	०,६०,५४
१९६३–६४	४,४६७	६४,९७४

जिला अस्पताल, गोरखपुर

१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जून मास सन् १९६४ की तनख्वाह कब-कब दी गई तथा अभी तक कितने कर्मचारियों को नहीं प्राप्त हुयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जुलाई, ३, ६, ३० और अगस्त, १० को दी गई।

अब किसी की तनख्वाह बाकी नहीं है।

११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि सदर अस्पताल में कितने वार्ड मास्टर हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

४ वार्ड मास्टर हैं।

१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि इनके ट्रांसफर पिछले वर्ष में स्वास्थ्य निदेशक द्वारा कितने बार किए गए और बाद में रोकने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

४ में से दो वार्ड मास्टर के स्थानान्तरण १९६३ में किए जाने के बाद ही रद्द कर दिए गए। एक का इसलिए कि उसकी पत्नी बीमार थी और उसके २ पुत्र गोरखपुर में पढ़ रहे थे और दूसरे का इसलिए कि उसकी मां बीमार थी और उसके भी बच्चे वहां पढ़ते थे।

रायबरेली जिले मे कूप निर्माण

१३—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली, तहसील रायबरेली के अन्तर्गत सन् १९६३ में तथा जनवरी, १९६४ से जुलाई १९६४ तक सिंचाई के कितने कुओं का निर्माण किया गया है ? क्या यह सत्य है जितना ऋण दिया गया अब तक उतने कुओं का निर्माण नहीं हो सका ? इसके कारण क्या सरकार बतायेगी ?

श्री राममूर्ति—

सन् १९६३ में ७ सिंचाई के कुओं का और जनवरी से जुलाई, १९६४ तक १३ कुओं का निर्माण किया गया है।

उक्त समय में कुल ८९ कुओं के लिए ऋण दिया गया, उनमें से अब तक २० कुएं बन चुके हैं, ६७ प्रगति में हैं और शेष केवल २ कुओं का निर्माण चकबन्दी के कारण नहीं हुआ।

१४—श्री ऊदल—

[पहिले बृहस्पतिवार के लिये प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में अध्यापकों का भत्ता

१५—श्री उमाशंकर—

क्या विकास मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सन् १९६४ ई० में हुए पंचायत निर्वाचन में कार्य करने वाले अध्यापकों को आजमगढ़ जिले में मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ता अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

कुछ अध्यापकों को मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता उनके बिल समय से न प्राप्त होने, त्रुटि पूर्ण होने एवं पूर्व समीक्षा के प्रसंग में महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण न किए जाने के कारण अब तक नहीं दिया जा सका है।

आजमगढ़ जिले में संचालक पंचायत के परिपत्र की अवहेलना

१६—श्री उमाशंकर—

क्या विकास मन्त्री यह सूचना कृपया देंगे कि ४ फरवरी १९६४ को सदन के समक्ष आजमगढ़ जिले में संचालक पंचायतराज के परिपत्र की अवहेलना करने का आरोप तथा उसकी जांच की मांग जो प्रश्नकर्ता ने की थी उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले में सहकारी कृषि फार्म

१७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में सहकारी फार्म कितने और कहां हैं ? उनके पदाधिकारी कौन हैं ?

श्री बनारसीदास—

इस जिले में २३ सहकारी कृषि फार्म हैं जिनमें से १३ अग्रगामी योजना, भागलपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं तथा १० समितियां अन्य क्षेत्रों में स्थित हैं। इन सहकारी फार्मों और उनके पदाधिकारियों के नाम संलग्न† सूची 'क' में दिए हुए हैं।

१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

उक्त प्रत्येक फार्म को अब तक राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कामों के लिए कितना कर्ज अथवा अनुदान दिया जा चुका है ?

---

†छापी नहीं गयी

श्री बनारसीदास---

वांछित सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी हुई है। केवल १२ फार्मों को संचालन हेतु सरकार की ओर से विभिन्न कार्यों के लिए धन दिया गया है।

१९---श्री चन्द्र लौंसिह---

उक्त फार्मों पर काम करनें वाले मजदूरों को क्या मजदूरी दी जाती है और क्या सरकार वहां निम्नतम खेत मजदूरी कानून से लागू करने जा रही है ?

श्री बनारसीदास---

वांछित सूचना सूची 'ग' में दी हुई है । जहां तक निम्नतम खेत मजदूरी कानून लागू करने का प्रश्न है, वह इस जिले में लागू है।

देवरिया जिले में अवैध शराब

२०---श्री चन्द्रबलौंसिह---

क्या आबकारी मंत्री नीचे लिखी सूचना देवरिया जिला के संबंध में देने की कृपा करेंगे :---

(क) देवरिया जिले के किन-किन थानों में कौन-कौन से गांव हैं जिनमें शराब बनाने के अवैध धंधे चलते हैं जहां कभी-कभी छापा मारा जाता है ? अवैध शराब चुआने के धंधे न चलें, इसके लिये क्या सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ?

(ख) शराब के कितने ठेके और कहां-कहां हैं ?

(ग) भांग के कितने ठेके और कहां-कहां हैं ?

(घ) क्या गांजा बेंचने के भी ठेके दिये जाते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

(क) देवरिया जिले के किसी गांव के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वहां अवैध शराब बनाने का धंधा होता है । जहां कहीं अवैध शराब बनाई जाने की सूचना मिलती है यू० पी० एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है । उक्त परिस्थिति में अवैध शराब के धंधे को बन्द करने के लिये ठोस कदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) तथा (ग) वांछित सूचना †संलग्न है ।

(घ) गांजा आम तौर पर नहीं बेचा जाता है । केवल उन व्यक्तियों को जिनके पास परमिट होता है गांजा दिया जाता है और गांजे की बिक्री के लाइसेन्स सरचार्ज सिस्टम के अन्तर्गत दिये जाते हैं । शराब व भांग की तरह नीलाम द्वारा इसका ठेका नहीं उठाया जाता है ।

२१---श्री ऊदल---

[तीसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

सहकारी समिति, मंझनपुर से सीमेंट वितरण

२२---श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या माननीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र मंझनपुर, करैजो तथा सरसवां, जिला इलाहाबाद में सन् १९६२-६३, १९६३-६४ में सीमेंट किस भाव से सहकारी समिति मंझनपुर को दी गई तथा सहकारी समिति मंझनपुर ने आम जनता को किस भाव से सीमेंट बेची ?

---

†आयी नहीं गयी ।

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

२३–२४—श्री मुहम्मद रफी खां—

[तीसरे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा भविष्य निधि

२५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश औषधि निर्माण-शाला के संबंध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि :

(१) उक्त संस्था में चतुर्थ श्रेणी में कुल कितने पद हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

(१) उन्हत्तर (६९) ।

२६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

उनमें अब तक कितने पद स्थायी किये जा चुके हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सभी स्थाई हैं ।

२७—श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिये भविष्य निधि जमा करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या उसका हिसाब प्रति मास कर्मचारियों को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । कथित निधि का हिसाब प्रति माह नहीं दिया जाता, क्योंकि इम्पलाइज प्रावीडेंट फंड योजना १९५२ की धारा ७३ के अधीन वार्षिक हिसाब देने की व्यवस्था है ।

२८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

मेरी इस सूचना को सही मानकर कि कई वर्षों से भविष्य निधि का कोई हिसाब कर्म-चारियों को नहीं दिया गया, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

किसी प्रकार की जांच कराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । माननीय सदस्य की सूचना ठीक है । जैसा कथित धारा ७३ के अधीन वांछित है, कमिश्नर इम्पलाइज प्रावीडेंट फंड, कानपुर से इस विषय में लिखा पढ़ी हो रही है । उनसे निवेदन किया गया है कि वे कर्मचारियों को उनकी निधि का हिसाब शीघ्र भेज दें ।

२९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त संस्थान में जब से भविष्य निधि कटने की व्यवस्था हुई है तब से ३० जून, १९६४ तक कितने कर्मचारी नौकरी छोड़ कर चले गये तथा उनमें से कितनों की भविष्य निधि जमा थी ? जिनकी जमा थी उनमें से कितनों की भविष्य निधि अभी उन्हें नहीं दी गई तथा न देने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

४७ कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गये। सभी की भविष्य निधि जमा थी। इनमें से १८ कर्मचारियों ने निधि वापस करने के हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं। इनकी निधि लौटाये जाने के हेतु कमिश्नर इम्पलाइज प्र वीडेंट फंड कानपुर से प्रार्थना की गई थी किन्तु उन्होंने अभी निधि लौटालना स्वीकार नहीं किया है। प्रयत्न जारी है। शेष कर्मचारी भी जब निधि लौटाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र देंगे, तो उन पर क र्यवाही की जायेगी।

कानपुर में कुत्ते काटे मरीजों का इलाज

३०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर शहर के सभी अस्पतालों में सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, १९६४ में प्रति दिन कितने व्यक्तियों को कुत्ता काटे की सुइयां दी गयीं? क्या सरकार कुत्ता काटने की संख्या कम करने के लिये कुत्ता मारो अभियान पर रुपया भी खर्च कर रही है? यदि हां, तो कितना और उसका नतीजा क्या निकला?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कानपुर के उर्सला हार्समैन स्मारक अस्पताल में सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, १९६४ में कुत्ता काटे की सुइयां औसतन ७, ८ मरीजों को प्रति दिन दी गईं। सितम्बर माह में २१९, अक्तूबर माह में २४१ तथा नवम्बर माह में २१५ कुत्ता काटे रोगियों को सुइयां दी गईं। सरकार अलग से इस काम के लिये रुपया नहीं खर्च कर रही है परन्तु यह कार्य नगर महापालिका कानपुर द्वारा किया जाता है जिस पर ८२ रु० प्रतिमाह खर्च हो रहा है।

उक्त नगर महापालिका द्वारा १९६४ में ३३१ कुत्तों को विष देकर मारा गया।

३१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि जब से कुत्ता मार; अभियान कानपुर में चलाया गया है तब से कानपुर में कुत्ता द्वारा काटे जाने वालों की जन-संख्या में क्या कमी आई है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर के अनुसार उन्होंने कानपुर नगर महापालिका की स्वीकृति के लिये कुत्ता मारो अभियान को कार्यान्वित करने हेतु एक योजना प्रस्तुत की है जिसके चालू होने के पश्चात् ही यह बताया जा सकेगा कि कुत्ता द्वारा काटे जाने वालों की जन-संख्या में क्या कमी आई है।

विविध विषय

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, अगर मेरे प्रश्नों को अगले हफ्ते रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तो नियमों के अनुसार ही होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं रिपोर्टर्स को देख रहा हूं उनकी सीटें सटी हुई हैं और उनको निकलने की गुंजाइश ही नहीं है। उनके बैठने की व्यवस्था बीच में ही या सुविधापूर्ण तरीके से होनी चाहिये।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि यह जो क्लर्क टेबिल आपके सामने रखी हुई है वह इतनी ऊंची है कि अगर वहां कोई खड़ा हो जाता है तो आपको ओवर शैडो कर लेता है, तब आपको देखने

[श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय]

में बाधा पड़ती है। जब आप रिपोर्टरों और पत्रकारों के बारे में विचार करें तो इस पर भी विचार कर लें। क्लर्कों के स्थान के बारे में जब आप निर्णय लें तो रिपोर्टर्स का स्थान बीच में रखा जाय या नहीं, इसके बारे में भी निर्णय ले लें।

श्री राज्यपाल के भाषण की अंग्रेजी प्रति छपने पर आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, कल मैंने एक प्रश्न उठाया था कि राज्यपाल महोदय के भाषण की एक प्रति अंग्रेजी में छपी मिली थी। तो क्या आपने कोई इस प्रकार की अंग्रेजी में छपाये जाने की व्यवस्था की है कि इसी प्रकार से अंग्रेजी में छपती रहेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां से कोई प्रति अंग्रेजी में नहीं छपी थी। आपने मुझे एक अंग्रेजी की प्रति दी थी जो ला डिपार्टमेंट में छपी थी, कदाचित प्रेस को देने के लिये। इस सदन के कुछ आदरणीय मेम्बरों ने भी उसकी मांग की थी कि उससे उन्हें कुछ सुविधा होगी। जहां तक हमारा संबंध है, यहां से कोई प्रति अग्रेजी में नहीं छापी गयी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

ला डिपार्टमेंट भी तो गवर्नमेंट का ही एक विभाग है। क्या आपको इस बात की सूचना है कि राज्यपाल का भाषण उन्होंने अंग्रेजी में क्यों छापा और क्या यू० पी० गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आर्डर कर दिया है कि फलां फलां चीजें हिंदी में न छापी जाकर अंग्रेजो में ही छापी जाया करेंगी ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपने यह कहा कि कुछ सदस्य भी अंग्रेजी की प्रति चाहते थे, कृपया उनके नाम बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं नाम नहीं बताऊंगा। हमारे सदन की भाषा हिन्दी है, हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी है। राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनकी भाषा हिन्दी है, लेकिन इस चीज को तो हमें बरदाश्त करना ही होगा कि अगर अंग्रेजी की प्रति से किसी को सहूलियत होती है तो उनको वह दे दी जाय। यों तो अभी अंग्रेजी में अखबार ही छपते हैं। अंग्रेजी अभी हमारे प्रदेश से बिलकुल उठा नहीं दी गयी है। जहां तक मेरा सवाल है, कल मैं अंग्रेजी कांस्टीट्यूशन से पढ़ रहा था, आपने कहां कि "नहीं" और मैंने उसको हिन्दी में पढ़ दिया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

परसों ही आपको इस चीज को साफ कर देना चाहिये था। इससे हम, आप, सभी लोग हिन्दी का भला नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मद्रास और दूसरी जगहों पर यह सवाल उठाया जा रहा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास माननीय उग्रसेन द्वारा एक कामरोको प्रस्ताव आया है। माननीय उग्रसेन जी, जिस विषय पर आपने कामरोको प्रस्ताव दिया है, मुझे सूचना मिली है कि उस पर रिट हो चुका है और वह मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिये उसकी मैं अनुमति नहीं देता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैंने एक दूसरे विषय में भी दिया है, उसका न्यायालय से कोई संबंध नहीं है। उसे तो आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं उसे देख न लूं तब तक कुछ नहीं कह सकता। मैं उसे देख लूंगा।

(श्री लखी सिंह के खड़े होने पर)

आप बैठ जायं, मैं आपको बाद में बुला लूंगा।

सरकार द्वारा बालिकाओं की दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा किये जाने के उपरान्त भी शिक्षा संस्थाओं द्वारा शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख है और अखबारों में भी आ चुका है कि कक्षा १० तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होगी और माननीय हरीश कुमार गंगवार जी ने मुझे यह सूचना दी है कि यद्यपि प्रदेश के समस्त बालिका विद्यालयों में कक्षा १ से कक्षा १० तक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा १ ली जनवरी, १९६५ से कर देने की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गयी है, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रदेश के समस्त बालिका विद्यालयों की बालिकाओं से उपरोक्त घोषणा के बाद भी जनवरी, १९६५ की फीस ली गयी है। तो इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री को क्या कहना है, बतला दें।

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, १३ जनवरी, १९६५ को यह घोषणा की गयी थी कि पहली जनवरी से बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होगी उसमें यह भी कहा गया था कि जनवरी की फीस उनसे न ली जाय। किंतु चूंकि उचित आदेश उस समय तक नहीं पहुंच सका था जब तक कि वे फीस लेते हैं। तो कुछ विद्यालयों ने तो फीस लिया और रेडियो समाचार के अनुसार कुछ ने नहीं लिया इसके पश्चात् आदेश जा चुका है और लिखा हुआ आदेश भी पहुंच गया है। जनवरी के अन्त तक वह आदेश पहुंच चुका था, फिर यह खबर आयी कि क्योंकि उनकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकी है इसलिये उन्हें अध्यापकों के वेतन देने में कठिनाई हो रही है। यहां से तुरन्त तार द्वारा निरीक्षकों को यह आदेश दिया गया कि वे तुरन्त उनकी क्षति पूर्ति करें और उनको यह भी आदेश दिया गया कि वे इस बात की सूचना दें कि कब तक उनकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। कुछ जिलों से यह खबर आ चुकी है। यदि किसी विद्यालय ने जनवरी की फीस वसूल कर ली है तो उनको यह कहा जायगा कि वे जनवरी की फीस वापस करें।

जहां तक फरवरी की फीस का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि अब उनसे फरवरी की फीस वसूल की जायगी। लेकिन यदि किसी ने फरवरी की फीस भी ले ली होगी तो उनसे कहा जायगा कि वे उनको वापस करें। यदि किसी माननीय सदस्य को जानकारी में ऐसी बात हो कि किसी से जनवरी या फरवरी की फीस वसूल की गयी, तो वे इसकी सूचना दें, उनकी फीस वापस करा दी जायगी।

अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

अब मैं अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नाम बतला दूं ।

माननीय जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद), माननीय रामायण राय, माननीय जगदीश शरण अग्रवाल, माननीय कृष्णानन्द राय, श्रीमती प्रकाशवती सूद, माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह, माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय कमला सिंह यादव, माननीय शिवराज सिंह यादव तथा माननीय नेकराम शर्मा ।

विविध विषय (क्रमागत)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी हासिल करनी है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय लखीसिंह कुछ कहना चाहते हैं । उनको बोलने दें ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मेरी एक ही प्रार्थना आपसे है कि प्रश्न सं० १३८ मेरे नाम से था जिसका उत्तर माननीय मंत्री ने थोड़ा सा दे दिया है, उस पर अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं क्योंकि बद्रीनाथ की तरह ही इस बृज यात्रा का भी महत्व है ।

यह तीर्थ यात्रा ५३ मील की है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, यह गलत तरीका है ।

श्री बांकेलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं इस बारे में कि खड्डा मिल के मजदूर १४ तारीख से हड़ताल करने जा रहे हैं, इस विषय म मने दफा ५२ का नोटिस दिया था । वहां क मिल मैनेजर का हरकतों स परेशान होकर वहां के मजदूर मांग कर रहे हैं कि मनेजर श्री दीक्षित को हटाया जाय...

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है, कल के बारे में मैंने कहा है कि मेरे कक्ष में मिल लें, आप आ जायं मैं देख लूंगा ।

२५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ को सर्वश्री ईश्वर शरण तथा ऋषि नारायण शास्त्री द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४ के संबंध में सर्वश्री ईश्वर शरण, नरसिंह नारायण पांडेय तथा गंगा प्रसाद ने क्रमशः नीच लिखे अनुपूरक प्रश्न पूछे थे कि :

श्री ईश्वर शरण---

क्या सरकार बतायेगी कि १९६३-६४ के बजट में १ करोड़ रुपया ट्रांस राप्ती एरिया की तरक्की के लिये, बस्ती जिले में दिया गया था और मैनपावर स्कीम में ५० लाख और दिया गया है लेकिन उनमें से अभी तक १ लाख १० हजार रुपया दिया गया है तो बाकी रकम कब तक और किस प्रकार से खर्च की जावेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी एक करोड़ रुपया बस्ती जिले में यातायात के सम्बंध में देने के बारे में प्रश्न किया गया, वह क्या वही रुपया है जो ट्रांस राप्ती योजना के अन्तर्गत ८ करोड़ रुपया बजट में या प्लान में दिया गया है और यह रुपया उसी में से खर्च किया जायगा या अलग का यह रुपया है ।

श्री गंगाप्रसाद---

मैन-पावर मोबलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत जो ५० लाख रुपया खर्च होने की बात है, उसमें गोंडा जिले का कितना हिस्सा है और गोंडा जिले में कौन कौन सी सड़कें या नहरें बनाई जायेंगी ।

२---उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि---क्रमश :

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ--- × × × × ×

गोंडा जिले के ६ ब्लाकों में से ४ में इस को लागू कर दिया गया है शेष को भी शीघ्र ही ले लिया जायगा ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---

यह मैन-पावर स्कीम के अन्तर्गत ही एक करोड़ रुपया है ।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---

गोंडा जिले की हरैया, तुलसीपुर, गेंसरी पचपुरवा क्षेत्र के ब्लाक लिये जावगे ।

३---उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है---क्रमश:

(१) ग्रामीण जनवल योजना में गोंडा जिले में द्वितीय चरण में १, तथा तृतीय चरण में ५ ब्लाक यानी कुल ६ ब्लाक लिये गये हैं लेकिन इनमें से कोई भी ब्लाक ट्रांस राप्ती एरिया का नहीं है । इस जिले में निम्नलिखित ४ ब्लाक ट्रांस राप्ती एरिया में आते हैं लेकिन इनमें से कोई भी अभी तक इस योजना में नहीं आता है । अत : स्पष्ट है कि गोंडा जिले के ट्रांस राप्ती एरिया में पड़ने वाले ४ ब्लाकों में से अभी तक कोई ब्लाक ग्रामीण जनवल योजना में नहीं आया है : (१) हरैया, सतगड़वा, (२) तुलसीपुर, (३) गेंसरी, तथा (४) पचपुरवा ।

(२) ट्रांस राप्ती एरिया में अभी तक ग्रामीण जनवल योजना के अन्तर्गत केवल एक सड़क बडदपुर, पिपरवा रोड १ लाख दस हजार रुपये की लागत की ली गई है । पूरे बस्ती जिले में जनवल योजना पर जो अभी तक ली गई है ५० लाख रुपये की लागत आती है जिसमें यात.यात तथा सिंचाई दोनों की स्कीमें सम्मिलित हैं । ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत १ करोड़ रुपये की बस्ती जिले में कोई योजना नहीं है । हां, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तराई क्षेत्र में संचार-साधनों के विकास के लिये एक योजना ८.५२ करोड़ रुपये की स्वीकृत की थी एवं १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में १ करोड़ रुपये का प्राविधान उक्त कार्यों के लिये किया गया था ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

(३) ५० लाख रुपये की स्कीमें रूरल मैन-पावर योजना के अन्तर्गत केवल बस्ती जिले में ही ली गई हैं वहां एवं इसमें गोंडा जिले के लिये कोई हिस्सा नहीं है। गोंडा जिला में अभी तक ६ ब्लाक लिये गये हैं।

			लागत
(१) छविया	..	.. द्वितीय चरण)	)
(२) डटिया ठीक	..	.. (तृतीय चरण)		
(३) करनलगंज	..	.. (जैसा ऊपर)		
(४) परसपुर	..	.. (जैसा ऊपर)	} १८,९७,०००
(५) उतरौला	..	.. (जैसा ऊपर)		
(६) बलरामपुर	..	.. (जैसा ऊपर)	)

इसमें रूरल मैन-पावर योजना के अन्तर्गत कुल १८,९७,००० रुपया की लागत की स्कीमें ली गई है जिसमें यातायात एवं सिंचाई दोनों की स्कीमें हैं। उपरोक्त ब्लाकों में कोई भी ब्लाक गोंडा जिले के ट्रांस-राप्ती एरिया में नहीं पड़ता है।

(४) मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है††।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६५

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुर:स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुर:स्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३१६–३१९ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत*)

श्री बृज मोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

आपकी आज्ञा से मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। मेरा विश्वास इस बात पर है कि जब तक यह नौकरशाही का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक देश में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। मैं अपने उन सब सदस्यों से जिन्होंने महात्मा गांधी के आदेशों को सामने रखते हुए अपनी सेवा और त्याग को, बलिदान के आदर्श को, सामने रखा राष्ट्रीय विचारधारा

---

*९ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

††मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए २५ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही का पृष्ठ २८३ देखें।

को बनाने के बावजूद भी हम अपनी उन योजनाओं में सफल नहीं हो रहे हैं। उसका कारण इन पार्टियों की अदलाबदली नहीं है, उसका मुख्य कारण नौकरशाही है। मैं उन साथियों से अपने कांग्रेस साथियों से और अन्य पार्टियों के साथियों से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि आज के युग में जब कि हम खतरनाक समय से गुजर रहे हैं और हमारे जनतंत्र को और प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिए दुश्मन आमादा हो, उस समय हम लोगों को चाहिए कि राजनीतिक अखाड़े को छोड़कर एकत्र होकर इस बात पर संगठित होकर विचार करें और उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछली लड़ाइयां लड़ी हैं इस योजना में लड़ाई लड़ें। दूसरी बात, मैंने जो कल कहा था कि जब तक यह भ्रष्टाचार और मंहगाई इसके बीच में विद्यमान है, उसकी बुनियाद और यह करप्शन जो हमने अपने क्षेत्रीय नियंत्रण में लगा रखें हैं इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां जो गल्ले की समस्या है इसको हमारे नेगी साहब और सरकारी आफिसर इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे आज हमारे कान में उत्तर प्रदेश जैसा एक चुनौती है। आज हमें हिन्दी के प्रचार के लिये तन मन धन से जुटना पड़ेगा उसी तरह जिस तरह से राजनीति की लड़ाई में कदम उठाए हैं। उसी तरह से इसके लिये रुकावट डालने के लिये नौकरशाही का एक बड़ा अड़ंगा है। मैं आपके सामने हिन्दी की बात इसलिये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि हिन्दी की प्रगति के लिये महात्मा गांधी ने एक स्वप्न देखा था और उसको हम साक्षात करना चाहते हैं। जैसी कि आजादी की लड़ाई लड़ी है, कफन बांध कर तैयार होना पड़ेगा हिन्दी प्रचार के लिये। नौकरशाही पर हावी होने के लिये तमाम नियंत्रणों को खत्म करने के लिये। जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। बिस्मिल ने ठीक ही कहा है "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।" अगर इस तमन्ना को लेकर नहीं चलेंगे तो हमारी कामयाबी नहीं होगी। और जनता की आवाज हमको भस्म कर सकती है तथा आगे का इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। हमको एकत्रित होकर जुट जाना है। इन तीनों बातों की तरफ कामयाबी हासिल करें तभी हम अपने को कायम रख सकते हैं अन्यथा नहीं।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैंने अपना प्रस्ताव केवल इसलिये नहीं दिया था कि मुझे सरकार की आलोचना करने का एक मौका मिल जाय। मैं समझता हूं आलोचनाओं से कोई बात होने वाली नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि इधर के बैठने वाले हमारे बहुत से साथी मुझसे कहीं अच्छी सरकार की आलोचना कर सकत हैं। और मैं तो आलोचना को इसलिये भी व्यर्थ समझता हूं कि जिस प्रकार का प्रदर्शन इस सचिवालय के सामने हर शाम को होता है, सरकार के हाथ पांव आज उसके खिलाफ विरोध का झंडा खड़ा किये हुए हैं। उससे ज्यादा कोई आलोचना इस सरकार की नहीं हो सकती। मैं माननीय फूल सिंह से सहमत हूं कि कमर कस कर खड़ा होने का समय है। परन्तु जो उन्होंने बात कही चर्चिल की कि खून, आंसू और मशक्कत के सिवाय और हमारे पास कुछ नहीं है, यह कांग्रेस के लोगों पर शोभा नहीं देता। यह चर्चिल का पोज बनाना आज कांग्रेस वालों के लिये बिल्कुल ही हास्यास्पद है। इन शब्दों का प्रयोग चर्चिल ने किन परिस्थितियों में किया था वह सब को विदित है। एक विदेशी शक्ति के सामने पराजय हुई जिस व्यक्ति के कारण पराजय हुई उसने त्याग-पत्र दे दिया था और चर्चिल ने नया मंत्रि मंडल बनाया था, एक राष्ट्रीय सरकार बनायी थी। उन परिस्थितियों के मुकाबले आज आप तो कुर्सियों पर बैठे रहना चाहते हैं। १७ वर्षों से राज्य कर रहे हैं, करोड़ों, अरबों रुपया का टैक्स पिछले १० सालों में आप जनता से ले चुके हैं, टैक्स से सरकार की आमदनी ५ गुनी से १० गुनी हो गयी। आज हमारा देश सबसे ज्यादा ऋणी हो गया। इन सारी बातों के बाद आज आप हमसे कहते हैं कि हमारे पास आंसू-खून और मशक्कत के सिवाय कुछ भी देने को नहीं है। यदि चर्चिल ने इस तरह की बात १७ वर्ष शासन करने के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

और जो कुछ इस देश के लोगों ने सरकार को समर्पित किया है, उसके बाद अगर चर्चिल ने कही होती तो वहां की जनता उनको जूते की ठोंकरें मारकर निकाल देती।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे शब्द तो शायद ज्यादा शोभा नहीं देते।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। यदि किसी को कष्ट हुआ तो क्षमा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपके मुंह से यह ठीक नहीं मालूम होता क्योंकि आप एक पार्टी के नेता हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह—

आज उधर के बैठने वालों को बड़ा संतोष है कि कुछ उप-चुनाव इन्होंने जीत लिये हैं। उप-चुनावों की व्याख्या की जाय तो यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों की जीत हुई है, कांग्रेस की नीतियों की नहीं। मैं यह चुनौती देता हूं कि सरकार जरा शासन से हटकर चुनाव लड़ कर देखे कि फिर क्या नतीजा होता है। किस प्रकार सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। पिछले २ वर्षों से मैं माननीया सुचेता जी की व खाद्य मंत्री श्री नेगी जी की मिन्नतें करता आया कि राप्ती के उस पार से चावल इस पार आने की आज्ञा दे दें लेकिन मेरी बात नहीं मानी गयी। पर आज जब कि बांसी क्षेत्र चुनाव हो रहा है, वोट देने के लिये वहां की जनता ने कहा कि जब तक यह प्रतिबन्ध नहीं हटाया जायेगा, कोई वोट नहीं मिलेंगे। प्रतिबन्ध हट गया और वह हटा भी गैर कानूनी ढंग से। मैं खाद्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है वह सदन की मेज पर रखे। कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है केवल जबानी आदेश दे दिए गये हैं। इस प्रकार गैर कानूनी सहूलियतें देकर चुनाव के मौके पर चुनाव जीत लेते हैं। तो इससे इन्हें अभिमान हो जाता है।

श्रीमन्, अब मैं प्रदेश की सबसे मुख्य समस्या अन्न संकट पर आता हूं। पिछले ६ महीने में सरकार की तरफ से ६ कारण बताये गये हैं। सबसे पहला कारण दैवी प्रकोप बताया गया है। हो सकता है कि दैवी प्रकोप पड़ा हो। पिछले साल शीत लहरी चली। मेरे पास एक चौथी फाइव ईयर प्लान की पुस्तिका है। इसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाये देता हूं। यह पुस्तक अंग्रेजी में है और मुझे आशा है आप क्षमा करेंगे।

"The total production potential of food-grains at the end of the plan is expected to be only 152 lakh tons against the original target of 182-lakh tons. There will be shortfalls in the programmes for utilisation of irrigation potential (utilisation is expected to be about 82 per cent of the potential), soil conservation (about 38 per cent of the target of 9.5 lakh acres), and fertilizer use (about 66 per cent of the original target of 9.9 lakh tons of nitrogenous fertilizers).

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वर्ष आगे आने वाला है और जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि दैवी प्रकोप होगा कि नहीं, उसके विषय में सरकार का अनुमान है कि सिंचाई ८२ प्रतिशत हो सकेगी, स्वायल कन्जर्वेशन टार्गेट का ३७ प्रतिशत परा हो सकेगा। फर्टीलाइजर का ६६ प्रतिशत और खाद्य की उपज ओरिजिनल टार्गेट अर्थात १८२ लाख टन के विरुद्ध १५२ लाख टन होगा।

दूसरी बात कही गयी है "जमाखोरी" की । माननीय खाद्य मंत्री जब वे अपना उत्तर देंगे बतावेंगे कि कितने स्थानों पर उन्हें जमाखोरी मिली है। यहां पर भी बहुत से माननीय सदस्य और मंत्री गण बैठे होंगे जिन्होंने ७ दिन से ज्यादा राशन रखने की कोशिश न की हो। बीमारी अगर हुयी है तो केवल उसके लक्षण पता करके ही बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता है। बीमारी तो इलाज से ही जा सकती है।

तीसरी बात बतायी गयी कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस समय हमारी ही आबादी नहीं बढ़ रही है। दुनिया की आबादी बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से भी भारत की आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी है और जहां तक हमारे प्रदेश का संबंध है वह सब कहीं से कम है।

चौथी बात यह कही गयी है कि विरोधी पक्ष की ओर से प्रचार किया गया इसलिये अन्न संकट आ गया। तो, श्रीमन्, यदि यह ही बात होती तो वह संकट दूर हो जाना चाहिये था पर अब भी भाव बढ़ रहे हैं। सदस्यों के साथ साथ अखबारों को भी इस संकट का कारण बताया है। यह सारी बातें बहाने मात्र हैं। वास्तव में अन्न संकट के कारण इस सरकार की गलत नीतियां और अदूरदर्शिता पूर्ण दुर्व्यवस्था है।

पहली बात, उन्होंने कृषि की तुलना में बड़े उद्योगों पर बल दिया। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितना कृषि पर खर्च किया गया या किया जाने वाला है उसके डयोढ़े से ज्यादा भारी उद्योगों पर खर्च किया गया। जिस देश की ७० फीसदी जनता किसानी पर रहती हो, जिस देश की राष्ट्रीय आमदनी का ५० प्रतिशत खेती से आता हो और उसके मुकाबले जिन उद्योगों से राष्ट्रीय आय के १० प्रतिशत का योगदान मिलता हो, केवल ५ प्रतिशत लोगों को उनसे रोजी मिलती हो उन पर डयोढ़ा खर्च किया जाय यह कहां की बुद्धिमानी है? प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में लागत और आमदनी का अनुपात लगाया जाये तो जहां खेती पर १.६६ रुपया खर्च करने पर खेती में १ रुपये की आमदनी बढ़ गयी वहां भारी उद्योगों में ४.७९ रुपया खर्च करने पर १ रुपये की आमदनी बढ़ी। यदि इस देश की दरिद्रता को दूर करना था तो इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि खेती पर अधिक से अधिक व्यय होना चाहिये था जो नहीं किया गया।

दूसरा कारण यह है कि अपने सिद्धान्तों के कारण कृषि की उन्नति का एक मात्र कारण कृषि का समाजीकरण है, जिसको सहकारी खेती के नाम से पुकारा जाता है। बहुत से साथियों को आपत्ति हो सकती है कि सहकारिता से कैसे खेती की पैदावार घट गयी? मैं केवल दो उदाहरण सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि सहकारिता के कारण खेती के विकास को धक्का पहुंचा। पहली बात सभी खेती करने वाले जानते हैं कि उन्नत बीज की कितनी मदद होती है खेती में और यह काम पहले कृषि विभाग किया करता था और काफी अच्छा काम कर रहा था। लेकिन यह सोचा गया कि अगर सहकारिता के जरिये खेती कराना है तो धीरे-धीरे यह काम भी सहकारी समितियों के सुपुर्द करना चाहिये। अतः यह निर्णय किया गया कि सारे बीज गोदाम सहकारी समितियों को सौंप दिये जायं। आज नतीजा यह है कि थोड़े से बीज को छोड़कर जो कृषि विभाग नकद दाम पर बेचता है सारे का सारा बीज का काम सहकारी विभाग करता है और मैं इसको फिर दोहराता हूं। पहले भी कह चुका हूं कि जितना बीज सहकारी गोदामों से निकलता है उसका ९० फीसदी चोरी से बनिये के यहां पहुंच जाता है और जो बाकी मिलता भी है वह बनिये की दूकान पर जो मिलता है उससे वह श्रेष्ठ कोटि का नहीं बल्कि निकृष्ट कोटि का होता है। सहकारिता के लक्ष्य के पीछे सिंचाई को किस तरह से धक्का पहुंचा उसे भी सहकारिता मंत्री के उत्तर में सभी ने सुना। फोर्थ फाइव ईयर प्लान के आब-जेक्टिव्स एन्ड एप्रोच से मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा जिसके लिये मुझे क्षमा किया जाय:

"The State Government has offered to subsidise 50 per cent of the cost of the programme. It was expected that the Centre would share 50 per cent

[श्री भानुप्रतापसिंह]

of the subsidy for this programme but so far the Government of India has not approved subsidies for minor irrigation works constructed by individual cultivators. Planning Commission feels that the increased subsidy should be available only for community or co-operative works. In most parts of the State the co-operative and panchayat structure is still weak and ill equipped who undertake capital works of this nature and the State Government feels that there should be no restriction on the subsidies programme in applying it to individual cultivators."

इसका हिन्दी अनुवाद इस तरह से होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह चाहती है कि कुओं के निर्माण में ५० फीसदी तक किसानों को छूट दी जाय और इसके लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा कि इस ५० फीसदी में से आधा केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करे और आधा राज्य सरकार दे। लेकिन प्लानिंग कमीशन का कहना यह है कि वह किसानों को देने के लिये तैयार नहीं है। वे केवल सहकारी संस्थाओं या सामूहिक कार्य के लिये छूट दे सकते हैं।

श्रीमन्, जब तक यह रवैया है और सहकारी आन्दोलन का जो स्वरूप है उसका चित्र यहां आ चुका ह। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से खेती का काम बढ़ सकता है। क्या प्लानिंग कमीशन वाले लक्ष्य के पीछे इतने दीवाने नहीं हैं कि वे कृषि के विकास को रोके हुए हैं। जो अन्न पैदा कम हो रहा ह क्या वे उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं? हम कहते हैं कि जब तक सहकारी खेती को नहीं छोड़ेंगे तब तक इस देश में कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है।

श्रीमन्, तीसरी बात यह है कि कल माननीय फूल सिंह जी ने खेती की वस्तुओं के मूल्य के विषय में कहा था। जैसे कि उन्होंने कहा था जून, १९६४ में कृषि वस्तुओं का मूल्य बराबर नीचे रहा। लेकिन जुलाई, १९६४ से वह बढ़ना शुरू हुआ। पहली बार कृषि वस्तुओं का मूल्य कृषि से भिन्न वस्तुओं के मूल्य से ऊपर गया। कृषि से भिन्न वस्तुओं का मूल्य सूचकांक १३८.९ था और अनाज का मूल्य १४१.२ हो गया। अगस्त और सितम्बर में भी बढ़ा। कृषि से भिन्न वस्तुओं का मूल्य सूचकांक १४१.६ था और अनाज का मूल्य १७७.९ था। अक्तूबर में सरकार ने मूल्य निश्चित किये। उनका मूल्य सूचकांक ९९.५ आता है। कृषि से भिन्न वस्तुओं का मूल्य सूचकांक १४१.६ ही रहा। बड़ी बड़ी बातें लाभकर मूल्य की कही गईं। लेकिन इन्होंने निश्चित किया ९९.५। अगर १४१.६ ही रहा होता तो मैं समझता हूं कि न्यायोचित था और शहर के उपभोक्ताओं के लिये न्यायपूर्ण था लेकिन इन्होंने १७७.९ से ९९.५ निश्चित किया। मैं बता दूं कि सरकार द्वारा निश्चित भाव समता का ७० प्रतिशत आता है और यह समता अनाज के मूल्य पिछले १० वर्षों में कभी भी इतने नीचे नहीं गये। इस तरह से किसानों की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। आप विदेश के किसानों को, पाकिस्तान और अमरीका के किसानों को कृषि वस्तुओं का मूल्य अच्छा दे सकते हैं लेकिन अपने यहां के किसानों को नहीं दे सकते हैं। अन्त में खेती का विकास क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिये एक बात कहना चाहता हूं। वह है शिक्षा की कमी। शिक्षा की जो दुर्दशा है उसके रहते हुए कभी खेती की उन्नति नहीं हो सकती यहां बैठ हुए, कोई भी सदस्य, किसी ऐसे देश का नाम ले लें जहां का किसान बे पढ़ा लिखा हो और फिर भी खेती की उन्नति-हुयी हो। आप कहेंगे कि सरकार के पास जितने साधन हैं उनके अनुसार उन्नति कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि राजकीय बजट का ४–५ प्रतिशत ही शिक्षा पर यहां व्यय होता है जब कि अन्य प्रगतिशील देशों में १० से १५ प्रतिशत होता है। जो कुछ होता भी है उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि वह नगण्य है। मैं कहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का ९५ प्रतिशत अपव्यय हो रहा है। जो रुपया पंचों को पंचायतों में स्कूल बनवाने के लिये बांटा गया है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैंने अपने ब्लाक के एक एक स्कूल को देखा है और उन स्कूलों के चित्रों को बनवाकर मुख्य मंत्री जी को मैं

एक अलबम प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां केवल २ ही स्कूल ऐसे हैं, जिनकी छतों के नीचे लड़के बैठकर पढ़ सकते हैं, बाकी सब स्कूल टूटे फूटे हैं।

श्रीमन्, मुझे २–३ मिनट और दे दें। और अन्त में आज किस तरह किसानों की उपेक्षा होती है, उसके भी २–३ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे जिले में चकबन्दी पहले हुई और उसमें अनेक गलतियां हुईं, जिन्हें विभाग स्वीकार भी करता है। परन्तु उनको ठीक करने के लिये कोई तैयार नहीं है। मैंने बराबर माल मंत्री, रेवेन्यू सेक्रेटरी, मुख्य मंत्री सब से कहा और मुझसे वायदा भी किया गया कि अगले सत्र में आएगा संशोधन विधेयक और शायद आएगा भी। मुझे भी आशा है कि आएगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब हजारों किसानों की रोजी का सवाल है तो आपको सालों लगता है एक कानून बनाने में और जब आपको किसानों से पैसा ऐंठना होता है तो अध्यादेश जारी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गत ६ मास में कितने अध्यादेश लागू हुए हैं? किन्तु किसानों के हित में कानून बनाने में, जो आपकी गलती है और जिसे आप स्वीकार करते भी हैं, सालों से मुझे टाला जारहा है।

दूसरी मिसाल मैं देना चाहता हूं माल मंत्री के ही जिले की है। वहां चकबन्दी हो रही है। वहां पर टेन्टेटिव इंचार्ज के नीचे कुछ काश्तकार थे। उनके अलग से चक काटे गये। बावजूद इसके टेन्टेटिव इंचार्ज द्वारा उनसे पूरी मालगुजारी ली गई। हर किसान से लगान वसूल किया जा रहा है। उस भूमि का जिनका भाइयों में बटवारा हो गया। उस भूमि का मुख्य कर्त्ता से पहले ही पूरा लगान वसूल कर लिया गया और अब अलग से प्रत्येक भाई से अलग अलग ६–७ वर्षों का लगान वसूल किया जा रहा है। पिछले समय, जिस समय शीत लहरी आई उन्होंने विरोधी दल के नेताओं, कैबिनेट मिनिस्टर्स और हेड्स् आफ डिपार्टमेन्ट्स की एक मीटिंग बुलाई, मैं भी उसमें था। मैंने भी उसमें सुझाव रखा था कि जायद की फसल बोई जाये, मैंने कहा था कि उसमें सिंचाई दर को एक तिहाई कर दिया जाये और उन्होंने उसे तत्काल स्वीकार भी कर लिया। लेकिन उसके बाद उनके विभागीय अधिकारियों ने क्या किया? उन किसानों से सिंचाई कर का पूरा पूरा रुपया वसूल हो रहा है, जिन्होंने जायद की फसल बोई थी। मैंने तो देने से इंकार कर दिया, लेकिन छोटे से छोटे किसानों से वह वसूल किया जा रहा है और वह दे रहे हैं। अब समय कम है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय फूलसिंह जी ने कहा कि चर्चिल ने कहा था "मैं आपको इस वक्त खून, पसीना, और आंसू और मशक्कत दे सकता हूं"। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आज जनता इस मूड में नहीं है। जनता के मूड के बारे में मैं एक छोटी शेर पढ़कर सुनाये देता हूं और बैठ जाऊंगा।

"तू इधर उधर की बात न कर,
यह बता कि काफिला क्यों लुटा?
मुझे राहजनों से मरज नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है।"

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय पिछले १५, १६ सालों में कई बार राज्यपाल महोदय के भाषणों को सुनने का मौका हुआ और मेरा ऐसा ख्याल है कि इस बार का भाषण वर्णन में बहुत संक्षिप्त है और उसमें वजन भी कम है। क्यों है, यह मेरे लिये कहना मुश्किल है लेकिन मालूम ऐसा देता है कि इस भाषण पर सरकार की परेशानी की छाप ज्यादा है। सदन में जो विचार कल से व्यक्त किये गये उनमें ३ चीजों की ज्यादा चर्चा है, अन्न का प्रश्न, भ्रष्टाचार और सुरक्षा। मैं यह मानता हूं कि अन्न की समस्या आज जो विकट हुई है उसमें केवल सरकार का हाथ नहीं है। अन्न की समस्या से बहुत सी चीजों का संबंध है और वह सब चीजें जब खिलाफ पड़ जाती हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

तो समस्या विकट बन जाती है। सरकार को सिर्फ इतना देखना होगा कि जो काम वह कर सकती थी इस विकट समस्या को हल करने में, वह उसने किये या नहीं और जो कुछ उसमें किया है उनसे वह समस्या कुछ हल हुई या नहीं। अगर यह दो बातें साबित हो जाती हैं तो यह मानना पड़ेगा कि जहां तक सरकार का संबंध है, सब बातों को देखकर मेरा यह ख्याल है कि सरकार बहुत हद तक इस समस्या की विकटता का अन्दाजा लगाने में विफल हुई है। जितने बयानात अन्न मंत्री और मुख्य मंत्री जी के अन्न समस्या के बारे में निकले हैं मुझे यकीन है कि अगर वे १५ महीने के बयानात खुद अपने आप पढ़ें तो उन्हें अपने बयानों पर आश्चर्य होगा। मैं जानता हूं कि फूड मिनिस्टर अन्न नहीं पैदा करता, वह तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है अन्न तो किसी जगह पैदा होता है लेकिन उनका ऐप्रोच क्या है? मुझे याद है मरहूम रफी अहमद किदवई साहब का जमाना, अन्न का संकट ऐसा ही आया। रफी साहब ने अन्न पैदा नहीं किया किन्तु एक ऐप्रोच उनका जरूर नया था। उन्होंने फौरन सारे प्रदेश के अफसरों से कहा कि हर जिले में जाकर जहां मंडियां है स्टोर हाउसिंग के लिये मकान किराये पर ले लो। सब जगह मार्केटिंग आफिसर्स और मार्केटिंग अथारिटीज जाकर पूछने लगे कि स्टोर करने के लिये मकान चाहिये जहां सरकारी गल्ला रखा जा सके। लोगों को ऐसा लगा कि सरकार क्यों स्टोर्स लेने जा रही है सरकार के पास गल्ला है। लोगों में सिक्योरिटी पैदा हुई कि सरकार के पास गल्ला है। यहां क्या होता है? यहां के बयानात निकलते हैं कि "केवल ७ दिन का गल्ला बाकी है" अन्न संकट बढ़ रहा है "केन्द्र हमको गल्ला नहीं दे रहा है"। इस किस्म के बयानात का असर ही हुआ जो होना था। लोग सोचने लगे सरकार पर गल्ला है नहीं। केन्द्र और हम दो तो नहीं हैं। अगर उन पर हाथ उठेगा तो उससे हम बच नहीं सकते। तो फूड के मामले में गवर्नमेंट का ऐप्रोच व्यावहारिक नहीं रही है, उनके मस्तिष्क में सफाई नहीं रही है ब्यौरोक्रेसी ने हमें योग नहीं दिया है और जो कुछ स्कीमें इन्होंने बनाई भी है उन्होंने उनको सफल भी नहीं होने दिया है। सदन को आश्चर्य होगा कि मथुरा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास सरकार की पालिसी पहुंची तो वे यह कहने की जुर्रत करते हैं कि सरकार की नहीं उनकी पालिसी यहां चलेगी। तो आज ब्यूरोक्रेसी का अपना ढंग है और वह हम पर हावी होता चला जा रहा है और पोलिटिकल लीडरशिप सी दिखाई पड़ने लग गई है, वह कमजोर होती जा रही है इससे ज्यादा मैं इस समस्या के बारे में नहीं कहना चाहता।

भ्रष्टाचार के बारे में अपोजीशन पार्टी के लीडर ने कल कांग्रेस पार्टी को चार्ज किया कि काश्मीर के मुख्य मंत्री के ऊपर मुकदमा चल रहा है, पंजाब में यह हुआ और दूसरी जगहों पर यह होने वाला है। मैं समझता हूं कि जो बात उन्होंने कही उसी के आधार पर मैं यह कहता हूं कि आज हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जो अपने बहुत बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ भी अंगुली उठा देती है। यह हमारा तरीका है कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो, हमारे रैंक में हो या दूसरे रैंक में हो, इन भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ हम खुद आन्दोलन करने लगते हैं। हम में और दूसरी पार्टी में फर्क यही है कि हम बुरे आदमी को बुरा कहते हैं और दूसरे पार्टी के लोग अपने लोगों को बुरा देखने पर भी बुरा नहीं मानते हैं। इसीलिये कांग्रेस पार्टी ने जहां तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है एक नीति को अपनाया है। हम चाहते हैं कि इस नीति पर मजबूती के साथ अमल किया जाय। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार महज एक गवर्नमेंटल तरीके से दूर होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार एक सोशल मैलेडी है जो आज के युग में और आज के सामाजिक संगठन में व्यक्तिगत मुनाफा, व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत सिल्कियत की वजह से यह पैदा होती है। इसको दूर करने के लिये चारों तरफ से प्रयत्न करने की जरूरत है। समाज में हर तरफ से इसके लिये प्रयत्न करने की जरूरत है। नैतिक मोर्चे पर, शासकीय मोर्चे पर, राजनैतिक मोर्चे पर इस भ्रष्टाचार से मोर्चा लिया जाय। मैं यह मानता हूं कि अगर किसी बड़े आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात आती है तो उस पर मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ कार्यवाही होनी चाहिये। मुझे अफसोस है कि मुजफ्फर हसन साहब के मामले में सरकार की नीति कुछ बहुत अच्छी नीति नहीं है। मुजफ्फर हसन साहब का नाम जिस तरह से चल रहा

है और जिस तरीके से यह मामला लिंगर करता रहा है उस से सरकार ने कुछ अपना सम्मान नहीं बढ़ाया है । अगर प्राइमाफेसी केस था, अगर मुख्य मंत्री जी को यह यकीन था कि प्राइमाफेसी केस है तो उनको कहना चाहिये था कि वह इस्तीफा दें और अगर नहीं है तो उनको मजबूती के साथ कहना चाहिये कि यह गलत बात है और आप कितना भी लान्छन लगायें लेकिन मेरा विश्वास है कि यह प्राइमाफेसी केस नहीं है । पन्त जी के जमाने में भी ऐसी बातें उनके सामने आईं मगर पन्त जी ने मजबूती के साथ और खुले तौर पर कहा कि मेरा यकीन है मेरा कोई भी मिनिस्टर ऐसा नहीं है और किसी तरह से वह प्राइमाफेसी केस नहीं है और आप लोग कितना भी आन्दोलन करें मैं अपनी राय बदलने वाला नहीं हूं । अगर इस तरह से किसी मामले में आप डरते हैं तो उस से उस आदमी की काम करने की ताकत कम हो जाती है और उस से उसका सम्मान कम हो जाता है । इसलिये इस मामले में मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ एक नीति के अपनाने की जरूरत थी ।

दूसरी यह भी बात है कि अगर किसी पार्टी के किसी प्रमुख व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का चार्ज आता है तो इन्साफ का तकाजा यह है कि वह खुद जाकर अदालत में मुकदमा दायर करे । अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसे कहता है तो मेरा यह फर्ज है कि मैं खुद अदालत में जाकर मुकदमा दायर करूं और जनता के सामने अपनी सफाई पेश करूं । अगर मैं साफ हूं तो मुझे अदालत के सामने जाने में कोई किसी तरह से हिचक नहीं होनी चाहिये । यह तो एक आदमी की कांशेन्स का सवाल है । अगर पार्टी ऐसे मामले में कुछ कर सकती है तो सफाई के लिये करना चाहिये लेकिन महज सरकार के कह देने से किसी तरह से भी भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता है । भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ आज हमको नजर आता है । पहले यह थोड़े से आदमियों तक सीमित था लेकिन अब यह गांवों में भी फैलता जा रहा है । पहले दुकानदार के प्राफिट करने तक सीमित था लेकिन अब यह मर्ज गांव में भी फैलता जा रहा है । मैं अपने मस्तिष्क में बिलकुल साफ हूं कि इस भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिये देश में सोशलिज्म के लाने की जरूरत है सोशलिस्ट सिस्टम उसके दायरे को कम कर देता है और मुझे खुशी है कि सदन के सदस्य आहिस्ता आहिस्ता सोशलिस्ट उसूलों को मानते जा रहे हैं । स्टेट ट्रेडिंग को इसका उपाय मानते जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो मजबूती के साथ हमको उसके लिये वातावरण पैदा करना चाहिये ।

तीसरी चीज सेक्योरिटी की है । यह सही बात है कि देश की सुरक्षा के लिये जनता में जो उमंग और जोश था उसे हम कायम नहीं रख सके । लेकिन इसके कई कारण हैं । जन-संघ के दोस्तों ने इसका एक इलाज बतलाया कि जो फिफ्थ कालमनिस्ट हैं यानी कम्युनिस्ट इनको या तो बंद कर देना चाहिये और अगर जरूरत हो तो गोली मार देनी चाहिये । मुझे कम्यु-निस्टों की कोई वकालत नहीं करनी है, लेकिन मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि मैं पोलिटिकली जनसंघ के मुकाबले कम्युनिस्टों के नजदीक हूं । यह कोई परदे के पीछे छिपी हुई बात नहीं है । कांग्रेस की बेसिक पालिसीज के ज्यादा पास कम्युनिस्ट हैं बनिस्बत जनसंघ के । यह भी ठीक है कि कम्युनिस्टों की बहुत सी बातों को हम नापसंद करते हैं, मेरा उनसे कोई वास्ता भी नहीं है लेकिन जो इलाज उन्होंने बतलाया है वह कोई मुनासिब इलाज नहीं है । उससे मर्ज हल होने वाला नहीं है । हमारे एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान । चीन के बारे में उनकी राय है कि कम्युनिस्ट फिफ्थ कालमनिस्ट हैं, पाकिस्तान के लिये व मुसलमानों को फिफ्थ कालमिनिस्ट बतायेंगे, लेकिन मेरे विचार में कोई जाति सारी की सारी फिफ्थ कालमनिस्ट नहीं होती, कुछ आदमी होते हैं, जो हार का, पराजय का एक वातावरण पैदा करते हैं और मैं कहता हूं कि जिस समय चीन का अटैक हुआ उस समय जनसंघ का एटीच्यूड बिलकुल वैसा ही था । उसका ही कहना था कि हमारी फौज के पास जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, हथियार नहीं हैं और यह रवैया फिफ्थ कालमनिस्ट का ही हो सकता है । तो मर्ज का जो इलाज उन्होंने बतलाया वह कोई इलाज नहीं है ।

चीन के अटैक के बाद देश में जो जोश पैदा हुआ उससे हमको पता चला कि समूची जनता आजादी के लिये जागरूक है लेकिन यह भी ठीक है कि उस समय जो स्पिरिट देश में हुई उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । हमको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार उपयोग किया जाय । आज

[श्री गोविन्द सहाय]

की लड़ाई दूसरी तरह की है । हमको सोल्जर को भी एक आइडियालाजी देनी पड़ेगी जनता को जागरूक रखना पड़ेगा । सरकार की ओर से सिवाय सिटीजन्स कमेटी के कुछ थोड़े से कैम्प्स के और कोई काम नहीं किया गया । उसका नान-आफिशियल सेक्रेटरी जरूर थोड़ा इधर उधर घूम लेता है और कोई पब्लिक एसोसियेशन नहीं है ।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं । मेरा अपना अनुमान यह है कि पिछले १५, १६ महीनों में उत्तर प्रदेश में नौकरशाही का दबदबा और बढ़ा है । उसका फैलाव भी बढ़ा है और सरकारी नीतियों में दखल देने का उसका रुख भी बढ़ा है । उसका इस उत्तर प्रदेश में वैसे निरंतर जोर रहा, लेकिन इन दिनों नौकरशाही ने ज्यादा जोर पकड़ा है और इसमें कसूर हमारा भी है । अगर सरकार पब्लिक के नुमाइन्दों को नजरअंदाज करती है और सरकारी नुमाइन्दों को तरजीह देती है तो डेमोक्रेसी पर नौकरशाही हावी होने लगती है । रेशनलाइजेशन कमेटी इस प्रदेश में मुकर्रर हुई और इस प्रदेश में मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आदि होने के काबिल मिल सकते हैं लेकिन हमारे पूरे लेजिस्लेचर में एक ऐसा आदमी सरकार को नहीं मिल सका कि जो रेशनलाइजेशन कमेटी का मेम्बर हो सकता । आपने उसमें तीन मेम्बर बनाये हैं, मैं पूछता हूं कि क्या इस लेजिस्लेचर का कोई भी मेम्बर उसमें नहीं रखा जा सकता था ? यह चीज बताती है कि सरकार का एप्रोच क्या है पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज के बारे में । कहा गया कि हमने तो उसमें एक्सपर्ट्स रखे हैं । एक साहब हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम० ए० हैं, एकोनामिस्ट भी नहीं हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि उनमें कौन सी ऐसी खास बात है जो यहां के ४३० मेम्बरों में से किसी में वह बात नहीं है । मैं समझता हूं कि सरकार को यह समझना चाहिये कि यह लेजिस्लेचर की तौहीन है । अगर इस सदन के ४३० मेम्बरों में एक भी मेम्बर इस योग्य नहीं था तो इसे डाइरेक्ट इनसल्ट समझता हूं । इन्हीं बातों से नौकरशाही का हौसला बढ़ता है और यह ख्याल बनता है कि नौकरशाही आज हावी होती चली जाती है । बजट सेशन में और भी समय और बातों पर अपने विचार व्यक्त करने का, इसलिये मैंने इन्हीं दो चार बातों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं ।

*श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर मैंने महामान्य राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना है ।

(इस समय १ बज कर १ मिनिट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।) उनके भाषण से किसी भी प्रकार की कोई आशा की झलक दिखाई नहीं दी । उन्होंने इस बात का कोई संकेत नहीं किया कि सरकार ने जनता के सामने जो वायदे किये थे वे पूरा करने में सरकार असफल रही है । खाद्यान्नों के बढ़ते हुये मूल्य को रोकने में सरकार असफल रही है उसका भी कोई जिक्र उसमें नहीं किया गया है । आज प्रदेश की ८ करोड़ की जनता त्राहि त्राहि कर रही है । राज्यपाल महोदय ने कोई इस बात का संकेत नहीं दिया कि किस प्रकार यह सरकार महंगाई को दूर करने का प्रयत्न करेगी ।

साथ ही, जो व्यापक भ्रष्टाचार इस प्रदेश में फैला हुआ है, उसको रोकने के लिये क्या प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे, इसका भी कोई जिक्र उनके अभिभाषण में नहीं है । आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच गयी हैं कि उससे जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार कार्यपालिका द्वारा न्याय पालिका पर हस्तक्षेप किया जाता है, यह भी हम सब को मालूम है । माननीय मंत्री जी जो मेरे जिले के हैं, यहां से चले जा रहे हैं वरना मैं उनके सामने कहना चाहता था कि किस प्रकार से न्याय के मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, जब कत्ल और बल्वे होत हैं, नामजद रिपोर्ट होती है डाइंग डिक्लेरेशन भी हो जाता है फिर भी मुकदमे नहीं चलाये जाते हैं । जब मुलजिम पकड़ा जाता है, यहां के मंत्री जी का आर्डर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहुंच जाता है इसके ऊपर मुकदमा न चलाया जाय । यहां कहते हैं सी० आई० डी० द्वारा जांच बिठा दी है । पता नहीं कैसे यहां बैठे बैठे प्रशासन चलाया जाता है ? कहा जाता है कि इस प्रदेश की जनता को अन्न पहुंचाने के लिये प्रयत्नशील हैं । रोज नये नये कानून बनते चले जा रहे हैं और हम लोगों को कहा गया है कि इसकी तुरन्त इन्क्वायरी की जावेगी । मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया कि हमारे जिले का सप्लाई आफिस भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है । इस संबंध में मैंने दो, तीन नाम भी मंत्री जी को बतलाये परन्तु इन्होंने कहा कि इन्क्वायरी करवा लेंगे । इन्होंने इन्क्वायरी किनसे करवाई ? इनकी इन्वायरी का वही तरीका है कि इन्होंने जिलाधीश को भेजा, जिलाधीश ने एस० डी० ओ० को भेजा, एस० डी० ओ० ने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार ने सुपरवाइजर कानूनगो को और सुपरवाइजर कानूनगो ने लेखपाल को भेजा । मैंने उसमें यह लिखा था कि मंत्री जी आप लेखपाल से जांच न करवायें परन्तु लेखपाल से ही इन्क्वायरी करवाई । लेखपाल ने हमसे कहा कि इस प्रकार हमारी आमदनी बढ़ जाती है ।

इस प्रकार से यह चुनाव की भी बात करते हैं । चुनाव में स्थिति यह है कि प्रदेश की जनता जो दाने दाने के लिये मोहताज है, उस समय भी दो, दो हजार बोरी हमारे जिले में बिकता है और जब सरकार को बताया जाता है तो वह समाचार टेलीग्राम द्वारा भेज देती है कि सप्लाई आफिसर को हटा दो । मुझे याद है कि एक हजार रुपया सप्लाई आफिसर को दिया जा रहा है कि पुराने कागज पत्र जला दिये जायेंगे और नये कागज पत्र बनाने की योजना चल रही है । इसमें सी० आई० डी० इन्कवायरी नहीं करती है । सी० आई० डी० तो इन्क्वायरी वहीं करती है जहां डाके, कत्ल आदि होते ह और इनके लोग चोर बदमाशों से मिलकर राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करने की कोशिश करते हैं । इन्क्वायरी का जो तरीका है उसको ट्रांसफर कर दे । यह नित्यप्रति यहां से जो कार्यापालिका के लोग हैं वे सारी व्यवस्था में हस्तक्षेप करते रहते हैं ।

भ्रष्टाचार की बात बहुत से लोगों ने बताई । पंजाब की या काश्मीर के मंत्रियों की तथा कुछ हमारे प्रदेश के मंत्रियों की भी जो नित्यप्रति भ्रष्टाचार के कार्य करते रहते हैं और इन कार्यों से बचे हुये मंत्री हैं वे उनके कलंक से कलंकित होते रहते हैं । आज मान्यवर प्रदेश में जो स्थिति है उसके कारण वे सर्वसाधरण सरकारी कर्मचारी और अर्द्ध सरकारी और अल्पवेतन-भोगी कर्मचारियों का जीवन दूभर हो गया है । मंहगाई से कमर टूट गई है । इसका प्रमाण नित्यप्रति विधान सभा के सामने प्रदर्शनों द्वारा प्रकट होता रहता है । जो ऊंचे तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनकी वृद्धि भी हुई लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं हुई है इसी प्रकार अल्पवेतनभोगी अध्यापकों की भी दशा है चाहे वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संबंधित हों या अन्य विद्यालय संस्थाओं से । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पूर्व सभी आशान्वित थे कि कुछ आशा की किरण उनके लिये फूट निकलेगी परन्तु अभिभाषण के उपरान्त चारों ओर निराशा ही निराशा उनको दिखाई पड़ी है और वे सभी कर्मचारी आज अपनी भूख को दिखाने के लिये बाध्य हैं ।

मान्यवर राज्यपाल महोदय ने कहा कि राज्य के सन्मुख इस समय बहुत समस्यायें हैं । परन्तु किसी के चेहरे से भी मालूम नहीं होता कि कोई समस्या उनके सामने है या उन पर उसका कोई प्रभाव पड़ा हो । मंत्रियों के ठाट बाठ उसी प्रकार से चलते हैं । सरकारी कर्मचारियों में कोई एफीश्येंसी नहीं दिखाई पड़ती । हां एक बात दिखाई पड़ती है कि आज सरकार जिस प्रकार भी है उसी प्रकार से अपनी गद्दी बनाये रखने के लिये सही और गलत सब तरीकों से इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है ।

अन्त में, जैसा कि श्री गोविन्द सहाय जी ने जनसंघ के प्रति कहा है कि वे लोग भी इस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे वे फिफ्त कालमिस्ट कहे जा सकते हैं, उसके विषय में भी कहना चाहता हूं । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, यद्यपि उन्हें विश्वास नहीं होगा क्योंकि उनका

[श्री जगन्नाथ राव]

मस्तिश्क मास्को से प्रेरित है । वहां जाकर उहोंने अपने दिमाग का आपरेशन भी कराया है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना हमारी उनसे किसी भी दशा में कम नहीं है । कामरेड गोविन्द सहाय जी इस बात को समझें कि हम राष्ट्र भक्ति में उनसे कहीं आगे हैं ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रान्त जिस प्रकार के नाजुक दौर से गुजर रहा है उस में हमारी सरकार के मुखिया श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिस प्रकार के अभिभाषण की आशा की जा सकती थी, उसी प्रकार की बात उन्होंने हम लोगों के सामने अपने अभिभाषण के द्वारा रखी है ।

इसमें सन्देह नहीं कि इस समय बहुत महंगाई है । इसमें भी सन्देह नहीं कि लोग अक्सर भ्रष्टाचार की बातें कर देते हैं । लेकिन इन बातों को माननीय विरोधी दल के सदस्य यदि दो तीन माह पहले कहते तो ज्यादा अच्छा होता । इस समय तो महंगाई की समस्या काफी हद तक धीरे-धीरे सुलझती जा रही है । यदि २०–२५ दिन पहले के और आज के भावों को देखा जाय तो हमें यह सन्तोष होगा कि सरकार की नीति हमें सुधार की ओर ले जा रही है । महंगाई बढ़ नहीं रही, बल्कि सस्ते की तरफ जा रही है ।

दूसरी बात भ्रष्टाचार की कही जाती है । यह सुन कर मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार और संगठन ने अपने जिम्मेदार आदमियों को शासन से अलग कर दिया है, क्योंकि जनता में उनके प्रति कुछ ऐसी भावनायें थीं, उन बातों को देख कर विरोधी सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये था । अच्छी आलोचना तो वह होती है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीजें देखी जाती हैं, निष्पक्ष होकर आलोचना करना ही सबसे अच्छा काम होता है और उसी से लाभ भी हो सकता है तथा उसमें ही वजन होता है । हमारा प्रान्त शिक्षा के बारे में पिछड़ा हुआ था, उसके बारे में गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया कि लड़कियों की हाई स्कूल तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया है । इसके लिए उन्हें सरकार को धन्यवाद देना चाहिये था ।

एक बात और विरोधी दल के सदस्यों से कह देना चाहता हूं । किसी भी सिनेमा पर चले जाइये । चाहे नीचे दर्जे का टिकट हो या ऊंचे दरजे का टिकट हो, कितनी भीड़ होती है, कितनी धक्कमधक्का टिकट के लिए होती है । अगर लोगों की स्थिति खराब होती तो सिनेमा जैसी जगह पर इतनी भीड़ न होती । स्कूटरों और मोटरों के लिए देखिये कितनी भीड़ रहती है । अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग इन चीजों को क्यों खरीदते हैं ? मैं मानता हूं कि अन्न तो किसी तरह से भी खरीदा जा सकता है क्योंकि उस से आदमी को पेट भरना पड़ता है । लेकिन कार, स्कूटर आदि अनेक चीजें हैं जिनका मैं इस समय नाम नहीं लेना चाहता, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम छोड़ भी सकते हैं और उनके बिना हमारा काम भी चल सकता है, लेकिन आज ब्लैक में भी दाम देकर उन चीजों को खरीदा जाता है । आखिर क्यों ? यदि दर असल महंगाई है और तमाम इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने हैं, तो क्यों नहीं उन चीजों को छोड़ दिया जाता है ?

एक बात बहुत कही गयी है कि यहां रोज पांच-पांच और दस-दस हजार कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन होता है । मुझे याद है कि अंग्रेजों के वक्त में चाहे कोई बड़े से बड़ा कर्मचारी हो या छोटा से छोटा कर्मचारी हो, जब वह किसी से बात करता था तो कमरे में चारों तरफ देख लिया करता था कि यहां कोई है तो नहीं । वे कहा करते थे कि शास्त्री जी दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं कोई सुन न ले । और तब वे जाकर सरकार के विरुद्ध कोई बात कहा करते थे । लेकिन आज हमारी बदकिस्मती है कि हर एक आदमी उस को अपना हक समझता है और जिस की भी चाहे नुक्ताचीनी करता है । आज स्थिति यह है कि वह बाहर खड़े होकर

सरकार को गालियां दे सकता है, डिमांस्ट्रेशन करते हुये सरकार के विरुद्ध भद्दी-भद्दी बातें कह सकता है? आखिर यह क्यों? मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र प्रदेश में रहेगा और पनपेगा, लेकिन प्रजातन्त्र के बारे में लोगों में इस तरह की सन्देह की भावना क्यों है और उसका नतीजा क्या होगा? जहां लोग सरकार को गाली देते हैं वहां छोटे बड़े का भेद भाव खतम हो जाता है। साधारण से साधारण आदमी बड़े से बड़े आदमी को गाली दे सकता है, उसकी नुक्ता-चीनी कर सकता है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की माननीय सदस्यों को भी शिकायतें होंगी। यदि लगातार किसी बच्चे को उसके बाप के विरुद्ध भड़काया जाय तो बच्चे के मन में यह भावना आ सकती है कि कोई न कोई बात जरूर है जो इस तरह की बात मेरे पिताजी के विरुद्ध कही जाती है। जब हम लगातार सरकार के विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार करते हैं और सरकारी कर्मचारियों के बीच में जाकर कहते हैं कि आपका वेतन बढ़ना चाहिये, आप का महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि लगान माफ होना चाहिये, हमारे ऊपर टैक्स छोड़ दिया जाय, क्योंकि टैक्स के मारे लोगों की कमर टूटी जा रही है। आखिर इस बात को क्यों नहीं सोचा जाता कि यदि टैक्स माफ कर दिया जायगा, तो बढ़ी हुई तनख्वाह व महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए पैसा कहां से आवेगा?

इस लिए मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि किसी तरह से प्रजातन्त्र चले तो हमें उसको चलाने के लिए कुछ सही परम्परायें बनानी होंगी और उन पर चलने के लिए आरूढ़ रहना होगा। आज सरकारी कर्मचारी तथा अध्यापक व दूसरे लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उन चीजों को बन्द करना होगा। मैं यह मानता हूं कि कुछ बातें अंग्रेजों के वक्त में हम लोगों ने ऐसी की थीं जो शायद नहीं करनी चाहिये थीं। लेकिन उस समय एक बहाना यह था कि विदेशी सत्ता को किसी तरह से हमें खतम करना है। आज वे ही कुछ चीजें हमें तकलीफ दे रही हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार, जनसंघ की सरकार हो, किसी पार्टी की भी सरकार हो, लेकिन हर हालत में यहां हुकूमत हिन्दुस्तानियों की ही रहेगी। लेकिन यदि यही हालत रहेगी, तो किसी पार्टी के लिए भी हुकूमत का चलाना मुश्किल होगा। और मैं नहीं समझता कि यह हमारे लिए शोभा की बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जिस समय विकास होगा, मुद्रास्फीति का होना स्वाभाविक है। मुद्रास्फीति होगी तो जरूरत की चीजें थोड़ी बहुत महंगी जरूर होंगी। जिन्हें हमें बरदाश्त करना होगा। लोगों में कांग्रेस के लिए भावना है और यह चीज यहां भी बार-बार दोहरायी गयी है कि पिछले एक दो वर्ष के अन्दर जितने भी चुनाव हुये हैं उनमें कांग्रेस को बड़ी अच्छी मेजारिटी में जीत मिली है। इन शब्दों के साथ फिर मैं नम्र निवेदन करता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य जरा देख-भाल कर नुक्ताचीनी किया करें, तो अच्छा हो।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का भाषण हमारी सरकार की नीति और उसकी कार्यविधि का प्रतिबिम्ब है और जनतन्त्र में यही होता है। उसके पढ़ने के बाद और स्वयं इस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री और भूतपूर्व मन्त्री महोदय के भाषण को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। हमारे गृह मन्त्री नन्दा जी ने माना है कि भ्रष्टाचार है और उसको समाप्त करने की दिशा में जो पहला कदम उन्होंने रखा। श्री प्रताप सिंह कैरों से लेकर वीरेन मित्रा तक सब कांग्रेसी मुन्डों को ही साफ किया है और इस तरह से भ्रष्टाचारियों का सिर काटना शुरू किया। नेहरू जी के चेले अगर शासन की गद्दी पर बैठकर चीन और भारत के युद्ध के बाद कमजोरी महसूस करें तो कैसे काम चल सकता है? अगर वह नारेबाजी के अलावा कुछ ठोस कार्य करते तो अच्छा होता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायणसिंह]

लेकिन दलबन्दी के अखाड़े के सिवा और किसी तरफ आज ध्यान ही नहीं जाता। बड़ अफसोस की बात है कि इधर भी और उस तरफ भी दोनों तरफ जातिवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक मिनिस्टर अपने लड़के को तरह-तरह से पैसा कमवा दे और दूसरा अपने भाइयों को खिलवाये, पार्टी बन्दी और गुटबन्दी से भी और बढ़कर जा रहे हैं। तमाम इस तरह के शासक दल के लोग हैं और कितने ही इस तरफ के लोग हैं जो तरह-तरह के गठबन्धन किये हैं और तमाम तरह के परमिट और कोटे लिये हुये हैं। आप की जो यह गुटबन्दी है और जो राज्य की कार्यविधियां हैं वही जनता में भी जाकर फलती-फूलती हैं। दोनों ओर वही हालत है। जनसंघ में और स्वतन्त्र दल में सब जगह जिला परिषदों में या यहां हर स्थान पर गुटबन्दी और गठबन्धन हैं और वहां अपने लोगों को चिपकाया जाता है। मैंने कृषक समाज के प्रेसिडेंट और हरप्रसाद जी के लड़के हैं उनको देखा . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जो यहां नहीं हैं उनका नाम आप न लें।

एक सदस्य—

आप अपनी कहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरी क्या सम्पत्ति बढ़ गयी है? मैं अपने बारे में बता सकता हूं लेकिन आप देखें कि जब से विधायक हुये हैं कहां कहां से रकमें आयीं, कैसे चुनाव के लिए पैसा जमा किया जाता है और चुनाव में कितना खर्च होता है? एक सी० आई० डी० का कमीशन बिठाइये तब आप को मालूम होगा कि क्या होता है?

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—

सब से पहले आपकी ही कलई खुलेगी।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरी क्या खुलेगी, मेरे पास इस समय ३,००० रुपये से अधिक नहीं है। २१ साल की वकालत के बाद यही बचत है, मेरे घर की तलाशी ले ली जाय और पास बुक लेकर देखी जाय, लड़के के नाम १,००० रुपया है, मैं चैलेंज करता हूं कि देख लिया जाय। मैं यह सफाई इस वास्ते दे रहा हूं क्योंकि मुझे अपने विषय में सफाई देने का हक है और साथ ही दूसरों से भी पूछने का हक है। माननीय गोविन्द सहाय जी कहते हैं कि कांग्रेस के चुनाव में दस हजार व्यय होता है जबकि लिमिट भी खर्च की कम है और पार्टी से भी कम दिया जाता है तो कहां से आता है? श्रीमती विजय लक्ष्मी के चुनाव में कई लाख रुपया व्यय हुआ और दुनिया में समाजवाद का ढिंढोरा पीटा गया। इस तरह की खराबियां इस तरफ भी हैं और उधर भी हैं उनका हम सुधार करें। मैं तो सन् १९४५ से बराबर वकालत कर रहा हूं और आज तक कोई परमिट या कोटा दीपनारायण के पास नहीं है, अगर हो तो आप उसे खत्म करा दें।

श्री खूबसिंह—

हमारे पास भी कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से आपस में बात न करें।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैंने तो जनरल बात कहीं, क्योंकि माननीय गोविन्द सहाय जी ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने जिले को टटोलूं। आज यह नौकरशाही के ऊपर कहता हूं। अगर कम पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचारी एक साल दो साल के अन्दर लखपती हो सकते हैं राजनीति के अन्दर तो आई० सी० एस० और पी० सी० एस० को आप किस तरह से रोक सकते हैं जो कम्पिटीशन में आये हैं, मेहनत किये हैं। वह हाथ उठाकर नहीं आये हैं। आज लिद्दी के चढ़वैया, घोड़ी के चढ़वैया जो हाथ उठाने वालों के दिल पर हाथ मारने पर आपकी पार्टी में आये हैं। आपकी पार्टी के अन्दर दो तरफा ही होता है। आज बजट पेश करने का मौका जिनको सौंपा गया वह नहीं हैं। जिस सरकार के घोड़े चारों दिशाओं को भाग रहे हैं ऊपर से नीचे तक उसकी क्या हालत होगी? मैं तो एक बात कह दूं मैंने जो देखा है, पहले गुप्ता जी की आलोचना करते थे कि अरे सुचेता जी को जितायेंगे तो हाथ धो के रहेंगे। लेकिन आप उसको तौले दिल नहीं रखना चाहते। पं० जवाहर लाल पहले देश के प्राइम मिनिस्टर हुये और अब दूसरे लालबहादुर शास्त्री जी देश के प्राइम मिनिस्टर हुये और यह देश पिछड़ा ही पिछड़ा रहा। हम क्या हैं हम बगावत हिन्दुस्तान से करते हैं और कर्जे दुनिया से मांगते जा रहे हैं। हिन्दुस्तान की सारी राजनीति कर्जे पर है, इसलिए महंगाई है, इसलिए स्फूर्ति है। जो देश अपने पर निर्भर रहता है वह स्वाभिमानी होता है। हिन्दुस्तान के नेताओं ने शासन का और खासकर इस उत्तर प्रदेश के हमारे नेताओं ने अपनी स्थिति मजबूत करी, आर्थिक स्थिति मजबूत करी। आज आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं ब्याज पर। माननीय चरण सिंह जी ने बात उठायी थी, जमीन उन हाथों में जाय जो जोतता है। लगान अब भी बड़े बड़े लोग कम देते हैं और जमीन हथियाये हैं। क्या आप योग्य आदमियों को यहां पर बुलवाते नहीं हैं, अच्छे आदमियों को आप यहां पर नहीं बुलवाते हैं और जब चुनते हैं तो आप हाथ उठवाते हैं। यह हरकतें अंग्रेज लोगों की निकाली हुई हैं, यह इस देश के लिए दुर्भाग्य है। अधिकारियों का मारल हम से कहीं ज्यादा ऊंचा है। अगर हम को कोई काम निजी करवाना होता है तो कलक्टर से करवाते हैं। जाति-पांति को मिटाने के लिए क्यों नहीं एक कानून बना देते कि नौकरियों में सब से पहले प्राथमिकता उन को मिलेगी जो जाति बन्धन को तोड़ेंगे। ब्लैक मार्केट करने वाले कितने सजा पाय? एक भी नहीं। आज जमातें बनी हुई हैं। वकीलों की जमात अलग है चाहे किसी पार्टी के हों, बनियों की जमात में एक संगठन है, जमींदारों का अलग संगठन था, लेकिन किसान संगठन, मजदूर सभा एक नहीं हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती कलारानी मिश्रा (जिला हरदोई)—

महामहिम, श्रीमन् राज्यपाल जी का संक्षिप्त हिन्दी अभिभाषण मैंने बड़े गौर से सुना यह प्रथम हिन्दी अभिभाषण हमारे प्रदेश और देश के लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे प्रान्त में जो योजनायें कार्यान्वित होने वाली हैं उनकी स्पष्ट झलक उस में दिखायी देती है। हमारे प्रान्त में इस समय खाद्य समस्या बहुत संकटपूर्ण है और उस पर उन्होंने बहुत सन्तोष प्रकट किया है कि रबी की फसल इस साल बहुत अच्छी है जिस की वजह से अन्न संकट दूर हो जायेगा। किन्तु खेद है कि उन्होंने वितरण व्यवस्था का जो प्रदेश में महामारी का रूप धारण किये है उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। इस समय प्रदेश में शक्कर और अन्न का कन्ट्रोल चल रहा है। उसकी इस वितरण व्यवस्था को बड़ा ही दूषित कहा जाता है। जनता को पर्याप्त मात्रा में न चीनी मिलती है और न अन्न मिलता है। लेकिन ब्लक में जितना सामान चाहें मिल सकता है। हमारे प्रदेश में कोई काम रुकने वाला नहीं है। हलवाई, होटल वाले, शादी विवाह आदि कामों के लिए लोग दुगनी कीमत पर चीजें लेते हैं और अपना काम चलाते

[श्रीमती कलावती मिश्रा]

हैं। यह भ्रष्टाचार दूर होना चाहिये, आखिर कहां से यह चीजें ब्लैक में आती हैं। भ्रष्टाचार को दूर करके ही जनता का कल्याण होगा। कहा जाता है अनाज, शक्कर, मैदा, रवा, लोहा, सीमेंट की बहुत कमी है। लेकिन मैं दावे से कहती हूं कि इन की कमी नहीं है। खरीदार दुगना पैसा दे कर खरीदता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कन्ट्रोल तोड़ दिया जाय और अधिक फेयर प्राइस शाप्स रखी जायं और मूल्य निर्धारित कर दिया जाय। गल्ले पर से नियन्त्रण हटते ही जनता को बाजार में गल्ला मिलने लगेगा और मन्डियों में भी गल्ला आने लगेगा जिस से लोगों की परेशानी दूर हो जायगी। कन्ट्रोल होने से काश्तकार और व्यापारी गल्ले को दबा देते हैं। इसलिए सरकार को कन्ट्रोल हटाने की बात गम्भीरता से सोचनी चाहिये। इस समय कन्ट्रोल हटा कर सरकार बहुत बड़ी बहादुरी का परिचय देगी।

शिक्षा के बारे में राज्यपाल ने जो जिक्र किया है कि दो विश्वविद्यालय खुलेंगे तथा बालिकाओं की दसवीं तक फीस माफ हो जायगी यह बहुत खुशी और गौरव की बात है। मेरा सुझाव है कि हर कस्बे और परगने में अब भी एक-एक कन्या जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता है। यह स्कूल जिला परिषद् के माध्यम से खोले जाने चाहिये ताकि ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके।

हमारे अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है। इसी कमी को सरकार ने बड़े ढंग से पूरा करने का प्रयास किया है। कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों को प्रोत्साहन दे कर सरकार ने जनता की सहायता की है। लेकिन किसी-किसी अस्पताल में दवाइयां आज भी गरीब को न मिल कर ब्लैक में बिक जाती हैं। इस में हमारा और जनता का दोनों का दोष है। हमारा ही नैतिक पतन हो गया है और हम अपनी जिम्मेदारी को भूल गये हैं।

प्राविधिक शिक्षा भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रगति कर रही है। कुछ ही वर्षों में सकड़ों विद्यार्थी इस से लाभान्वित होंगे। महामहिम राज्यपाल ने खेती की उन्नति और मेहतरों की तनख्वाह के बढ़ाने के बारे में तो कहा है लेकिन हमारे शिक्षक वर्ग जो हैं उन के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारे शिक्षक हमारे नेशन के बालकों को पढ़ाते हैं इस लिए उन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। चूंकि इतनी महंगाई हो गयी है अतः हर एक छोटे कर्मचारी की तनख्वाह को भी बढ़ा देना चाहिये। वैसे तो सब प्रयास हो ही रहा है लेकिन फिर भी एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें अवश्य बढ़ा दें ताकि इस से इस वर्ग का भी कल्याण हो जाय।

अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देती हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ही नहीं, सदन को खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने कुछ समस्याओं की चर्चाएं अपने अभिभाषण में नहीं कीं। पहले तो मैं थोड़ी सी बात यह बता दूं कि अगर महामहिम राज्यपाल जी इन चीजों की चर्चा अपने इस भाषण में कर देते तो मुझे खेद न होता। यह तो मैंने जब यह भाषण पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसा ही मालूम दिया जैसे अंग्रेजों के जमाने में सरकार का बखान या उसकी तारीफ कर दी। आज माननीय बनारसीदास जी ने एक बात और ही कह दी। अगर उस बात को महामहिम राज्यपाल महोदय अपने भाषण में ले आते तो बहुत बढ़िया होता। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि १३ ट्यूबवेल्स में से ११ बिगड़ गए हैं। नहरें बिगड़ीं। राम गंगा योजना असफल रही। बीज भंडार बिगड़े और कर्जा देने वाली मैशिनरी भी बिगड़ी, जो किसानों को कर्जा देती है। तो फिर हम भाषण का स्वागत करते। मेरी समझ में नहीं आता कि धन्यवाद किस बात का। शायद एक सदस्य कल कह ही गए और कह गए बड़े अभिमान के साथ और उसी लहजे में माननीय गेंदासिंह जी और माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामायण राय जी भी कह गए कि हमारा बहुत बड़ा बहुमत है हम काबू में नहीं आ सकते और यह विरोधी दल के सदस्य कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। पर याद रखिए कि पांडव केवल ५ थे और उनके खिलाफ कौरवों का दल असंख्य था। अकेले प्रह्लाद था लेकिन हिरण्य-कश्यप की मनोवृत्ति के लोग कितने थे। राम और लक्ष्मण कितने थे और रावण की असंख्य सेना थी। यह अभिमान मत करें। अब पाप का प्याला भर चुका है। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि अगर गेहूं १ छटांक का भी बिकता है तब भी जनता हमारे साथ है। यह अपनी आत्माओं से तथा अपने व्यवहार से पूछिए कि आज भी इस सरकार के जमाने में ५ रुपए मासिक पाने वाला चौकीदार है यानी जिसे ढाई आने रोज मिलते हैं और जो हर वक्त कसा रहता है, जो लाल पगड़ी बांध कर थानेदार के हुक्म पर नाचता रहता है। इस निकम्मी सरकार ने उन लाखों चौकीदारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

अब नकल की बात देखिए। अंग्रेज भी मखमल बिछाया करते थे और अब भी मखमल बिछाई जाती है। दूसरी ओर गरीब के बच्चे के लिए सरदी में कपड़ा नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं। तो क्या यही बापू जी ने बतलाया था, यही उनका नारा था? याद रखिए सन् ६७ आ रहा है।

एक सदस्य—

तब तक आप कांग्रेस में आ जायेंगे।

श्री लखीसिंह—

मैं चापलूसी नहीं जानता। यह पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है जो चापलूसी नही करेगी और डंके की चोट पर आपकी खामियां जनता को बतलायेगी। हालत यह है कि पानी अधिक बरसने से बांध डूब रहे थे, भूख से बच्चे भाग रहे थे लेकिन जब किसानों ने सत्याग्रह किया तो आपने उन पर २०० रुपए जुर्माना कर दिया। फिर हार कर घुटने आपने टेके और २ अक्तूबर को, गांधी जयन्ती के दिन आपने उनको छोड़ दिया लेकिन उनके बर्तन, बैल कुर्क कर लिये, नीलाम कर दिए। इस पर आप गर्व करते हैं कि जनता आपका साथ देगी और आपका बहुमत फिर रहेगा? समय बतलाएगा।

नेगी जी महाराज ने बताया कि हर न्याय पंचायत में ३०० राशन कार्ड दिए गए जब कि वहां १० हजार जनता रहती है। फिर एक दफा के अलावा उन दूकानों पर कोई राशन नहीं दिया गया। उनकी दी गयी पुस्तिका में लिखा है कि दिसम्बर, ६३ के अन्त में राज्य में सस्ते गल्ले की दूकानें ५,०९२ थीं जो बढ़ कर दिसम्बर, ६४ में १२,६२५ हो गयीं जिनमें ३,९११ दूकानें शहरी क्षेत्र में और ८,७१४ दूकानें देहाती क्षेत्र में चल रही हैं। लेकिन आप देखें कि क्या क्या वहां? ऊंची दूकान फीके पकवान। दुकान खोले बैठे हैं, आटा नहीं है, चावल नहीं है, लोग राशन कार्ड लिए फिरते हैं और सरकार की जान के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सरकार का बेड़ा गर्क हो हमें राशन नहीं मिल रहा है।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे अफसोस है कि जिस जोश खरोश के साथ यहां बातें हो रही हैं, मेरे भाषण में उतनी गर्मी नहीं आ सकेगी। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि महा-महिम राज्यपाल के भाषण की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूं। यह महत्व की बात नहीं है कि महामहिम राज्यपाल ने गत वर्ष की उपलब्धियों के सम्बन्ध में क्या चर्चा की? लेकिन यह महत्व की बात अवश्य है कि भावी कार्यक्रम की ओर किस प्रकार से और किस सीमा तक उन्होंने संकेत किया जहां उन्होंने हेड आफ दि स्टेट की हैसियत से हम लोगों को चीन के हमले के खतरे की चेतावनी दी उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। चीन के हमले के समय किस तरह की मुस्तैदी जनता ने तथा विरोधी दलों ने भी दिखाई उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उत्पादन

[श्री रामलखन शुक्ल]

बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई, सुरक्षा का प्रयास किया गया और अपने देश के नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन अब उसमें शिथिलता आ रही है। उनका कोई फालो अप प्रोग्राम नहीं है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां वह इस बात की घोषणा करती है कि इस समय इमर्जेन्सी है वहां इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे कार्य देहाती क्षेत्रों में होने चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि वास्तव में इमर्जेन्सी है।

दूसरी बात जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने की कही, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने की ओर ध्यान नहीं गया। मुझे आशा है कि इधर सरकार का ध्यान जायगा। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। जहां १८ प्रतिशत हरिजनों के भर्ती करने का कोटा पूरा नहीं हो सका तब तक ४५ प्रतिशत निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में उनकी भर्ती करने की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब हम राज्यपाल महोदय के भाषण की चर्चा करें तो इस बात को विस्मृत नहीं करना चाहिए। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने स्वयं कहा है कि जब वित्त मन्त्री बजट प्रस्तुत करेंगे तो उसमें विवरण आयेगा। इसमें विवरण की बात नहीं होती है लेकिन एक आध मौलिक बात की ओर उनका ध्यान जाना चाहिए था। इधर हमारे राज्यपाल महोदय का ध्यान जाना चाहिए था कि पूर्वी जिले तथा सम्पूर्ण प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण का कार्य ऐसा है जिसकी रोकथाम के लिए किसी मौलिक योजना की ओर ध्यान जाना चाहिए। यह कार्य ऐसा नहीं है जिसको कह दें कि यह साधारण कार्य है। मुझे दुख है कि इस ओर कोई संकेत नहीं हुआ। बाढ़ योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे हम मुस्तकिल तौर से दैवी दुर्घटनाओं से बच सकें और जो हम इनके नित्य शिकार होते हैं उनसे बच सकें।

इसी प्रकार से महंगाई के रोकथाम की बात है। मेरा मत यह है कि राज्य सरकार सम्पूर्ण रूप से डिकंट्रोल या कंट्रोल को चुनने में अपने को असमर्थ पा रही है। सरकार को किसी एक को चुनना चाहिए। अगर हम डिकंट्रोल में विश्वास करते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपनी नीति से पीछे हटते हैं और साहस के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करने में असफल हो रहे हैं और सीमित कंट्रोल द्वारा अपने द्वारा निश्चित की हुई कीमतों को स्थायित्व देने में असफल हो रहे हैं इस पर मैं समझता हूं कि गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हिम्मत के साथ स्टेट ट्रेडिंग की ओर ध्यान देना चाहिए और साहस के साथ अपने भंडारों को बनाना चाहिए और हिम्मत के साथ जखीरेबाजों का मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें, प्रारम्भिक दिनों में हो सकता है कुछ कठिनाइयां बढ़ें, कुछ असफलताएं बढ़ें, हमारे समाज में जो नैतिक पतन हैं वह भी हमारे रास्ते में खड़े हों। फिर भी हमें उम्मीद है कि हम और सरकार के जितने भी अंग हैं इससे पीछे नहीं हट सकते। इसलिए मेरा मत है कि स्टेट ट्रेडिंग की तरफ कदम बढ़ाया जाय और सरकारी आन्दोलन को अधिक से अधिक सफल बनाया जाए।

इसके साथ ही साथ कुछ अन्य बातों की तरफ भी श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो बातें विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तरफ से कही गयी हैं। सभी विरोधी दल के सदस्यों को सुनने का तो मुझे अवसर नहीं मिला। किन्तु माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने जो बात कही उस बात को मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने जो कुछ भी कहा यदि उसकी एक समरी बनाई जाये तो मैं इस निष्कर्ष पर आता हूं, जिस संस्कार में वह पले हैं, जिस वातावरण में वह पनपे हैं, वही उनके सिर से किसी न किसी रूप में बोल रहा था। हालांकि वह इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं नहीं तो मैं उनसे पूछता। उन्होंने माननीय सदस्य श्री फूलसिंह के द्वारा दिए गए चर्चिल के कुछ शब्दों के बारे में बहुत कुछ कहा। चर्चिल ने कहा था इंग्लैंड में युद्ध के समय कि हमें खून, पसीना और आंसू चाहिए जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उनका (श्री भानु-प्रताप) का कहना यह था कि श्री चर्चिल की जो वाणी थी वह इस समय अनुपयुक्त है। इतना ही नहीं उनका कहना है कि जो इस समय ऐसी बात करते हैं उनको दण्ड का भागी होना चाहिए।

मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख है कि वह ऐसी बात कहते हैं। मुझे याद है उन्होंने इस आदरणीय सदन में चीनी आक्रमण के समय कहा था, हालांकि वह इस समय यहां मौजूद नहीं हैं और यदि मौजूद होते तो वह इसे स्वीकार भी करते, "चीन की समस्या इतनी भयानक और भीषण नहीं है जितनी इस समय खाद्य समस्या है।" उस समय चीन की महत्वपूर्ण समस्या को कम करके आंका गया और अन्न की समस्या को महत्व दिया गया। यह ठीक है उस समय खाद्य संकट था और सबका ध्यान भी उस ओर था और यहां पर सरकारी तथा विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा था कि खाद्य समस्या का हल अकेले सरकार के वश की बात नहीं है। तो श्रीमन्, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति कहता है देश के संकट के समय में देश को आंसू और पसीना तथा मशक्कत की जरूरत है, तो क्या वह गलत कहता है, क्या वह ठीक नहीं कहता है, क्या वह ऐसा कहता है कि उसे मारा जाये, उसे जूतों से मार देने की आवश्यकता है? मुझे इस आदरणीय सदन में किसी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बड़ा दुख: होता है। इस प्रकार की निराशा की बातें करने वाले, इस प्रकार की परावलम्बी बनाने की बातें करने वाले व्यक्ति स्वयं दण्ड के पात्र हैं। यदि समाज जागरुक होता यदि समाज में चेतना होती तो जनता ऐसी बातें बरदाश्त न करती और ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई विश्वास व स्थान न होता। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की निराशापूर्ण बातें करने वाले वास्तव में गद्दार हैं, वह देशद्रोही हैं। जनता को परावलम्बी बनाने की यह एक साजिश है और जिसका यह एक प्रस्फुटन है। इन सारी बातों को मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं।

उन्होंने सहकारी खेती की बात कही और कहा कि इसमें हानि हुई है। मैं कहता हूं कि हानि इसलिए हुई है कि आप और आप ऐसे तमाम लोग इसको असफल बनाने के लिए कमर कस कर जुटे हुए थे, वह लंगोटा कसकर इसके खिलाफ प्रचार कर रहे थे और उसमें हर तरह की बाधा उत्पन्न करने पर तुले हुए थे। तो जो उनका विचार है कि जनता को परावलम्बी बनाया जाये, जनता को बल न देने का दृष्टिकोण है यह उसी का परिचायक है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात श्रीमन्, इस सदन के समक्ष या किसी भी सम्भ्रान्त समाज के समक्ष नहीं कही जानी चाहिए।

अब चूंकि लाल बत्ती हो रही है मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं एवं आशा करता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने संकेत किया है, सरकार उन पर ध्यान देगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हमारे प्रदेश की हालत हर मोर्चे पर बहुत खराब है। इसका कारण हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं। दो तीन शब्दों में इसका कारण है प्रदेशीय सरकारी नेताओं की प्रभावहीनता और कुर्सियों के लिए आपस में जूतम पैजार। श्रीमन, चौथी पंचवर्षीय योजना एक साल के बाद शुरू हो जायगी और उसके आकार तीसरी पंचवर्षीय योजना से तिगुना अधिक है। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि हमें अपने साधनों को जुटाना चाहिए। अशोक मेहता जी आए थे तो उन्होंने भी यही कहा कि राज्य को अपनी मेहनत से पैसा इकटठा करना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछली योजनाओं को देखें और राजस्व और कर भार को देखें तो आप पायेंगे कि ५०–५१ में राजस्व से आय ५२ करोड़ रुपए थी और ६४–६५ में वह २२४ करोड़ रुपए हो गयी। कर भार जिसके बारे में महामहिम राज्यपाल इशारा करते हैं और माननीय अशोक मेहता जी कह गए हैं और इस सरकार में बैठे हुए लोग भी सोचते हैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें जरा गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। १४ वर्ष के पहले जो कर भार हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति चार रुपए था वह बढ़कर १० रुपया प्रति व्यक्ति हो गया और आय प्रति व्यक्ति वार्षिक ५ रुपए से कम, तो सोचना होगा कि गम्भीर हालत कैसे ठीक होगी? ट्रेजरी बेंचेज के लोगों की निगाह आज किसान की तरफ लगी है कि वे कोई टैक्स नहीं देते और उन पर टैक्स लगना चाहिए। मैं चेतावनी के रूप में बता देना चाहता हूं कि अगर

[श्री ऊदल]

किसान की तरफ आपने निगाह फेरी तो आपकी क्या हालत होगी इसको आप समझ लीजिए और यह भी सोचने की कृपा कीजिए कि किसान लगान के अलावा और भी टैक्सेज अदा करता है। किसान मिट्टी का तेल इस्तेमाल करता है। उस पर ५१-५२ में २६ लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी थी और अब वह १५ करोड़ रुपए है। कौन अदा करता है? किसान। बिजली जलाकर पंखे चलाकर अपने कमरे में बैठने वाले नहीं। दूसरा, चीनी के ऊपर ८ करोड़ २२ लाख एक्साइज ड्यूटी थी और अब वह ४६ करोड़ १० लाख हो गयी है। दिया सलाई, जिसको किसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, पर ८ करोड़ ६९ लाख से बढ़ कर १८ करोड़ ६० लाख एक्साइज ड्यूटी हो गयी। सूती मोटा कपड़ा जो किसान पहनता है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी १६ करोड़ ३६ लाख से बढ़कर ४४ करोड़ ५५ लाख हो गयी। तम्बाकू जो सुरती और हुक्के के इस्तेमाल में आती है, बीड़ी वह पीता है उस पर एक्साइज ड्यूटी २१ करोड़ ९९ लाख से बढ़कर ६० करोड़ हो गयी। कागज, आज हम सस्ती पढ़ाई की बात कहते हैं लेकिन उसी कागज पर २ करोड़ ६८ लाख से बढ़कर ११ करोड़ १७ लाख रुपए हो गयी। वेजीटेबिल नान-एसेन्शियल आयल पर २९ लाख से बढ़कर १२ करोड़ ५० लाख एक्साइज ड्यूटी हो गयी। रेलवे का टैक्स १९५७-५८ में जो लगा था वह ३ करोड़ ७८ लाख था लेकिन अब १२ करोड़ ५० लाख हो गया। इसके अलावा एक्साइज की ड्यूटी है। इस तरह से तमाम टैक्स आज किसानों पर लग रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके दिल और दिमाग में यह बात है, जैसा कि मुरार जी देसाई ने गुजरात में कहा कि किसानों पर टैक्स लगना चाहिए तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप इधर निगाह न डालिए नहीं तो आपकी हालत बहुत खराब होगी और आपको सोचना पड़ेगा कि आपने गलत कदम उठाया।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह की हालत आज हर मोर्चे पर है। चरणसिंह साहब एग्रीकल्चर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और ऐसा कहा जाता है कि भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्होंने क्रान्ति पैदा कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी यही भूमि व्यवस्था में क्रान्ति है कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति थे, जमींदार थे, ताल्लुकेदार थे उनसे जमीन का लगान १ रुपया और आठ आना एकड़ लिया जाय और जो पिछड़े हुए किसान हैं, गरीब हैं उनसे एक एकड़ का और आधा एकड़ का ८, ८ रुपए एकड़ लिया जाय, ६, ६ रुपए एकड़ और ४,४ रुपए लिया जाय? क्या यही आपकी भूमि व्यवस्था में क्रान्ति है? इस तरह से इस सरकार ने हर मोर्चे पर अपना निकम्मापन दिखाया है। मैं समझता हूं कि इस खाद्यान्न का संकट इसी वजह से है। पहले सरकार ने कहा था कि सीलिंग से हमको २९ लाख एकड़ जमीन निकलेगी और इससे खाद्य समस्या हल होगी लेकिन उस सीलिंग से केवल ९९ हजार एकड़ जमीन मिली है और वह भी अभी वैसे ही पड़ी है। इस तरह से हर मोर्चे पर सरकार के निकम्मेपन का सबूत मिलता है। अगर सरकार चाहती है कि भूमि व्यवस्था में क्रान्ति हो तो पहले सरकार की ओर से जमीन के स्तर को निश्चित किया जाय। ए, बी, सी, डी क्लास जमीन को निश्चित करनी चाहिए। मेरा अनुमान है इससे सरकार के लगान में बढ़ोत्तरी होगी। शिवराजसिंह जी भी खेती के एक्सपर्ट हैं। वह मेरी बात से सहमत होंगे कि इससे लगान में बढ़ोत्तरी होगी। अगर इस बात का पता लगाया जाय तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत-सी जमीन है, लाखों एकड़ जमीन पड़ी है और जिनसे राष्ट्र का कोई हित नहीं हो रहा है। बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि बड़े पैमाने पर बागात लगा लिए हैं। इस सीलिंग से यह भी हुआ है कि लोगों ने अपनी पतोहू के नाम, बिटिया के नाम, दामाद के नाम उस जमीन को कर दिया है। यही इस भूमि व्यवस्था में क्रान्ति का परिणाम निकला है। इस सारे संकट की जिम्मेदार यह सरकार है।

सिंचाई के क्षेत्र में भी सरकार ने अपना निकम्मापन दिखाया है। सूबे में आज लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए बिजली भी नहीं मिलती है। आज जिस तरह से स्थिति चल रही है उसमें बहुत सावधानी के साथ और मजबूती के साथ इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

कल हमारे भाई कुंवर श्रीपालसिंह जी ने इधर के बैठने वाले लोगों को गद्दार कहा। ये लोग अपने को प्रजातन्त्र का हामी भरने वाले कहते हैं। स्वतन्त्रता के पुजारी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले इन प्रतिक्रियावादी लोगों से सरकार को इस देश को बचाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी पूंजीपति, जितने भी ब्लैक मार्केटियर हैं वे सब जनसंघ के अन्दर पनप रहे हैं। हिटलर, मुसोलिनी और चांग काई शेक कम्युनिज्म का विरोध करते रहे उनकी क्या गति हुई, वही जनसंघ की होगी। ये ही लोग नेशनल दौलत के बटवारे का विरोध करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अब दकियानूसी खयालात हिन्दुस्तान के अन्दर ज्यादा नहीं चल सकते हैं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर देश के अन्दर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो राष्ट्र का प्रतीक मानी जाती हैं, जैसे हमारी राष्ट्रपताका है, राष्ट्रीयगान है, राष्ट्रपति हैं और हमारे राज्यपाल हैं। हमने देखा और अखबारों में पढ़ा कि मद्रास में संविधान की किताबें जलायी गयीं, यह भी देखा कि राष्ट्र भाषा हिन्दी के विरुद्ध नारे लगाए गए। माननीय सदस्यों ने उसे कंडेम किया और निन्दनीय ठहराया। इसी प्रकार महामाननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समय हमने जो शिष्टाचार यहां बरता और जिस प्रकार कुछ सदस्य उसके पहले यहां से चले गए यह भी उचित नहीं था। निस्संदेह यह निन्दनीय है।

सरकार क्यों सफल नहीं हो रही है और क्यों फेल हो रही है, उसके तमाम कारणों में एक यह भी कारण है कि उसे जितना सहयोग हम लोगों को देना चाहिए, वह हम नहीं दे रहे हैं। जिस देश और प्रदेश में संविधान और कानून की इज्जत नहीं की जाती, वहां सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न हो कामयाब नहीं हो सकती। हमें उसकी सीमाओं का खयाल रखना चाहिए। सरकार के सामने भी कुछ सीमायें होती हैं। कुछ कंडीशन्स होती हैं। हमें देखना पड़ेगा उन कंडीशन्स को और फिर उनकी आलोचना करनी चाहिए। वर्तमान सरकार के फेल होने के कारणों पर विचार करते समय हमारे सामने तीन बातें मुख्य रूप से आती हैं। पहला कारण है वितरण, दूसरा है उपज और तीसरा है बाहर से अनाज मंगाने में सरकार कहां तक सफल रही है। खाद्य समस्या को ले कर हम इन तीन कारणों में ही विचार कर सकते हैं और उसमें ही सरकार की सफलता तथा असफलता का निर्णय लिया जा सकता है। आज भुखमरी की जो भीषण समस्या है उसका निर्णय इन तीन बातों पर ही किया जा सकता है। बाहर से अनाज मंगाना उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में नहीं है। वह काम केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और उसके लिये हमारी सरकार लड़ती रही है। बाहर से अनाज मंगाने में सफल या असफल होना हमारी सरकार की सफलता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। जहां तक उपज का सवाल है उसमें हमको सोचना पड़ेगा कि हमको पिछले तीन सालों से बराबर दैविक आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके कारण हमारी फसल बराबर कम होती जा रही है। जो योजना विशेषज्ञ हैं उन्होंने दैवी आपत्तियों की पहली लिमिटेशन रखी है। हमारे यहां पिछले तीन सालों में वर्षा बराबर कम होती रही है और उसके कारण उपज बराबर कम होती गयी। इसलिये उपज कम होने के लिये सरकार को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। इन आधारों पर यदि हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते तो उसके बाद हमें वितरण को लेना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं निहायत अदब से एक बात यह पेश करना चाहता हूं कि हर जिले में वितरण के लिये कमेटियां बनी हुई हैं और उनमें कांग्रेस के लोग कम हैं, दूसरी पार्टियों के लोग अधिक तादाद में हैं। वे सब मिलकर कांग्रेस से अधिक हो जाते हैं। वितरण का सारा काम उस कमेटी के सुपुर्द है और वितरण का सारा काम उसकी सलाह से होता है। उसे पूरा अधिकार है कि वह डी० एम० की भी खिलाफत कर सके। निर्णय में मतभेद होने पर भी वह खाद्य मंत्री के पास जाते हैं। अब तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। तो इस तरह से अगर वितरण कमेटियों के हाथ में रहे तो काफी दिक्कतें हमारी दूर हो जाती हैं। हमें देखना चाहिये कि इसमें हमारी सरकार

[श्री नौरंगलाल]

कहां तक फेल हुई है, कहां तक फेल नहीं हुई। हमें देखना चाहिये कि मौजूदा हालात में एक सरकार इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी। उपज की कमी थी, दैवी प्रकोप भी था, इन सबके होते हुये सरकार कहां तक कामयाब हो सकती थी, हमें यह देखना चाहिये। हमें तो यह देखना चाहिये कि जो हमारी सरकार ने किया अगर यह नहीं किया गया होता तो क्या होता। हमें सरकार की सराहना करनी पड़ेगी कि मौजूदा हालत में हमारे प्रदेश की सरकार ने जो किया वह सराहनीय है। हमने किसी को भूख से मरने नहीं दिया, यह हमारे लिये सराहनीय बात है। हां कुछ त्रुटियां हैं, जिनके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा और उन कुछ त्रुटियों की ओर मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सबसे पहली बात जो इस अन्न की समस्या के सम्बन्ध में है वह है फीयर काम्पलेक्स। उसकी वजह से एक आतंक छा गया है। हर आदमी यह सोचता है और प्रयत्न करता है कि अनाज भर कर रख लो, पता नहीं कल क्या हालत हो। घबराहट के कारण लोग अनाज भरने की कोशिश करते हैं। जो स्पीचेज हम देते हैं और जो प्रोपेगेंडा हम करते हैं उससे इस फीयर काम्पलेक्स को बल मिलता है। सबसे पहले हमें इसे दूर करना पड़ेगा और एक ऐसा वातावरण हमें बनाना होगा कि हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है।

एक चीज और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जितनी विस्तृत मुद्रा है और जितनी उपज है उसको हमें तकसीम कर देना चाहिये कीमत, मात्रायें आदि। जहां पर भी मुद्रा का विस्तार होता है वहां पर मुद्रा की कीमत घट जाती है और चीजों के भाव बढ़ने लगते हैं। इसलिये हमें मुद्रा के विस्तार को रोकना पड़ेगा। इसके लिये एक ही तरीका है, मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को १०० रुपये का नोट वापस ले लेना चाहिये। इस तरह से हम इनफ्लेशन को कम कर सकेंगे। जब तक आप बहादुरी के साथ इस कदम को नहीं उठायेंगे समस्या का हल आप नहीं कर पायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। कंट्रोल और डी-कंट्रोल की बात की जाती है। अगर सरकार को कंट्रोल करना है तो कम्पलीट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और अगर नहीं लेना चाहती है तो बिलकुल छोड़ दे। बीच का रास्ता हम नहीं अपना सकेंगे। सरकार की या तो कम्पलीट आटोनामी प्राइसेज के बारे में होनी चाहिये स्टेट के अन्दर। या सरकार हमें भी सरकारी दूकानें खोलने की बिलकुल छूट दे दें। यह मेरा तीसरा सुझाव है।

मेरा चौथा सुझाव सरकार को यह है कि इस वक्त उसे सारी तवज्जह प्राइसेज के कंट्रोल के ऊपर देनी चाहिये। हर पार्टी की चाहे वह आपोजीशन की हो या अपनी, इस आपत्ति काल के अन्दर, एक मिली जुली सरकार बनाकर काम करने की सोचना चाहिये। मिली-जुली सरकार हो यह आपका नारा होना चाहिये जो मिली जुली पालिसी को तय करे। न कि यह कि सरकार इस्तीफा दे।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं जो पर्सनल है। बरेली डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिये यह मेरा सुझाव है।

श्री लोकपालसिंह (जिला ऐटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री राज्यपाल महोदय हिन्दी की बिन्दी लगाकर यहां पर पीठासीन हुये तो मैंने उनमें अलौकिक बात और अलौकिक प्रतिभा देखी। इतना छोटा-सा कद और इतना बड़ा पद और उनसे भी उनका ऊंचा नाम "विश्वनाथ दास" यह सब इतना छोटे से शरीर में कैसे समा गया, मेरा मस्तिष्क इसी भाव लहरी में रम गया जैसा कि इस श्लोक से प्रतिपादित है। "महती देवता ह्येषा, नररूपेण तिष्ठति"। इसके अतिरिक्त एक और भी श्लोक इनकी महिमा में मैंने मूक भाषा में पढ़ा।

"स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा, भवत्कृपा श्री मंहिमप्रसादात्।
प्राप्ता मया श्री श्री महात्मने, नमोनमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु॥

इसका भाव यह है कि मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूं क्योंकि यह स्वराज्य तो नहीं साम्राज्य की विभूति आप ही द्वारा प्राप्त हुई है। परन्तु मैं किसी वस्तु के प्राप्त करने से उसके संरक्षण को अधिक महत्वशाली समझता हूं और संरक्षण से अधिक महत्वशाली उसके सदुपयोग को। यह मैं मानता हूं कि यह वस्तु आपने प्राप्त की है परन्तु वस्तु के प्राप्त करने के अनेक प्रकार होते हैं। अतः केवल वस्तु का प्राप्त करना ही कोई अधिक महत्व की बात नहीं होती। किसी मूल्यवान वस्तु को चोर चोरी करके, डकैत डकैती करके, जुआरी जुआ खेल करके और भाग्यशाली डरबी जैसी लाटरी बिना ही प्रयास पा जाता है और ऐश्वर्यवान् अपनी तपस्या के द्वारा वस्तु प्राप्त करता है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि यह वस्तु आपने कैसे प्राप्त की। "कामयाबी अगर हुई तो बेवकूफी पर भी नाज" हां नाज की बात तो बन गई परन्तु उसका सदुपयोग नहीं कर सके जिसकी महामहिम ने अपने भाषण में भी झलक दी है। उन्होंने माना है कि चीनी खतरा है, होमगार्ड और सिविल डिफेन्स की आवश्यकता है। अतः यह बात सिद्ध होती है कि उसकी रक्षा नहीं हो सकी है। महामहिम ने यह भी माना है कि देश में अनुशासनहीनता, जखीरेबाजी तथा अन्न की कमी आदि अनेक संकट हो रहे हैं। यह बात सिद्ध करती है कि वह उस प्राप्त की हुई वस्तु का ठीक प्रकार वे सदुपयोग नहीं कर सके अ.र न संरक्षण ही कर सके। अब मेरा अपना विचार है कि यदि सरकार इसका संरक्षण और सदुपयोग कर सकी होती तो मैं तो एक लघु शरीर हूं देवता भी शीश नवातें—

"सुखराज्य स्वराज्य महावर को,
दुःखराज्य कुराज्य बनाते न तो,
पथभ्रष्ट अशिष्ट अनिष्टन को,
यदि शीश पै आज चढ़ाते न तो ।।
धनवान का मान बढ़ाते हुए,
यदि दीन को नाच नचाते न तो।
लघु मानव की तो चली थी कहां,
उठि इन्द्रहु शीश नवाते इतो ।।"

(सर झुका कर) इतना सिर इन्द्र भी झुका देते आपके लिये। महामहिम के भाषण से यह मालूम हुआ कि वह मुर्गी पालन, सुअर-पालन, मछली-पालन, बागवानी आदि से देश का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। देश का स्तर तो वैसे ही बहुत ऊंचा उठ गया है। इस सरकार के राजत्व काल में शराब देखिये, सिनेमा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा देखिये। चोरी, डकैती और जुआ देखिये। पहले छोटे लोग जुआ खेला करते थे, अब बड़े बड़े लोग यह काम करने लगे हैं। मेरे ही जिले में जज वकीलों के साथ जुआ खेलता है और जो वकील उसको योग देते हैं, उन्हें ऊंचा उठा देता है। हम चाट गये सड़कों को, हम सटक गये योजनाओं को, हम पी गये नहरों को, निगल गये पुलों को, अतः हम यहां के बैठने वालों ने भी देश का स्तर बहुत ऊंचा उठा दिया।

देश में सोना रहा हो या न रहा हो, लेकिन हर वस्तु सोना बन गई। आज का मजदूर फटे कपड़े पहनने वाला भी सोने के कौर खाता है, जोकि राम और कृष्ण को भी नसीब नहीं हुआ। बहुत ऊंचा स्तर देश का उठ गया। आज मंहगाई इतनी हो गई है कि अनाज भी सोने के भाव हो गया है और आप झूठ न मानें, जाकर देखिये लेखपालों के घरों में, तहसीलदारों के यहां, पेशकारों के यहां, थानेदारों और सुपरवाइजरों के घरों में, बराबर सोना बरसता है। वीरता में भी हमारा स्तर इतना ऊंचा उठा है कि कुछ कहना ही नहीं। हमारे महामहिम को चिन्ता हुई कि होम गार्ड बढ़ाया जाय। उन्हें अहिंसा और सत्य के अस्त्र में विश्वास नहीं रहा। "सत्य और अहिंसा के विशाल भुजदंडनु से लंदन हिलाय गयो भारत को बनियां"। बड़े क्षोभ की बात है। तकली-पौनी ने मानचेस्टर को हिला दिया। क्या आपकी तकली-पौनी

[श्री लोकपाली सिंह]

आज एटम बम्ब को देख कर कुण्ठित हो गई । क्या सरकार की चीक नरवस और कन्पयूज्ड पालिसी फेल हो गई ।

चूमत चरण शृगाल के, गज-मद-मर्दन शेर ।
झपटति बाजनु पै लवा, अहो दिनन के फेर ।।

सुख सोवत जब शूरमा, तो उपजत उत्पात ।
गदही हू दै जाति है, ऐरावत के लात ।।

हमारे राज्यपाल महोदय को बड़ा दुख हुआ कि देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, फूट, कलह, अराजकता और अनुशासनहीनता फैल रही है । यदि वह श्री तुलसीदास जी की चौपाई को पढ़ देते तो सब लोगों को शान्ति मिल जाती । क्योंकि जो कुछ भी आज देश में हो रहा वह तो उनके लेखानुसार ही तो हो रहा है । इसमें सरकार का क्या दोष ? श्री तुलसीदास के लेख को तो कोई हुकूमत मेट नहीं सकती ।

"बहु धाम संवारहिं योगि यती । विषया हरि लीन गई विरती ।।
तपसी धनवन्त दरिद्र गृही । कलि-कौतुक तात न जात कही ।।
नृप पाप परायण धर्म नहीं । कर-दंड, विदंड प्रजा नितही ।।
कलि बारहि बार दुकाल परैं । बिन अन्न दुखी सब लोग मरैं ।।
नर पीड़ित रोग, न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारन ही ।।
सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता । मति थोर कठोर न कोमलता ।।
नहिं तोष विचार न शीतलता । सब जाति कुजाति भई मंगता ।।
इरषा परुष पद-लोलुपता । भरिपूरि रही समता-विगता ।।
कुलवन्ति निकारहिं नारि सती । गृह आनहिं चेरिहि चोर-गती ।।
कलि-काल विहाल किये मनुजा । नहिं मानत हैं अनुजा-तनुजा ।।

इन चौपाइयों के केवल पढ़ देने मात्र से ही सरकार का सारा कलंक धुल जाता और जनता का समस्त भ्रम मिट जाता और महामहिम के हृदय को भी शान्ति मिल जाती ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भाषण का मौका दिया । वाकई राज्यपाल जी को धन्यवाद देने की जरूरत है चूंकि उनका दिल शेर दिल की माफिक है । वह भाषण नहीं कर पाये और दूसरों को दे दिया । जबसे वह बैठे हमारे दिल में उनके लिये आंसू थे । हमारा दिल उनके लिये रो रहा था । चूंकि उनकी बेइज्जती हुई थी । पहले जो हुआ सो हुआ, फिर उसके बाद यह हुआ ।

हिन्दी की बाबत मुझे कुछ कहना है । हिन्दी इस हाउस में थोप दिया गया है । उसे नेचुरल वे में नहीं चलने दिया है । मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ टालरेंस रखें । मैंने कल भी और आज भी सुना कि अंग्रेजी में चीजें क्यों छप रही हैं । क्या यह यही टालरैंस है ? इसी तरह से देश बढ़ेगा ? जितना जोर हिन्दी के लिये लगाया है उतना जोर देश में गल्ला पैदा करने के लिये, कपड़े का इन्तजाम करने के लिये, हमारे सिर पर छत करने के लिये लगाइये तो देश आगे बढ़ेगा । हिन्दी को लेकर क्या होगा ? हिन्दी हमारा पेट नहीं भर देगी, हमको कपड़ा नहीं देगी । हम यह नहीं कहते हैं कि हिन्दी जरूरी नहीं है मगर उससे ज्यादा जरूरी खाना, कपड़ा और छत है । हमको सबेरे भी चोट लगी जब माननीय सदस्य ने कहा कि अंग्रेजी में कुछ नहीं छपना चाहिये और आप नाम लीजिये उनका जो अंग्रेजी में राज्यपाल का भाषण मांग रहे हैं । यह बिलकुल जिद है । उनके हाथ में कोई दूसरा डंडा नहीं है सिवाय हिन्दी के ।

तीसरी पांच वर्ष की योजना खत्म हो रही है और चौथी आ रही है। इस पर हम लोगों को काफी सोचना होगा। इस प्रदेश की सरकार के पास रुपया नहीं है। आप कितना टैक्सेशन और करियेगा ? एक माननीय सदस्य ने कहा था कि "गल्ले की कमी नहीं पर लोगों के दिलों में वहम है और सब लोगों ने ले कर रख लिया है।" लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वे १२ छटांक का गेहूं और ८ छटांक की दाल ले कर रखेंगे। मैं वर्कर्स के साथ रहा हूं। ३,००० वर्कर्स के घर हो आया हूं। लक्ष्मीपुरा में मैं घूमा हूं। मैं जानता हूं कि क्या हालत है। गल्ला बड़े-बड़े लोगों के घरों में है। गरीबों के घरों में नहीं है। जब टैक्स लगायें तो जरा सोंच कर लगाइये जिस से बाद में झगड़ा न हो। वह झगड़ा हम लोगों को ही साधना होगा। जितना टैक्सेशन हो वह ईक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाय। खाली शहरों पर ही न हो। देहातों में भी मैं घूम आया हूं। मैंने देखा कि वहां छोटी और बड़ी जातियों में बड़ा डिफरेंस है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप शहरों में इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं इसको बन्द कर दीजिये और विलेजेज में कोआपरेटिव सेक्टर में इन्डस्ट्रियलाइजेशन कीजिये। उसमें आपको कामयाबी होगी। उसमें आपको फायदा होगा, पैदावार उससे बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि किसानों के पास से आपको पैसा और गल्ला मिले तो उनके पास तक उनको एमिनिटीज का सामान पहुंचाइये। जैसे बिजली, कपड़ा और सीमेंट वगैरह। सीमेंट का बड़ा भारी अकाल ही पड़ा हुआ है। कुंओं के लिये भी सीमेंट नहीं मिलता है। मैंने कुंओं के लिये कई प्रार्थना-पत्रों पर सिफारिश लिख कर भेजी है। इस तरह की ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं चलेगा। मेरी पहुंच है तो काम चल जायगा और अगर मेरी पहुंच नहीं है तो काम नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी को अगर आपको रन करना है तो बिना प्रेजुडिस के रन कीजिये, गरीब अमीर को एक निगाह से देखिये।

राज्यपाल जी के भाषण में सुना कि कानपुर और मेरठ में यूनिवर्सिटी खुल रही हैं। मैंने सुना है कि ये न तो रेजीडेंशियल ही होंगी और न आगरा यूनिवर्सिटी के माफिक होंगी। मेरी प्रार्थना है कि वहां हर चीज में स्पेशलाइजेशन आप रखें। वहां जो एक्सपर्टस् हों वे एडवाइस दे सकें लेकिन यह ठीक न होगा कि एक-एक सबजेक्ट को ले कर वहां जो कालेजेज हैं उनको बन्द कर दिया जाय। जो चीज अभी चल रही है उसको बन्द करने से काम नहीं चलेगा इस वक्त मेरे पास कम वक्त है पूरी बात नहीं समझा पा रहा हूं, जब शिक्षा का बजट आयेगा तब बताऊंगा।

कानपुर और दूसरी जगहों पर एम्पलायमेंट के लिये देहात से बहुत से लोग आ रहे हैं। रिक्शे हजारों की तादाद में बढ़ गये हैं। गल्ले की कमी बहुत हो रही है। भुखमरी इस जनरेशन में तो होगी नहीं लेकिन आगे आने वाली जनरेशन में जरूर होगी क्योंकि इस वक्त जो छोटे बच्चे हैं उनका माल न्यूट्रीशन हो रहा है। जब वे हमारी उम्र के होंगे तो चल भी नहीं पायेंगे। इसलिये अभी से बच्चों के लिये सब्सीडाइज्ड फूड और मिल्क की जरूरत है।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन उपस्थित किया गया है, उस पर बोलने का अवसर दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जहां और बातों का जिक्र किया गया वहां प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था में जो दोष आ गया है उसका जिक्र नहीं किया गया। मैं आपके द्वारा इस सिलसिले में पुलिस के द्वारा किये गये इटावा जिले के एक हत्याकांड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इटावा के पुलिस कप्तान, डिप्टी पुलिस कप्तान और उनके मातहत अफसरों ने इसलिये कि उनको राज्य सरकार की ओर से या केन्द्रीय सरकार की ओर से वीरता के पदक प्राप्त हों और उन्हें पारितोषिक दिये जायं, एक दिन चार निर्दोष व्यक्तियों को उनके घर से बुला कर थाने में इकट्ठा किया और दूसरे दिन जिले के बार्डर पर एक गांव में ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध कर गोली से उनको मार दिया। ऐसा केवल इसलिये किया गया ताकि पुलिस को यह कहने का मौका मिले कि डाकुओं से पुलिस का भयानक संघर्ष हुआ और पुलिस ने उस मुठभेड़ में ४ डाकुओं को मार गिराया।

[श्री सहदेवसिंह]

मझाकोला गांव में मारे गये उन चार व्यक्तियों की लाशें जब दूसरे दिन ऐरवा थाने पर लायी गयीं तो लोगों ने उन्हें देख कर कहना शुरू किया कि ये तो वे ही आदमी हैं जिनको दरोगा जी ने कल पकड़ कर थाने में बुलाया था और वे कल पुलिस जीप में देखे गये थे। उस इलाके में तथा सारे जिले में एक सनसनी व उत्तेजना व्याप्त हो गयी। इस सिलसिले में जितने भी प्रजातांत्रिक व शान्तिपूर्ण उपाय थे वे सारे के सारे किये गये, बड़ी-बड़ी सभाएं हुईं, प्रदर्शन हुये तथा यहां के होम मिनिस्टर तथा केन्द्रीय होम मिनिस्टर के पास भी लिख कर तमाम चीजें भेजी गयीं, लेकिन सरकार के कानों पर आज तक जूं नहीं रेंग सकी। उस हत्याकाण्ड में मरने वालों की मातायें और एक की पत्नी यहां आकर चीफ मिनिस्टर से मिलीं। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वे उनको वृद्धावस्था की पेंशन दिलवा देंगी। लेकिन आज तक इस सिलसिले में उन विधवाओं के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इटावा का जो पुलिस कप्तान है वह इतना अहंकारी व इतना अहमन्य है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इटावा जाने पर पता लगा कि जहां पहले वह फतेहगढ़ में था वहां भी उसने ९ व्यक्तियों की हत्या करवायी थी। जिस समय वह इटावा पहुंचा, लोगों में इस तरह की भावना पैदा करने लगा कि इस राज्य सरकार के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है और फतेहगढ़ से उसके ट्रांसफर के सिलसिले में भी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। इस बात को भी सभी जानते हैं कि इस हत्याकांड में १५-१५ और २०-२० हजार रुपये तक रिश्वत के तौर पर एक-एक महीने में लिये गये हैं और इसके लिये पुलिस की व राज्य सरकार की जितनी भी भर्त्सना की जाय वह कम ही है। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के सिलसिले में वहां के कलक्टर ने इन्क्वारी बैठाई और तमाम लोगों से गवाही व बयानात लिये गये लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उस रिपोर्ट में क्या बातें स्थिर हुई थीं। कहा यह गया कि उसमें जो बातें हैं वे बिलकुल गुप्त हैं जिनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इस तरह से वहां भ्रष्टाचार हो रहा है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जब यह पुलिस कप्तान फतेहगढ़ में था तब भी एक-एक केस में बीस-बीस हजार रिश्वत लिया करता था। कहा जाता है कि जो पुलिस कप्तान सिंहल साहब हैं वे गुप्ता जी के बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं और उनका इस राज्य सरकार के ऊपर बहुत प्रभाव है। इसी का नतीजा है कि वे किसी की परवाह नहीं करते। पब्लिक का भी ख्याल है कि चाहे जितनी भी इनकी शिकायत की जाय इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोगों का जाती तजुर्बा भी है कि पिछले डेढ़ दो साल से यहां जितनी भी शिकायतें उनके बारे में की गयीं, उन पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस तरह से इटावा जिले की शांति व्यवस्था और वहां की पुलिस के अत्याचारों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि जिससे वहां की जनता त्रस्त और परेशान है।

महामहिम राज्यपाल ने अपने इस भाषण में सहकारिता का जिक्र किया और बताया कि उसको हर तरह से बढ़ाया जायगा। हमारे जिले का सौभाग्य है कि सहकारिता के क्षेत्र में हमारे यहां एक सूती मिल चल रही है, वह साल डेढ़ साल से काम कर रही है और उसमें ४-५ सौ मजदूर काम करते हैं। वहां के मजदूरों ने इस बात की कोशिश की कि वह अपनी एक ट्रेड यूनियन का निर्माण करें लेकिन जब वहां के ३ मजदूर कार्यकर्ताओं ने अपनी रसीद बही छपवाकर मेम्बर बनाना शुरू किये तो वहां के डिप्टी डायरेक्टर और जो वहां के मैनेजर श्री चक्रवर्ती हैं वे इतने क्रोधित हुये कि बौखला गये और उन्होंने उन तीन मजदूरों को जो मेम्बर बना रहे थे, से बरखास्त कर दिया। इसके बाद मेरे पास मजदूर आये और मैंने स्वयं मैनेजर साहब से कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ट्रेड यूनियन बनाना तो सरकार के ही बनाये कानून के अनुसार मजदूरों का संवैधानिक अधिकार है, वह उसको बनाकर अपने मसलों को तय करने के लिये इकट्ठा होते हैं और इसी वास्ते ट्रेड यूनियन ऐक्ट बना हुआ है। सरकार खुद चाहती है कि हर उद्योग में इस प्रकार की ट्रेड यूनियन्स बनें लेकिन यह सब सुनने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम अपने यहां

इस तरह की यूनियन को बरदाश्त नहीं कर सकते और जो मजदूर ऐसा करेंगे उनको हम मिल में नहीं रहने देंगे। इस तरह से बिना कारण के ३ मजदूरों को उन्होंने बरखास्त कर दिया। इसके अलावा हालत यह है कि वहां पहले २ शिफ्ट में अधिक सूत तैयार होता था और अब ३ शिफ्ट चलती है तो कम सूत निकलता है, पहले ३०० मजदूरों में ही ज्यादा सूत तैयार होता था और अधिक मजदूर हैं तो सूत कम तैयार होता है। तरह तरह का हस्तक्षेप किया जाता है। नौकरी और तकर्रुरी में तरह-तरह से रिश्वतखोरी जारी है, सौ-सौ और पचास-पचास रुपया या एक मास का वेतन तकर्रुरी के वास्ते लिया जाता है और जो नहीं देता उसको बरखास्त कर दिया जाता है। यह हालत सहकारी सूती मिल की वहां पर है और हर तरह से वहां के मजदूर परेशान हैं। इसके अलावा फैक्टरी ऐक्ट की अवहेलना करके ८ घंटे के स्थान पर उनसे दस-दस घंटे काम लिया जाता है और उनको दुगुना ओवर टाइम नहीं दिया जाता है और केवल सिंगिल वेतन ओवरटाइम का दिया जाता है। इस तरह से वहां पर अन्धेर फैला हुआ है।

यही हालत डी० सी० डी० एफ० की है, सहकारिता के नाम पर उसके द्वारा जनता का खून चूसा जा रहा है। डी० सी० डी० एफ० ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार आदि किसी की भी राय लिये बिना एक ४० हजार की जमीन खरीदने का सौदा किया और उसके लिये दस हजार एडवान्स कर दिया चूंकि जमीन के मालिक सज्जन रिश्तेदार थे और उनको अनुचित मुनाफा दिलाना चाहते थे। जब जिलाधीश ने ऐसा करने से उनको रोका तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने आपत्ति की तो उनके खिलाफ सरकार के पास शिकायतें भेजी जाने लगीं और उनके तबादले की कोशिश की गई। जिला परिषद् नजूल की जमीन बिना कमिश्नर की इजाजत के किसी को नहीं दे सकती लेकिन भर्थना में सात हजार की जमीन एक साहब को १,५०० रु० में दे दी गई और उसके बाद फाइल ही गुम करा दी गई ताकि कागजात सामने ही न आयें। बड़े बड़े कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों ने यहां तक कि सभापति महोदय ने खुले आम भर्थना में कहा कि अगर कांग्रेस को टाउन एरिया के चुनाव में वोट दिया जाय और अगर नहीं देंगे तो टाउन एरिया को राज्य सरकार की मदद नहीं मिलेगी। जब सब सीटों में कांग्रेस हार गई तो फल यह हुआ कि भर्थना को विद्युत परिषद् की ओर से बिजली देने के लिये शामिल किया गया था क्योंकि वह जिले में सबसे अधिक औद्योगिक नगर है लेकिन उसको वंचित करने का प्रयत्न किया गया। यह हालत आज सारे जिले की है, वहां के कांग्रेसी नेता इतना अनुचित प्रभाव डालते हैं कि वहां की जनता त्रस्त है और नियम के अनुसार काम नहीं हो सकता। इसलिये जो संशोधन धन्यवाद के प्रस्ताव पर इधर से पेश किया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो हर वर्ष ही राज्यपाल महोदय का सम्बोधन होता है और हर वर्ष इसी प्रकार धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद होता है लेकिन इस वर्ष हम हमेशा से बहुत भिन्न और पिछले वर्ष से भी बहुत भिन्न परिस्थितियों में इस सदन में बैठ रहे हैं।

आज प्रदेश में चीजों का मूल्य इतना बढ़ चुका है कि उसने जनता की कमर तोड़ दी है। खाद्यान्न ही नहीं हर वस्तु का मूल्य इतनी बढ़ चुकी है कि वह आमदनी की बढ़ोतरी के अनुपात से बहुत ज्यादा है और आज सारे प्रदेश में एक त्राहि-त्राहि मची हुई है। जब तक हम इस सदन में इस ज्वलंत समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं होते हमारी कोई योजना में जनता की निष्ठा होना, आस्था होना और हमें उनको शान्त करना असम्भव प्रतीत होता है। माननीय, आज खाद्यान्न के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों में से रहा हूं कि प्लान्ड इकोनामी में कन्ट्रोल को आवश्यक स्थान है लेकिन जिस तरह खाद्यान्न की कीमतें घटती बढ़ती रहीं और जिस तरह हमारे माननीय मंत्री श्री नेगी जी की बड़ी कोशिशों और मेहनत के बावजूद भी खाद्यान्न की कीमतें काबू में नहीं आई उससे यह दीखता है कि जिस प्रकार से नियंत्रण हम लगा रहे हैं, उससे भलाई के बजाय बुराई हो रही है। खाद्य मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

के दिन और रात के परिश्रम से दाल २ रु० सेर मिल रही है। गल्ला की और चीजें १ रु० सेर मिल रही हैं तो उससे क्या लाभ है ? इसलिये यदि आज यह मांग की जाय कि खाद्यान्न का कंट्रोल बिलकुल तोड़ दिया जाय तो मैं यह समझता हूं कि यह ठीक होगा और उसका मौजूदा परिणाम उससे अच्छा हो सकता है। मान्यवर, मैं जानता हूं कि इस मांग को मानने में सरकार को बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती हैं, बहुत सोच-विचार करना होगा। लेकिन मेरा यह विचार है कि जिस दशा में हम चल रहे हैं—उससे अच्छी दशा में हो जायंगे। यह जो जोनल सिस्टम है, यह खाद्यान्न की कीमतें बढ़ाने में बहुत जिम्मेदार साबित हुआ है। हम यह विचार कर रहे थे कि यह जोनल सिस्टम खत्म हो जायगा। जो कांग्रेस की महासमिति में डिसकशन हुए, उनसे भी यही झलक दिखाई पड़ती थी। लेकिन मान्यवर मुझे एक नैराश्य हुआ कि उस जोन सिस्टम को नहीं हटाया। मेरा ऐसा विचार है कि जब तक उत्तर प्रदेश और पंजाब एक जोन में नहीं आते, यहां के खाद्यों के मूल्यों की समस्या का हल होना मुश्किल है। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े जितना भी विश्वास केन्द्र को दिलाना पड़े, वह आवश्यक प्रतीत होता है। मान्यवर, कुछ उत्पादन और वितरण के कोआर्डिनेशन की कमी दिखाई देती है। हमारे यहां जो एग्रिकल्चर प्रोड्यूसर्स है। उनमें और जो कंज्यूमर हैं उनमें कोई आज कोआर्डिनेशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इनमें कोआर्डिनेशन बढ़ाया जाना परम आवश्यक है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज हमें गल्ले में कंट्रोल को हटा कर स्टेट ट्रेडिंग, और बफर स्टाक्स बड़ी मात्रा में बनाने आवश्यक होंगे। जब तक सरकार समुचित बफर स्टाक्स गल्ले के या दूसरी एसेन्शियल कमोडिटीज के नहीं बनाती तब तक केवल कंट्रोल करने से भी कदाचित काम न चले। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो वितरण का यंत्र है उसके सुधारने के लिए बहुत कोशिश हो रही है और हुई। लेकिन अभी भी उसमें बहुत सी बुराइयां बाकी हैं। अभी सरकार ने माननीय गेंदासिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी इस विषय में बनायी थी, उसने जरूर ठोस सुझाव दिये होंगे। मैं ऐसा आवश्यक समझता हूं कि जो जिलों में सप्लाई आफिसेज में कर्मचारी हैं जिनको वहां पर २, ३ साल हो चुके हैं उनका ट्रांसफर उन जगहों से दूसरी जगह पर करना नितान्त आवश्यक कदम होगा। जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों ने की हों उनका भी तबादला करना आवश्यक होगा चूंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं और थोड़े समय के बाद स्थानान्तरण करने से वह वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ हल्के पड़ जाते हैं।

दूसरी बात श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में भ्रष्टाचार, (दूसरे पैरा में) की ओर ध्यान दिलाया है और उसमें जो कदम उठाया गया है खास तौर से विजीलेंस कमीशन की बात कही है। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि जो विजीलेंस कमीशन का रूप हमारे प्रदेश में है अभी उससे हम यह आशा नहीं कर सकते, उन परिणामों की जिनकी अपेक्षा जनता करती है। अगर विजीलेंस कमीशन सही माने में बनाना चाहते हैं और करप्शन हटाना चाहते हैं तो विजीलेंस कमीशन को हमें बहुत इफैक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि वह छोटे और बड़े हर व्यक्ति के खिलाफ उचित न्याय दिला सके और जांच कर सके। मेरी जानकारी में ऐसे मामले हैं जिनमें बहुत ऊंचे सरकारी कर्मचारियों की छत्रछाया में लाखों रुपये का अनुचित लाभ उनके नजदीक के लोग उठा चुके हैं या उठाने का प्रयत्न किये हैं। मैं अपने स्वभाव के अनुसार उसके विवरण में सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन चाहता हूं कि विजीलेंस कमीशन में इतनी क्षमता हो कि उसमें जनता की आस्था पैदा हो सके और वह व्यक्ति के महत्व को भुलाते हुए जनता को न्याय दे सके और जहां करप्शन के आक्षेप हों, आरोप हों, जिनमें तथ्य दिखाई दे, उनमें जांच करके सही नतीजे पर पहुंच सके।

महामान्य राज्यपाल ने रिसोर्सेज की बात भी कही है। उनका एक वाक्य बहुत अच्छा है जिससे मुझे आशा दिखाई देती है। उन्होंने कहा है "साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जनता किस हद तक कर का भार उठा सकती है।" अगर ये पंक्तियां द्योतक हैं उस नीति

की जिसका पालन आगे होगा, जैसी आशा की जाती है, तो वह बड़ा सराहनीय है और महामान्य राज्यपाल बधाई के पात्र हैं। मेरा विश्वास है कि मैं यह तो समझता हू कि प्लानिंग के युग में हमें अधिक से अधिक रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन जिस परिस्थिति में जनता गुजर रही है मैं समझता हूं टैक्सेशन सैचुरेशन के प्वाइंट पर आ चुका है। एक लास्ट स्ट्रा भी ऊंट की कमर तोड़ने के लिए काफी है। वही स्थिति आज हमारे प्रदेश की है।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में मैंने कोई संकेत नहीं पाया इस बात का कि ये जो हमारे सबसे नीचे वर्ग के कर्मचारी हैं, चाहे वे सचिवालय के हों या और विभागों या स्थानीय निकायों के हों उनके बारे में सरकार ने कुछ सोचा भी हो या सोचने जा रही है। आज गिरानी जितनी बढ़ गयी है उसमें परमावश्यक हो गया है कि नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको रिलीफ (सुविधा) मिले वरना यह भ्रष्टाचार के मिटाने की बात करना निरर्थक हो जाती है। इसके साथ स्थानीय निकायों की दशा तो और भी शोचनीय है। उन्हें तो पिछले साल जो ५ रु० की बढ़ोत्तरी स्वीकार की गयी थी वह भी अधिकांश स्थानीय निकायें इम्पलीमेंट नहीं कर सक । वह इम्पलीमेंट हो और भविष्य में भी लोकल बौडीज के जो कर्मचारी हों वे भी इस बढ़ोत्तरी में भागी बन सकें।

पावर (बिजली) के बारे में, कहा गया है कि बाहुल्य हुआ है क्योंकि किन्हीं इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए पावर का बाहुल्य अत्यावश्यक है लेकिन उसका एक उदाहरण देता हूं। बरेली में एक खांडसारी इन्डस्ट्रीज है उसके लिए पावर २४ घंटे नहीं मिल सकती है। नये यूनिट्स मिल सकते हैं परन्तु पावर नहीं मिल सकती है। इस पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें।

इसके पश्चात् मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी रीजन्स हैं उनमें रुहेलखंड बहुत बड़ी पाप्युलेशन रखता है पर खेद है कि उसमें न तो एक मेडिकल कालिज है, न इंजीनियरिंग कालिज है और न कोई यूनिवर्सिटी है। मैंने पहले भी इस सदन में एक रेजोल्युशन स्पोन्सर किया था और कौंसिल में भी एक बिल पेश हुआ। उस समय विश्वास दिलाया गया कि जब युनीवर्सिटीज बनेंगी तो इस मांग को देखा जायगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि रुहेलखंड डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी बनाने की परम आवश्यकता है, ताकि वह रुहेलखंड की सेवा कर सकती हो।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं महामहिम राज्यपाल को बधाई देता हूं और बधाई मैं इसलिए देता हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में सबसे पहले जनता के साहस की सराहना की है और कहा है कि इस कठिन और मुसीबत के समय में जनता ने जिस साहस के साथ परिस्थितियों का सामना किया है, मुसीबतों को सहा है, उसके लिए जनता को बधाई देता हू। श्रीमन्, मैं बधाई अपने राष्ट्रपति राधाकृष्णन् को भी देता हूं और उनको बधाई इसलिए देता हूं कि अभी-अभी गणतंत्र दिवस पर उनका जो भाषण हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि पीपुल्स पेशेन्स इज नौट अनलिमिटेड। जनता के सब्र का प्याला अब भर चुका है और वह अब किसी समय भी टूट सकता है। जो व्याप्त भ्रष्टाचार, जो निकम्मापन, जो प्रशासन पैरेलाइज हो गया है और आज जो हालत है फूड प्राइसेज की और अन्य चीजों की प्राइसेज की यदि सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर सकी तो जनता के सब्र का प्याला टूट जायेगा। तीसरी बधाई देता हूं श्री गुलजारीलाल नन्दा जी को जिन्होंने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेहाद उठाई है। आज उनके इस जेहाद के विरुद्ध भी लोग इस प्रदेश में और इस प्रदेश के बाहर मोर्चा लगाये हुए हैं पर नन्दा जी जैसे मंत्री इस सारी स्थिति पर काबू पायेंगे और उनका बाल भी बांका नहीं कर पायेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि यदि इतनी भुखमरी, इतनी बढ़ती हुई कीमतें और संसार के किसी देश में हुई होतीं तो यह सरकार एक क्षण भी कुर्सी पर बैठी नजर नहीं आती लेकिन इस प्रदेश की तथा इस देश की जनता सदैव से हीरो वर्शिप करने वाली रही है। कितना ही कष्ट उठावे लेकिन उफ नहीं करेगी। लेकिन अब कुछ सब्र का प्याला टूटता नजर आता है

[श्री नेकराम शर्मा]

जब हम कौंसिल हाउस के सामने अपने कर्मचारियों को और दूसरे कर्मचारियों को गवर्नमेंट के विरोध में जुलूस निकालते देखते हैं। हमको बड़ी आशा थी कि अपने प्रान्त में करोड़ों रुपये खर्च करने के उपरान्त खेती में तथा उद्योग धंधों में उन्नति होगी लेकिन हम जहां थे उससे भी बदतर हो गये। डेढ़ अथवा सवा साल तक समाजवादी पार्टी की एक नेता थीं श्रीमती सुचेता कृपालानी, जो कांग्रेस को छोड़ कर चली गयी थीं और फिर कांग्रेस में आ गयीं, उन्होंने इस प्रदेश के शासन को संभाला। उनसे भी उम्मीद थी कि शायद प्रदेश के प्रशासन में सुधार करेंगी और समस्या का समाधान निकालेंगी लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके इस सवा साल, डेढ़ साल के शासन में हमको क्या मिला—प्रजातन्त्र का गला घोंटा गया। जनता भूखों मरी। छोटे कर्मचारी आज भूखों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको खाने का नहीं मिलता। माननीय नेगी जी के विभाग की एक पत्रिका में निकला है कि ५ लाख ५९ हजार टन गेहूं विदेशों से मंगाया गया जिसकी कीमत ३०करोड़ से लेकर ४० करोड़ तक होगी। अगर श्रीमन्, हमारी हालत यह हो कि ३०, ४० करोड़ रुपये हम अमेरिका को गल्ले के लिये दे दें तो मुझे यह आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हमारी १०, १५ फीसदी करंसी अमेरिका को प्लेज हो जाय। यह हमारे फर्स्ट और सेकिंड फाइव ईयर प्लान का रिजल्ट है।

कल माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने, गवर्नर महोदय के प्रति अभद्रत दिखाने वालों के प्रति खेद का प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पास करा कर किस तरह से अपोजीशन के माननीय सदस्यों का गला घोंटा है यह सभी को ज्ञात होगा। जब जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने कहा कि वामपक्षी लोगों को गोली से मार देना चाहिये तो माननीय सुचेता जी ने तालियां बजाईं। प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले वे जनसंघी कहां थे उस दिन, जिस दिन इधर के बैठने वाले जेल गये थे, ब्रिटिश हुकूमत थी और इन्होंने अमन सभा का मेम्बर बन कर कांग्रेस का विरोध किया था और आज भारतमाता की जय का नारा लगा कर देशभक्ति की दुहाई दे रहे हैं। जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत को हटाना नहीं चाहते थे वही राजा महाराजा इस संस्था में आकर आज देशभक्ति के नारे लगाते हैं। इसी तरह से सदन के बीच से प्रेस को हटा कर भी प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है, उसको अलग बैठा दिया ताकि उनको सुनाई न पड़े। प्रेस का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि जो इलेक्टेड हैं उनके विचार वह बाहर जनता के समक्ष रख सकें ताकि जनता को जानकारी हो सके कि उसके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं लेकिन आज जनता उससे वंचित कर दी गयी है। १९३७ से प्रेस वाले यहां बैठते थे लेकिन उनको जान बूझकर यहां से हटाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सदन के सदस्य रहे हैं और माननीय ठाकुर हुकुमसिंह जी जो कि फादर आफ दि हाउस हैं, मैं इसलिये उनको यह कह रहा हूं कि वह आज तक इस सदन के चुनाव में कभी हारे नहीं हैं, आप उनसे पूछ लीजिये कि १९३७ से वे प्रेस वाले कभी नहीं हटाये गये। माननीय संपूर्णानन्द जी के समय में यह सवाल आया था। लेकिन उन्होंने उस समय कहा था कि वे सदन के पार्ट एण्ड पार्सल हैं, वे यहीं बैठेंगे। लेकिन आज यह परिवर्तन कैसा ? यह बात समझ में नहीं आती है।

श्रीमन्, इस सदन में एक प्रस्ताव पास किया और उसके अनुसार दो जजों को वारंट इश्यू हुआ। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि उसका इम्पलीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ ? मार्शल जाता है लेकिन कमिश्नर कहते हैं कि दो बजे आइये। वह पुनः ३ बजे पहुंचता है। मेरी सूचना यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि इसका इम्प्ली-मेंटेशन नहीं होगा। अगर यह सूचना ठीक न हो तो इसका खंडन किया जाय। हमने देखा कि जिस प्रस्ताव को हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया था उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं दिया गया। यह डेमोक्रेसी की दुहाई देने वालों की बात है जो कल नारे लगा रहे थे।

इस सरकार की ज्वाइंट रैस्पौंसीबिलिटी है कैबिनेट की, उसको भंग किया गया। कल ही माननीय काशीनाथ जी ने प्रश्न उठाया था कि जिस समय माननीय अली जहीर को बजट पेश

करने के लिये कहा जा रहा था तो उस समय पूरा फाइनेंस पोर्टफोलियो उनको नहीं दिया जा रहा था। जिस फाइल को सेक्रेटरी ठीक समझते वह उनके पास जाती वरना मुख्य मंत्री जी के पास फाइलें जातीं। लेकिन कैलाशप्रकाश जी को फुल फ्लैज्ड फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बना दिया ? इस तरह की बातें श्रीमन्, मंत्रिमंडल में हो रही हैं। एकता नहीं है, इसके कारण प्रशासन चौपट हो रहा है।

हमारे यहां फूड प्रोडक्शन इसलिये नहीं बढ़ रहा है और उसके लिये चौधरी चरणसिंह साहब जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन एक ही मिनिस्टर के पास होना चाहिये। (लाल बत्ती होने पर) हमारी पार्टी के नेता नहीं बोलेंगे इसलिये मैं २० मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो माननीय भगवान सहाय जी को मौका हो सकता है वह बोलें या न बोलें लेकिन आपको नहीं क्योंकि यह नेताओं का समय है।

श्री नेकराम शर्मा—

ऐसा तय हो चुका है कि पार्टी की तरफ से लीडर न बोले तो डिप्टी लीडर बोलेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

यह हमारे लीडर के तौर पर ही बोल रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

यह तय हो चुका है। बाबू राम प्रकाश जी को यह मालूम है। मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो ज्वाइंट रैस्पौंसिबिलिटी है और दूसरी तरफ मंत्रियों में इस तरह का विरोध है। एक मद्रास से स्टेटमेंट आया और एक यहां से निकल गया। इसके माने यह हैं कि ज्वाइंट रैस्पौंसीबिलिटी समाप्त हो गई।

जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है मैं माननीय नेगी जी को बधाई देता हूं। माननीया मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली गईं तो मेरी सूचना है कि उन्होंने केंद्र के खाद्य मंत्री जी को कहा कि आप हमें हमारा कोटा गेहूं का न दें तो भी हम काम चला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोटा न भेजें। लेकिन यहां पर राशन नहीं था और वह बरेली से टेबिल फैन मंगाकर पटुआ डांगर में आराम कर रही थीं। अगर मेरी सूचना ठीक न हो तो खंडन किया जाय। फूड समस्या के बारे में कोई मांग नहीं गयी। यह जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फूड कमिश्नर साहब तक ने व नेगी जी ने नान-कोआपरेशन किया। मैं चीफ सेक्रेटरी दास साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने खाद्य मंत्री से कोआपरेट किया। जो कुछ गल्ला आया था—(व्यवधान)—इसलिये मैं इतनी ही बात कहूंगा कि जो यहां से संबंधित हैं। श्रीमन्, खाद्य समस्या के लिये जो भी गल्ला आया उसका वितरण ठीक प्रकार से पूरा प्रयत्न करके नहीं किया गया। इतना ही नहीं, श्रीमन्, इन सुचेता कृपालानी के जमाने में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो गया है...

कुछ सदस्य—

क्या शासन से चीफ सेक्रेटरी अलग हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

इसीलिये आज चीफ सेक्रेटरी को मजबूर किया जा रहा है कि छुट्टी जाओ। श्रीमन्, यहां प्रदेश में शासन पैरालाइज हो गया है। यहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्ट अपग्रेड की गई, फाइनेंस ने उस पर आब्जेक्शन किया। बाद में श्री बसन्तसिंह सेठ को बनाया गया, इसलिये डाउन ग्रेड की गई और फिर अपग्रेड कर दी गई। श्रीमन्, जो शासन की आज हालत है, ब्यूरोक्रेसी की जो हालत है उससे सभी परिचित हैं ? इस ब्यूरोक्रेसी से आप और हम कोई नहीं बच सकते

[श्री नेकराम शर्मा]

इसका उदाहरण यह है ब्यूरोक्रेसी के रूल्स का—(व्यवधान)। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि ब्यूरोक्रेसी प्रदेश में इतनी छा गई है। इस शासन के घोड़े पर जब अच्छा सवार नहीं होता तो वह उस पर काबू नहीं पा सकता। जब शासन को चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, योग्य नहीं हैं तो वह शासन कैसे ठीक चले? इस प्रदेश में ऐसे मुख्य मंत्री की आवश्यकता है जो प्रदेश को परिपूर्ण और सम्पन्न बना सके, जिस पर जनता की पूर्ण आस्था हो। आज प्रदेश को चौधरी चरणसिंह जैसे मुख्य मंत्री की आवश्यकता है जो प्रदेश को योग्यता के सूत्र में बांध कर शासन को योग्यतापूर्वक चला सकें।

श्रीमन्, मैं अब दूसरी बात बताऊंगा कि आपकी गवर्नमेंट ने किस तरह लोगों को भूखा मारा। फूड के लिये जरूरत है। २३३ लाख टन हमें चाहिये खाना। २३ लाख टन हमें चाहिये १७ लाख टन मवेशियों को। जो आटा पीसने वाली मिल वाले हैं उनको ६७ थाउजेंड टन चाहियें। मैं पूंछना चाहता हूं कि इन मिलों को क्यों इतना इतना गल्ला दिया जाता है। मैं खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन आटा मिलों को आप क्यों नहीं नेशनलाइज कर लेते। यह अधिकांश गल्ले की चोरबाजारी कर रहे हैं, वह संकट के समय देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इन सारी मिलों को नेशनलाइज क्यों नहीं करते? आपने क्यों नहीं फूड का रीजनल सिस्टम तोड़ने के लिये कदम उठाया? आपने सरकार से क्यों नहीं सिफारिश की कि यह सिस्टम समाप्त किया जाये। इसके पीछे एक साजिश है यह सारे ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स जो सरकार चलाते हैं वही इस तरह की राय सरकार को देते हैं जिससे उनका अधिक से अधिक हित हो। जितने भी कंट्रोल बने हुये हैं वह सब कैपिटलिस्ट सिस्टम के आधार पर बने हुये हैं, उन्हीं के द्वारा पूंजीपतियों और ब्लैकमार्केटियरों के हित में बनाये गये हैं। आज इस प्रदेश पर ब्यूरोक्रेसी शासन कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कैपटलिस्ट्स से मिलकर। इसीलिये आज स्टेट ट्रेडिंग आदि का विरोध किया जा रहा है। इसलिये मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज ४० करोड़ का गल्ला तो अमरीका से मंगा लिया गया, लेकिन जो आबपाशी होती है, उसको कभी माफ नहीं करेंगे। करोड़ों और अरबों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाया जा रहा है लेकिन राममूर्ति जी आप खुद खेती करते हैं अगर आप पांच साल के लिये पानी फ्री कर दें और खाद फ्री कर दें किसानों को तो क्या उससे उपज नहीं बढ़ेगी? अभी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बाहर गयी थी। जहां उनसे पूछा गया कि क्या प्रोडक्शन बढ़ा है तो प्रमुख ने कहा कि बी० डी० ओ० साहब ने जैसा कहा हमने लिख दिया। खाद किसान बेच देता है प्रोडक्शन बढ़ता कैसे? लेकिन इनके फिगर्स दिखाते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा। गोविंद सहाय जी ने सरकार की खामियों पर सही बात कही। लेकिन माननीय जगदीश प्रसाद जी यह व्यक्ति की बात नहीं है यह नीति की बात है। माननीय जगदीश प्रसाद जी कहते हैं कि हमने तीनों एलेक्शन्स जीते हैं लेकिन श्रीमन्, आप ३२ फीसदी लोगों के प्रतिनिधि रूल कर रहे हो और ३८ फीसदी जनता के चुने हुये लोग विरोधीदलों में बैठे हुये हैं। आप तो माइनारिटी में बैठकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। श्रीमन्, यही नहीं आज भी जितने माननीय सदस्य उधर से बोले सबने पूरा अविश्वास इस गवर्नमेंट पर रखा है, चाहे गोविंद सहाय जी हो और चाहे जो और भाई बोले हैं सबके भाषण का एक मात्र लक्ष्य गवर्नमेंट की नीतियों में अविश्वास का प्रदर्शन था।

श्रीमन्, मैं खाद्य मंत्री जी से पूछता हूं कि आपने जो ट्रेडर्स से खांडसारी फ्रीज की उसको क्यों रिलीज आपने किया? क्या कारण था। जो गेहूं आपने पकड़ा था उसका क्या हुआ? यह सरकार ट्रेडर्स और जखोरेबाजों के हाथों में पले कर रही है और अब मंत्रिमंडल में वह ताकत नहीं रही कि वह पूंजीपतियों से जिन पर करोड़ों रुपये सेल्स टैक्स और एक्साइज का बाकी है उनसे ले सकें। माननीय गुप्ता जी ने घोषणा की थी कि १ अप्रैल तक हम सारा रुपया वसूल कर लेंगे लेकिन महीनों गुजर गये, सालों बीत गये। इनके पीछे है क्या? इसके पीछे इनकी ग्रूपिज्म है। कहां फुरसत है उन्हें? उसमें फंसे हुये है, शासन चौपट हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी का राज हो रहा है। सिर्फ एक प्राब्लम उत्तर प्रदेश में इस वक्त है, वह न फूड है, न कोआपरेशन

है, न प्रोडक्शन है, वह प्राब्लम सिर्फ है हमारी चीफ मिनिस्टर, अगर आज वह इस्तीफा देती हैं तो मुझे यकीन है कि अच्छा व्यक्ति आयेगा, अच्छा शासन इस प्रदेश का चलेगा और तभी यह मसला हल हो सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

आपके पास पर्चा गया है, उधर भी ध्यान दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी पार्टी के २ सज्जन बोल चुके हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

यों तो आप १० बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गलत बात है कि मैं १० बता देता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के संशोधन के समर्थन में मैं आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं। जितनी जरूरी बातें थीं करीब-करीब सभी महामहिम ने अपने भाषण में ला दीं। अब यह दूसरी बात है कि माननीय नेकराम शर्मा को मुझसे नफरत है और राममूर्ति जी से मोहब्बत तो फिर वह व्यक्तिगत बात हो गयी, उससे इस प्रदेश की अड़चनों और उनकी समस्याओं के हल से कोई मतलब नहीं है। माननीय नेकराम शर्मा जैसे महारथी से मैं कहता हूं कि एक ही स्त्री मुख्य मंत्री इस प्रदेश में है, किसी मर्द पर हाथ छोड़ा जाय तो अच्छा होता है लेकिन औरतों की तरफ इस तरह से शोर करके इतना नीचा स्टैन्डर्ड लाना मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के बिल्कुल विरुद्ध है। उनके लिये यह शोभा की बात भी नहीं है जो उन्होंने इस सदन के समक्ष उपस्थित की।

श्रीमन्, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के संबोधन में जो १, २ कमी दिखाई पड़ी वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चहता हूं। श्रीमन्, नागपुर कांग्रेस से दुर्गापुर कांग्रेस तक समाजवाद के संबंध में जितने प्रस्ताव आये और समाजवाद की स्थापना के संबंध में जो फैसले नागपुर कांग्रेस से दुर्गापुर कांग्रेस तक कांग्रेस ने किये मुझे इस संबोधन में उनका कोई जिक्र नहीं मिला और न आभास ही मिला।

दूसरी बात मुझे आपके सामने यह रखना है कि समाजवाद की स्थापना में डिसपैरिटी को दूर करने की बात भी इस संबोधन में नजर नहीं आई। मैं सोचता था कि महामहिम राज्यपाल महोदय आज के समाजवादी युग में इस आमदनी की डिसपैरिटी को दूर करने के मुताल्लिक भी कुछ अपनी सलाह इस प्रदेशीय सरकार को देते। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेशीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब इतनी देर हो चुकी है कि इस डिसपैरिटी को दूर करना बहुत आवश्यक हो गया है। लाखों इंसान और इसी सरकार के मातहत हजारों कर्मचारी आज सड़क पर शोर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। श्रीमन्, अन्न की समस्या के संबंध में जो आलोचना इस सदन में प्रस्तुत की गई मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूं और उसकी वजह है। विरोधीदल के सम्मानित सदस्यों ने अन्न की समस्या के संबंध में ठीक तरह से एनेलिसिस नहीं किया और मुझे माननीय विरोधीदल के सदस्यों से यह कहना है कि सन् १९६४ का वर्ष कितने संकट से शुरू हुआ था इससे इंकार नहीं किया जा सकता। १९६४ का वर्ष कृषि उत्पादन के लिये महान् घातक सिद्ध हुआ है। एक वर्ष का नुकसान आगामी ५ वर्ष के लिये नुकसान

[श्री जे० पी० मिश्र]

पहुंचाने के लिये काफी है । न्यूयार्क के डाक्टर एडवल, वायस चेयरमैन, रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूयार्क ने एक बड़ी जबरदस्त चेतावनी इस विश्व को दी है । उन्होंने कहा है कि एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, में १९७० तक महान् अकाल की स्थिति आने वाली है । विरोधी दल के सदस्यों ने इतनी बड़ी चेतावनी की तरफ तवज्जुह नहीं दी है । सन् १९७० तक यहां पर अन्न की कमी की वजह से अकाल की आशा की जाती है । करोड़ों इंसान इस फैमिन के मुख में समाने जा रहा है । मैं आपके सामने यह बतलाना चाहता हूं कि १९६४ में शीत-लहरी पाला और सर्दी में बिलकुल पानी न पड़ने की वजह से इस प्रदेश को १,०३,८०,४०४ एकड़ पर बड़ी भारी चोट पहुंची । उसके बाद काफी खरीफ की फसल बाढ़ व वाटर लागिंग में गयी और उससे इस प्रदेश को ३९,९०,७०० एकड़ का क्षेत्र प्रभावित हुआ । जिस प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण इतने बड़े क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा हो तो अन्न की पैदावार पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है । इसका परिणाम यह हुआ कि अन्न की पैदावार घटकर ११६ टन जाकर उतरी, करोड़ों रुपया खच करने के बावजूद भी और अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये २,५९,४८९ टन खाद पैदावार को बढ़ाने के लिये दी गई । ३१ हजार कल्टीवेटर्स, ७५ हजार सुलझे हुए हल, १३,१०,९२३ हेक्टर धान जो लाइन में बोया गया, ४१ हजार कुंवे, ३३ हजार पक्के कुवें, ८३७ बंधियां, ९,५४० कुओं की बोरिंग हुई २,००० ट्यूबवेल्स लगाये गये, २ लाख २३ हजार का इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ाया गया । तो हुआ क्या नहीं ? मैं पूछता हूं विरोधी दल के सदस्यों से कि सरकार की तरफ से पैदावार बढ़ाने के लिये क्या नहीं किया गया ? कौन सी चीज बाकी रखी गयी ? सरकार ने कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन दैवी आपत्ति न जनसंघ ही रोक सकता है, न उसे हमारे कम्युनिस्ट भाई ही रोक सकते हैं और न ही हमारे नेकराम शर्मा जी रोक सकते हैं । हां, अगर कोई ऐसा बड़ा छाता वे बना लें कि जिससे यहां पाले और वर्षा का असर खेती पर न पड़े तो कुछ अंजाम निकल सकता है । लेकिन सरकार की तरफ से किसी क्षेत्र में कमी रखी नहीं गई । फिर सरकार को सेंसर करना, सुचेता कृपालानी जी को निकालना, राममूर्ति जी को लाना, बंशीधर पांडेय को गिराना और मुझे चढ़ाने की जो बातें हैं उनमें यह प्रदेश की कांग्रेस कमेटी या वर्तमान सरकार फंसने वाली नहीं है । कांग्रेस सरकार ५, १०, १५ या २० साल तक यहां से जाने वाली नहीं है और इसे हटाने की विरोधी दल के सदस्यों में शक्ति नहीं है । परेशानी है यह ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग कांग्रेस में आये और शामिल हुए । माननीय नेकराम जी बड़े भारी ओरेटर हैं उनके सामने भी दरवाजा खुला हुआ है । उनका भी स्वागत है । दिन प्रति दिन इसमें आमद ही है, दरामद नहीं है । इस आमद का मतलब यह है कि जनता के वोटों की आमद, पार्लियामेंट और असेंबली के मेम्बरों की आमद और उसके बाद भी सरकार कांग्रेस की डूब जायगी ? ख्वाब है, ख्वाब । यह सपना है । और इसके अंदर हम बह जायेंगे तो इस देश का भला होने वाला नहीं है ? मैं तो किसी रचनात्मक आलोचना को सही समझता जिसमें आप बतलाते कि यह यह काम सरकार को और करना चाहिये था । लेकिन मैं एक बात से नेकराम जी की सहमत हूं कि डा० राधा-कृष्णन ने एक सुझाव दिया है, एक चेतावनी दी है, लेकिन निवेदन यह है कि नेकराम जी उसका मतलब उल्टा समझे हैं । जन प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हैं । मैं श्रीमन्, आप के माध्यम से नेकराम जी से कहना चाहता हूं कि जनाब, उस किस्म का वातावरण आप प्रदेश में पैदा न करें वरना लाखों मन गल्ला चोरी हो जायगा, दब जायगा । विरोधी दल के सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश को खरीफ की फसल मिली है और रबी की फसल आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं । अगर आप प्रदेश की खाद्य स्थिति को सुलझाना चाहते हैं कि भाव तो नीचे आ ही रहे हैं और इसलिये मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप कितनी ही आलोचना करें, मगर यह बात कहना न भूलें कि इस वर्ष रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है और आगे आने वाले ६ महीनों में प्रदेश के अन्दर कोई भी आदमी भूखों नहीं मरने दिया जायेगा ।

एक बात और इस सरकार से कहना चाहूंगा । श्रीमन्, खाद्य की स्थिति को संभालने की तरफ तो आपकी तवज्जह है, मगर आज ५ रुपये का टायर जो २० रुपये में बिक रहा है, जनरल

मर्चेन्डाइज की चीजों के भाव जो आसमान पर चढ़ गये हैं, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । आपका ध्यान उस तरफ भी जाना है जिनके ऊपर ११ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है ।

श्रीमन्, एक बात और काश्तकारों के बारे में कहना चाहूंगा । इस सरकार को किसानों के लगान को न छूने की कसम खा लेना चाहिये । यह समय की मांग है, गरीब जनता अब अधिक टैक्स के बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकती । उनके ऊपर एक भी पैसा टैक्स का बढ़ाना बहुत अनुचित होगा । यह मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों की राय आपके सामने रख रहा हूं ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसमें मैंने अपना एक संशोधन पेश किया है, उसी पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । महामान्य राज्यपाल का कुछ बातों की ओर ध्यान नहीं गया है, उन्हीं बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के उपसंहार में कहा है "मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में जनता के कल्याण की भावना सदैव सर्वोपरि रहेगी तथा आप अपने कार्यों एवं विचार विमर्शों से प्रजातंत्र का आदर्श अपने समक्ष रखते रहेंगे ।" सरकार इस बात को मानती है कि वह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को लेकर चल रही है । समाजवाद की दुहाई भी यह सरकार देती है । जनता के कष्टों को दूर करने का भी व्रत इसने लिया है । किन्तु अभी तक यह सरकार जनता को वह सुख-सुविधा प्रदान नहीं कर पायी है जिसका ख्वाब उसने देखा था । क्या आप उस प्रकार के जनतंत्र को अपना सके हैं जिससे आपके आगे आने वाली पीढ़ियां उसको और मजबूत बना सकें । प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये यह जरूरी है कि लोग उन आदर्शों का पालन करें जिससे मनोबल बढ़ता रहे । आज एक तरफ हमारे प्रशासकीय भाग का जो रवैया है उसको भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ राजनैतिक स्तर पर सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनका रवैया उससे अलग है । महाभारत के युद्ध में यद्यपि भीष्म पितामह जानते थे कि पाण्डवों का पक्ष ही न्याय पक्ष है । तो भी भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था कि मैं नमकहलाली कर रहा हूं । उनसे यद्यपि कहा गया था कि पाण्डवों की तरफ से क्यों नहीं लड़ते तो उन्होंने कहा कि मैंने कौरवों का नमक खाया है और नमकहलाली करना मेरा कर्त्तव्य है । यह सरकार जो पूंजीपतियों के बल पर बैठी है, उनके प्रति नमकहलाली करती है । जहां-जहां उनका हित आकर अड़ता है, वहां जनता की कठिनाइयों का खयाल न रखकर उनको बचाने की कोशिश की जाती है । महामहिम राज्यपाल ने कहा कि तकावी और बकाया धन की वसूली के लिये अधिनियम आने वाला है । किन्तु लाखों रुपया इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स का बकाया पड़ा हुआ है इसके लिये सरकार ने कौन कौन से कदम उठायें हैं । गरीब किसानों की देय धन की वसूली के लिये आप सतर्क हैं और अपने दानदाताओं के प्रति सुस्त । क्या यही आपका न्याय है ? आज जिलेवार ब्यौरा हमारे सामने बकाया धन का आया है । राज्यपाल को बताना चाहिये था कि हम इन बातों को लेकर चल रहे हैं और इन बातों के आधार पर हम जनता का मनोबल दृढ़ करेंगे । एक तरफ तो जनता त्रस्त हो रही है और दूसरी तरफ साज सज्जा के सामान भरे जा रहे हैं । इस तरफ तो महामहिम राज्यपाल ने ध्यान ही नहीं दिया । इसी पर हमें खेद प्रकट करना पड़ा । देश का प्रति चौथा आदमी आज त्रस्त है । महामहिम ने जिक्र किया अनुसूचित जाति के कोटे के विषय में कि वह अल्पवेतन भोगी व निम्न श्रेणी कर्मचारियों में २५ और ४५ प्रतिशत की वृद्धि करेगी और उसमें भी शर्त यह है कि कहीं यह कोटा, चपरासियों का कोटा ४५ प्रतिशत से अधिक न हो जाय । इस संबंध में लार्ड लिनलिथगो से बाबा साहब डा० अम्बेदकर ने कहा था—"Am I not equal to five hundred graduates? Then why are you creating this army of Clerks? why dont you creat men like me?"

अर्थात् क्या मैं ५०० सौ ग्रेज्युएट के बराबर नहीं हूं ? तब आप यह क्लार्कों की सेना क्यों बना रहे हैं ? मेरे जैसे आदमी क्यों नहीं तैयार करते । उस समय के वायसराय ने जो विदेशी था,

[श्री खेमचन्द]

१७ स्कालरशिप ग्रान्ट करके फारेन यूनीवर्सिटी में जगह बना कर कुछ आदमियों को बाहर भेजा था और आज महामहिम राज्यपाल कहते हैं कि हम अल्प और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के कोटे को कम्पलीट कर रहे हैं। इससे जनता का क्या मनोबल बढ़ सकता है? आपने गजेटेड पोस्ट्स और दूसरी सरकारी नौकरियों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? उनके कोटे को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे? (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं अपने दल के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके नेता की तरफ से ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री खेमचन्द—

मैं उपनेता हूं, जब नेता नहीं हैं तो मैं ही उनकी हैसियत से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री खेमचन्द—

नहीं मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं नेता की हैसियत से बोल रहा हूं। फिर आप मुझे समय क्यों नहीं देते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यों तो हर एक आदमी कह देगा। आप चार मिनट बोल लीजिये। टाइम बहुत कम है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, जब हाउस में कोई सदस्य बात कहता है तो सही कहता है। उनकी बात सही माननी चाहिये अगर कोई दूसरा सदस्य उसको कान्ट्रोडिक्ट न करे।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

सिद्धान्त आपने बना दिया है कि दो ही मिनट बोलेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

बोलिये।

श्री खेमचन्द—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आपकी इन बातों से प्रदेश की चौथाई जनता प्रसन्न नहीं हो सकती। राज्यपाल महोदय ने जो उनके बारे में कहा है वह नाकाफी है। उनके बारे में तो जितना ही कहा जाय उतना ही थोड़ा है।

दूसरी ओर महामहिम राज्यपाल का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता था कि उन्होंने यह कहा है कि हर जिले में एक इकाई प्रारम्भिक चिकित्सालय कायम करने की कोशिश की जायगी। लेकिन आज जिन अस्पतालों में डाक्टर है वहां दवायें नहीं हैं और बहुत सी डिसपेंसरियों में डाक्टर भी नहीं हैं। उनका प्रबन्ध पूरा नहीं हो पाता है। सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हैं और उनको दवा का नुस्खा लिखकर दे दिया जाता है कि वह कैमिस्ट के यहां से दवायें लें और सरकारी दवायें कैमिस्ट की दूकानों पर बेची जाती हैं। इस प्रकार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है।

इस हाउस में इस समय हर आदमी के सामने खाद्य समस्या का सवाल है। माननीय शर्मा जी ने नेगी साहब को बधाई दी, मैं भी बधाई देता हूं कि वे हिम्मत से काम कर रहे हैं लेकिन बहुत-सी परिस्थितियों में वे अपने को असमर्थ पाते हैं। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वे नियमों में आबद्ध हैं। अगर ऐसा है तो यह अच्छा होता है कि वे अपने इस भार को छोड़ देते और किसी योग्य आदमी को यह कार्य करने देते। समस्या जहां की तहां है। अनाज के दाम आज भी उसी जगह पर हैं। मिश्र जी ने मनोबल बढ़ाने की बात कही। लेकिन खाली मनोबल से किस प्रकार काम चल सकता है। जब तक प्रभावी कदम न उठाये जायं, ६ महीने में भी समस्या सुलझ नहीं सकती है। जब तक इस कन्ट्रोल व्यवस्था में आमूल परिवर्तन न होगा, तब तक समस्या हल न होगी। बाजार में ४५–५० के भाव अनाज मिल रहा है और राशन की दूकानों पर राशन की कमी है। जखीरेबाज जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो संपूण कंट्रोल कीजिये, एक दाना भी बाहर न बेचा जाये या कुछ ऐसे कदम उठाये जायं जिससे अनाज की कीमतें न बढ़ पायें। आगरा में छापा मारा गया, कई आदमी पकड़े गये लेकिन कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने कलेक्टर को मजबूर कर दिया कि उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाय। क्या इससे मनोबल बढ़ेगा? शासन संबंधों से ऊपर होता है। न्याय शासन को तो पक्षपात से बिलकुल ऊपर होना चाहिये। जो न्याय की देवी की तस्वीर बनायी जाती है उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है ताकि वह अपने पराये को न देख सके। और न्याय तोलकर वास्तविकता के आधार पर बिना पक्षपात के हो सके। और जब यहां अपने और पराये की खबर ली जाती है और इस भावना से काम करने की कोशिश की जाती है तब क्या होगा?

इस बात का भी यहां जिक्र किया गया कि ब्यूरोक्रेसी पनप रही है। आखिर इसमें दोष किसका है? यह दोष है उन आदमियों का जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बैठे हुए हैं और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर काबू नहीं पा सकते। इस संबंध में मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। एक छोटी-सी समस्या लेकर मैं एक मंत्री के पास गया था तो उन्होंने कहा कि इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, इसमें नोटिफिकेशन होगा, यह होगा, वह होगा। लेकिन जब उसी समस्या को लेकर मैं तत्संबंधित सेक्रेटरी के पास गया तो ५ मिनट के अन्दर ही उन्होंने फौरन कह दिया कि इस तरह से यह काम कर दीजिये तो आपका काम बन जायगा। अब आप ही बतलायें कि कौन एफिशिएंट हुआ, मिनिस्टर या सेक्रेटरी। हम तो जनता के ही प्रतिनिधि हैं जो आपके ही समकक्ष हैं लेकिन आज आप सरकार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप अपने समकक्ष को अपने सबार्डीनेट के पास भेजें तो उसके मन में क्या अहसास होगा? लेकिन सभी इस बात को जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को पनपाने वाले आप हैं। आज सरकार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फाइल भी देखने की कोशिश नहीं करते। इसी मिनिस्टरी में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनके सामने सेक्रेटरी आदि जाकर अपना सर झुकाते हैं और उनके हुक्म की पाबन्दी करते हैं, और इसी मिनिस्टरी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सेक्रेटरी से कहते हैं कि फलां काम तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। इस तरह की बातों के लिये आपको अपने मनोबल में सुधार करने की जरूरत है। आप ५ साल के लिये जनता का सेक्शन लेकर यहां आते हैं तो अपने मनोबल को कायम रखते हुए आपको अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये और ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करनी चाहिये केवल भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है। अगर वे समझते हैं कि यहां डिग्री लेकर आये हैं तो आपको भी कहना चाहिये कि हम काफी अनुभव लेकर आये हैं और तभी ब्यूरोक्रेसी प्रभावित हो सकेगी और यह दुर्भावना समाप्त हो सकेगी।

मान्यवर, अन्त में एक बात मैं कहूंगा कि प्रदेश की दशा बहुत ही हीन है। स्वयं महामहिम ने अपने अभिभाषण में इस विषय का जिक्र किया है कि हम अपने पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं और इसके लिये उन्होंने सब का सहयोग मांगा है। हम इस बात को

[श्री खेमचन्द]

कहते हैं कि अगर न्यायोचित आधार पर सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम उठता है—तो कम से कम मैं इस बात को कहता हूं कि हमारा उसमें पूर्ण सहयोग होगा। पहले भी जब देश के लिये सुरक्षा का प्रश्न आया है तब सरकारी दल के तथा अपोजीशन के लोगों ने मुसीबत के समय एक होकर सहयोग दिया है और प्रदेश की जनता के मनोबल को आगे बढ़ाने का खयाल रखा है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ सकता है और जनता की सुख शान्ति कायम रह सकती है जिसकी कल्पना करते हुए गरीब इन्सान जी रहा है और अपनी बहबूदी के लिये सोच रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं दो दिन से लगातार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में दोनों तरफ की बातें सुन रहा हूं। दोनों तरफ के विवादों से मुझे यह लगा कि सभी लोग खासतौर से विरोधी पार्टी के लोग यह कहते हैं कि आज खाद्य समस्या बहुत कठिन है, बहुत ही जटिल है, देश में भुखमरी है। समझ में नहीं आता कि वह भाई किस तरह कहते हैं कि समस्या जटिल है, क्या कभी उन्होंने इसकी जटिलता को कम करने में हाथ बटाया है, कोई कोशिश की है, कभी किसी कमी को या बुराई को दूर करने में उन्होंने कोई हाथ बटाया है? अगर कोई ब्लैकमार्केटियर या भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो वह उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वह तो केवल अपने भाषण सदन में अखबारों में छपवाने के लिये देते हैं और चिल्लाते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है। वह कहते हैं कि कर्मचारी भ्रष्ट हैं और घूसखोरी हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके भाई और रिश्तेदार आज नौकरियों में नहीं हैं और क्या वह आज रिश्वत नहीं लेते हैं उनको उन्होंने रोका है ? बुराइयां किस तरह से दूर हो सकती हैं वह जानते हैं। सबको मालूम है कि ३ वर्ष से अनावृष्टि रही, पाला और पत्थर से क्षति हुई और हमारे यहां पैदावार कम हुई और उसके कारण ही प्रदेश में ऐसी भंयकर स्थिति आई और उसके समाधान के लिये हमारे खाद्य मंत्री ने, मुख्य मंत्री जी ने और इस सरकार ने हर मुमकिन प्रयत्न किये कि विरोधी दल के लोग हमारे साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करें लेकिन उधर के लोग आकर मंत्रियों के सामने चापलूसी करते हैं और बाहर जाकर प्रदेश की जनता को बहकाते हैं। जब कि विरोधी दल की जिम्मेदारी है कि वह जनता को सही बात बताये वह उल्टे जाकर भड़काते हैं और उल्टी सीधी बाते करते हैं जिससे किसानों के पास जो गल्ला भी है उसको वह दबा लेते हैं और जखीरेबाज अपनी जखीरेबाजी करने लगते हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इधर के नेतागण मिनिस्टरों के पास जाकर चापलूसी करते हैं। क्या वह यह शब्द कह सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल—

मैं कहता हूं कि इस तरह के हल्ले से काम नहीं चलेगा, हमें समस्या का हल निकालना होगा और हमें कोशिश करना होगा कि जखीरेबाजों से गल्ला निकलवाकर बाहर ले आने की कोशिश करनी होगी। हम प्रदेश के सामने जो खाद्य समस्या है उसको हल करना चाहते हैं हमारे अन्दर वह हिम्मत है। विरोधियों की इस तरह से जनता का भड़काना देश के लिये और समाज के लिये हितकर न होगा, उसका फल बुरा निकलेगा। कल को वह ही शासन

में आ जायं तो क्या वह इस तरह से शासन चला लेंगे। एक ओर तो वह कहते हैं कि विकास के सारे काम शीघ्र हो जायं और दूसरी तरफ करों का भी विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क की जाय लेकिन इसके लिये सरकार के पास पैसा कहां से आये? टैक्स के नाम से तो आप चिल्लाते हैं और जनता को भड़काते हैं।

हमारे श्री लखीसिंह जी ने कौरव पाण्डवों की मिसाल दी लेकिन इन्ही की पार्टी में बनारस में अभी कौरव पाण्डवों की लड़ाई हुई जिसको सारे देश ने देखा और अखबारों में पढ़ा वह यहां आकर कौरव पाण्डवों के युद्ध की मिसाल देते हैं।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें माननीय राज्यपाल के भाषण में यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हरिजनों के संरक्षण के मामले में जब तक उनका कोटा पूरा न होगा तब तक उनको लिपिकों और चपरासियों की श्रेणी में २५ से ४५ प्रतिशत पदों की सुरक्षा की घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां हरिजन लिपिक और चपरासियों का सवाल है वहां गजटेड पोस्ट पर भी उन्हें रखने के लिये सुरक्षित स्थान इसी तरह होना चाहिये। और खासकर मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा—

(व्यवधान)

मैं तो कहूंगा कि विरोधी लोगों की वही बात है जैसा कि मैंने डा० लोहिया साहब के भाषण को अखबार में पढ़ा कि ६० प्रतिशत पिछड़े लोगों को मैं जगह दूंगा। महोदय, मैं तो एक कहानी कहता हूं—कि जैसे एक ब्राह्मण देवता थे, वे तपस्या करते थे और शंकर जी ने उनको बरदान दिया कि जाओ तुम्हें एक अशर्फी रोज मिल जायगी। (व्यवधान) उन्हें एक अशर्फी रोज मिलने लगी फिर उन्हें लालच हुआ और शंकर जी की तपस्या करने लगे और कहा जब तुम जितना मांगोगे उसका दूना मिलेगा। घर आकर वे जब मांगे कि ५ रु० मिले तो आवाज आई—किन्तु कहना हां तो था मिलना तो था नहीं। जो लोग कहते हैं करते नहीं है। करके दिखाओ। आज जो मिश्रा जी इतना जोश दिखला रहे हैं करके दिखलायें तब तो ठीक है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज जो भ्रष्टाचार के मामले को लोगों ने कहा है मैं भ्रष्टाचार के मामले को सदन में कहना चाहता हूं कि आज राशन की दूकानों में लोग हिस्सेदार हैं। आज जिले में जो कमेटी बनी हुई है उसमें सब पार्टियों के लोग हैं और खासकर के उन्हीं के लोग हैं जो लोग चिल्लाते हैं यहां पर आकर। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मिश्रा जी हमारी बातों को आइन्दा सुनेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने पूरी तौर से पढ़ा। श्रीमन्, क्या नई बात उस अभिभाषण में है जिसके लिये धन्यवाद दिया जाय। अगर रस्म-रिवाज की बात है तो सरकार गलत से गलत काम किया करे। राज्यपाल हमेशा सरकार के गलत काम करते हुए भी धन्यवाद पाते रहें। श्रीमन्, यह मेरी समझ में बात नहीं आती है। हिन्दुस्तान में दुनियां की १४ फीसदी आबादी है जब कि यह कहा जाता है कि दुनियां के मुल्कों के मुकाबिले हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ी। रूस, चीन जिन मुल्कों की आबादी बढ़ी है उनसे हमारी घटी है। उत्तर प्रदेश में साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन उपजाऊ है और २ करोड़ एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है।

मैं जब खाद्य-समस्या की बात कहता हूं तो सरकार यह एक बात कहती है कि दिल्ली की सरकार ने कोटा नहीं दिया, दूसरी बात यह कहती है कि जहाजों में माल नहीं आया, आने में देरी हो गयी, विरोधी दल ने हड़ताल करा दी और तीसरे शीत-लहरी व पाले से फसल को

[श्री राधेश्याम शर्मा]

नुकसान हो गया । ये सारी बातें सत्य हैं और इन सब बातों को मान भी लिया जाय तो आप देखिये कि उत्तर प्रदेश में कुल रबी की पिछली फसल में कितना गल्ला पैदा हुआ। एक दाना कहीं से नहीं आये तब भी सन् ६४ से बुरा वक्त आ नहीं सकता । इस प्रदेश में १४३ लाख टन गल्ला पैदा हुआ जब कि टार्गेट था १५८ लाख टन । कुल १५ या १७ लाख टन गल्ला कम पड़ा और १७ लाख टन गल्ले के पीछे इतना हो हल्ला मचाया गया । तो फसल कहां खराब हुई मेरी समझ में नहीं आता जिसकी वजह से प्रदेश में हाहाकार मचा । पौने ८ करोड़ जनता में यह १७ लाख टन गल्ला २७ दिन को पूरा पड़ता है और उसके लिये इतना हल्ला मच गया, यह समझ में नहीं आता । अगर टोटल राशनिंग कर दी जाती और प्रदेश की पौने ८ करोड़ जनता में साढ़े ७ छटांक फी यूनिट के हिसाब से गल्ला दिया जाता तो १४३ लाख टन गल्ला ३१ दिसम्बर तक पूरा हो जाता है और टार्गेट पूरा होने पर १७ लाख टन गल्ला बच जाता जो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक पूरा पड़ता । तो दिल्ली की सरकार ने कोटा नहीं दिया या बाहर से आना बन्द हो गया या शीत लहरी से और पाले से फसल बरबाद हो गयी, ये सब दलीलें कहां फिट बैठती हैं । अब कम पैदा नहीं हुआ तो गल्ला गया कहां ? जिस समय असेम्बली चल रही थी मैंने विधान सभा में कहा था कि ७० लाख टन गल्ला जखीरेबाजों ने जमा कर लिया है । नेगी जी ने कहा कि राधेश्याम जी फिगर्स दें तो वह निकालेंगे । हमने सत्याग्रह किया तो आपने निकलवाया और साढ़े ४ लाख रुपये का गल्ला पकड़ा गया । लेकिन कानून ऐसा था कि हाई कोर्ट ने उसे भी छोड़ दिया । कितनी हास्यास्पद बात है कि पहले तो गल्ला जखीरेबाजों के यहां सड़ता रहा और जब सरकार ने पकड़ा तो उसके यहां सड़ता रहा । तो मेरा यही निवेदन है कि यह बात जो कही जाती है कि दिल्ली की सरकार ने कोटा नहीं दिया, बन्दरगाह पर हड़ताल हो गयी अथवा शीत लहरी तथा पाले से फसल बरबाद हो गयी ये सब दलीलें बेकार और भ्रामक हैं । गल्ला आपके यहां था और उसके बावजूद वितरण की व्यवस्था में दोष है । इसका कारण है कि पौने आठ करोड़ जनता को १४३ लाख टन गल्ला आप नहीं खिला सके । यह कमी सरकार की है । यह गलती आपको माननी चाहिये । खरीफ की फसल में ९३ लाख टन गल्ला पैदा हुआ । पश्चिमी जिलों में तो फसल काफी अच्छी थी । लेकिन जखीरेबाज और मुनाफाखोर बड़े चालाक हैं । किसान इतना गरीब है कि उसको मालगुजारी और दूसरे अन्य कर देने पड़ते हैं इसलिये उसका सारा गल्ला फसल का पहले ही खरीद लिया जाता है हमारे यहां तो सारी फसल किसान से जखीरेबाजों और मुनाफाखोरों ने खरीद ली । अब काश्तकार के यहां बिलकुल गल्ला नहीं है । मेरा खयाल यह है कि मुश्किल से २० लाख टन गल्ला खरीद कर अभी खा पाये होंगे बाकी गल्ला मौजूद है । फिर भी ज्वार, मक्का, बाजरा तथा दूसरे मोटे अनाज जिनको आम जनता व मजदूर खाते हैं वह भी बाजार से चला जाय तो इसमें सरकार का दोष है या जनता का फिर धन्यवाद किस बात का, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है ।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए ।)

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है । जो भाई कहा करते हैं कि सरकार का फलां आदमी अच्छा है और फलां आदमी बुरा है ऐसी बात सरकार के बारे में ठीक नहीं है । एक भाई ने कहा कि चरणसिंह जी मुख्य मंत्री हों, मुख्य मंत्री चाहे नन्दा जी हों या किसी को बनाओ, उससे क्या होता है ? बात तो असल में सरकारी नीति की है । वही गलत है तो क्या हो सकता है । कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा है, यह व्यक्ति-वाद की परम्परा अच्छी नहीं है । विरोधी दल सरकार बनाने के पक्ष में होना चाहिये । यह बात सोशलिस्ट पार्टी चाहती है । यह कहना कि मुख्य मंत्री हट जायं तो सरकार अच्छी हो जायगी, ठीक नहीं है । अगर किसी को किसी व्यक्ति से जलन है तो उसके लिये विधान सभा का रास्ता नहीं हो सकता है । उसके लिये दूसरा रास्ता हो सकता है । जो आदमी यह

कहता है कि फलां आदमी अच्छा है या फलां आदमी बुरा है, वह गलत काम करने वालों को बढ़ावा देता है और ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं हूं, न विरोधी पक्ष को रहना चाहिये ।

सरकार को उलटने के लिये हमने छोटे-छोटे यज्ञ किये हैं, अब हमें महायज्ञ रचना चाहिये । जनसंघ से कहते हैं तो वह दक्षिण पंथियों और बाम पंथियों को काटने को दौड़ते हैं । इससे कुछ नहीं होगा कोई किसी को नहीं काटे । एक ही रास्ता है जैसे अर्जुन ने कहा था कि मुझे चिड़िया का सर दिखाई देता है उसी तरह से हमें कांग्रेस सरकार को हटाना है । इसके सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है । हम किस तरह से हटा सकते हैं । उसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम सब मिलकर समाजवादी व्यवस्था कायम करें ।

*श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, इस वर्ष महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण गत वर्षों की अपेक्षा संक्षिप्त है और टू दि प्वाइंट है । इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । वे इसलिये धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने संविधान के अनुसार परिगणित जाति के सर्विसेज में कोटा पूरा न होने के लिये चिन्ता प्रगट की है और इतना ही नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिये सक्रिय कदम उठाने के लिये घोषणा की है । परन्तु श्रीमान्, मुझे खेद है कि उन्होंने इस प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के संबंध में जो आबादी के लिहाज से साढ़े पचास प्रतिशत हैं, उनके संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा । श्रीमन्, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में आयु और शिक्षा संबंधी जो सुविधायें पहले उपलब्ध थीं वह धीरे-धीरे वापस ले ली गई हैं । इस प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । श्रीमन्, इसके फलस्वरूप सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व साल पर साल गिरता चला जा रहा है। श्रीमन्, इस सरकार की ओर से जिले के विभागीय अध्यक्षों को बराबर इस बारे में आदेश दिये जाते रहे हैं कि उनको हर तरह से सरकारी नौकरियों में प्रोत्साहन दिया जाये, परन्तु वह सरकुलर्स अब इनएफेक्टिव हो गये हैं, जिसके फलस्वरूप अब जिले के अन्दर भी जो नौकरियां दी जाती हैं उनमें भी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है ।

श्रीमन्, अब मैं खाद्य समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कृषि की पैदावार दिन प्रति दिन गिरती चली गई है और खाद्यान्नों के भाव भी दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण जनता को गत वर्ष काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था । इस संबंध में मैं कृषि के संबंध में कुछ तथ्य सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा । श्रीमन्, हमारे प्रदेश में २ प्रकार की फसलें होती हैं । पहली रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल । खरीफ की फसल में १२ जिन्सें हैं, जिनके आंकड़े हमारे कृषि विभाग के द्वारा पूरी तौर से रक्खे जाते हैं । उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी, सरकार द्वारा प्रयास किये जाने के बाद भी, हमारी १२ फसलों में से ८ फसलें ऐसी हैं, जिनकी पैदावार सन् ५१ से अब तक घटती जा रही है और जिनका रकबा भी घटता चला जा रहा है और श्रीमन्, इन ८ फसलों में से २ फसलें ज्वार और बाजरा, जिस पर गरीबों का जीवन निर्भर करता है, की उपज भी काफी कम हुई है । श्रीमन्, आप अगर फरमायें तो मैं आपके सामने २ आंकड़े रखता हूं । सन् ५१–५२ में १४,७७ हजार टन हुआ और जो घटकर सन् ६१–६२ में ८,१० हजार टन ही रह गया । इन ८ फसलों का भी इन १०, ११, १२ वर्षों में उत्पादन घटना बड़ी चिंता की बात है । श्रीमन्, इसी प्रकार रबी की हमारी जो ५–६ फसलें हैं, उसमें जौ और अरहर प्रमुख हैं, जिनकी भी पैदावार प्रतिवर्ष गिरती जा रही है । उनका टोटल प्रोडक्शन प्रदेश के अन्दर गिरता जा रहा है । इन खरीफ और रबी की ८ और २ फसलों के अन्दर काफी बड़ा रकबा है । इनमें रबी की फसलों में गेहूं और चावल का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । यहां यह लाजिमी है कि जो मैंने ८ तरह की फसलों और २ जो रबी की फसलों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवराजसिंह]

बारे में कहा उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । अन्यथा इस प्रदेश में पैदावार बढ़ाना संभव नहीं है । श्रीमन्, यही कारण है कि प्रदेश के पूर्वी अंचल में जो जिले हैं वह कृषि की पैदावार की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से पिछड़े हुये हैं । श्रीमन्, पूर्वी जिलों के विकास के लिये सरकार ने एक पटेल कमीशन बिठाया था, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है । उस कमीशन ने जौनपुर, गाजीपुर आदि ४ जिलों की आर्थिक स्थिति और कृषि संबंधी बातों का अवलोकन किया था और इस जिले में जो फसलें हैं उनका मुकाबला अन्य जिले में होने वाली फसलों से किया था । हमारे उत्तर प्रदेश में पैदावार का हिसाब देखा जाय तो पूर्वी जिलों की पैदावार से भी कुछ पच्छिम जिलों की पैदावार बहुत कम है । पूर्वी जिलों में जो बैकवर्ड जिले कहे जाते हैं इनकी पैदावार से भी कुछ पश्चिम जिलों के पैदावार कम है । पूर्वी क्षेत्र में चार जिले ऐसे हैं जिनको बैकवर्ड कहा जाता है । आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया और गाजीपुर ऐसे जिले हैं जिनको कहते हैं कि इनकी पैदावार बहुत कम है । मैं इन जिलों के आंकड़े भी सबन के सामने रखना चाहता हूं । इन चार जिलों में सबसे कम गेहूं की पैदावार ८.९६ मन प्रति एकड़ है और सबसे अधिक पैदावार गाजीपुर में गेहूं का पैदावार १२.५० मन प्रति एकड़ है लेकिन बदायूं के अन्दर, जो पच्छिमी जिला है, उसमें गेहूं की प्रति एकड़ पैदावार ८.७८ मन प्रति एकड़ है । इसी प्रकार से बाजरे की पैदावार को लिया जाय तो इन चार जिलों में सबसे कम पैदावार जौनपुर की ५.०३ प्रति एकड़ पैदावार बाजरे की है और इन चार से सबसे अधिक पैदावार गाजीपुर की बाजरे की १६.०४ मन प्रति एकड़ है लेकिन बदायूं में बाजरे की पैदावार ३.०७ मन प्रति एकड़ है । इन सब जिलों से कम बदायूं की पैदावार है । इसी प्रकार से मेज की पैदावार सबसे कम इन जिलों में गाजीपुर में ६.१९ मन प्रति एकड़ है लेकिन बदायूं के अन्दर मेज की पैदावार २.४० मन प्रति एकड़ है । शुगरकेन और मस्टर्ड में भी इसी प्रकार से बदायूं की पैदावार है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यू० पी० के पच्छिम जिले भी ऐसे हैं जहां पर कृषि की पैदावार इन पूर्वी जिलों की बनिस्बत कम है । उसका कारण कुछ भी हो लेकिन आज वस्तुस्थिति यह है कि आज पैदावार की दृष्टि से कुछ पश्चिमी जिले ऐसे हैं जो कृषि की पैदावार में पूर्वी जिलों से बदतर हालत में हैं । इसलिये यदि आप चाहते हैं कि प्रदेश की पैदावार बढ़े और शीघ्र बढ़े तो यह अनिवार्य है कि इस प्रकार का प्रोग्राम बनायें जिससे पिछड़े हुये जिलों को भी लाभ हो । पैदावार बढ़ाने के लिये इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि खाद्यान्न की समस्या को सुलझाने के लिये काश्तकार की सुविधा के ऐसे तरीके अपनाये जायं जिनसे उसके कष्ट कम हो सकें । हमारे खाद्यमंत्री ने बड़ा परिश्रम किया और खाद्य के लिये कुछ नीति अपनाने की चेष्टा की परन्तु मुझे खेद है कि इसमें कुछ त्रुटि हुई । मैं यह बात निन्दा की दृष्टि से नहीं कहना चाहता बल्कि केवल इस दृष्टि से कहना चाहता हूं कि सरकार की दृष्टि इस ओर आकर्षित हो जाय । मैं एक केन्द्रीय खाद्य समिति का उद्धरण सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं जो केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने सन् १९६४ में बिठाई थी इस निर्देशन के लिये कि खाद्य की पालिसी क्या होनी चाहिये । उसमें यह है कि "खाद्यान्न की कीमतों का बढ़ना जो कि उपभोक्ताओं की दृष्टि से एक चिंता की बात है परन्तु इसमें एक बड़ा लाभ भी निहित है कि इससे देश में खाद्यान्न की पैदावार को बढ़ावा मिल सकता है । खाद्यान्न के भावों के बढ़ने के पहला लाभ यह होगा कि कैश क्राप अधिक से अधिक बोने की किसान की, जो मनोवृत्ति गत कई वर्षों से बनती जा रही है, रुकेगी । दूसरा लाभ खाद्यान्न के भावों के बढ़ने से यह होगा कि कृषक वर्ग नये वैज्ञानिक तथा तकनीकी साधन कृषि में इस्तेमाल कर पायेगा । यदि उसको सरकार द्वारा उर्वरक, पानी, अच्छे बीज और दूसरी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध रहीं । साथ ही यह भी याद रखने की बात है कि बढ़े हुये भाव यदि कृषक वर्ग को न पहुंच कर तिजारती बिचौलियों के मुनाफों को और बढ़ाते हैं तो कृषि पैदावार पर कोई भी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ।" इसके साथ ही यह भी आवश्यक था कि कानून से प्राइस दोनों तरफ तय की जाती । प्रोड्यूस के विशेषज्ञों की यह राय है कि इनमें सन्तुलन होना चाहिये लेकिन विशेषज्ञों की राय के बावजूद भी न मालूम पिछली बार इतनी नीची कीमत क्यों नियत की गई । दूसरी बात उन्होंने कही बिचौलियों

को मुनाफा न बढ़ाया जाय । आज हमारे खाद्य मंत्री के आदेश हैं कि जिन जिलों में सरकार परचेज कर रही है उसमें तिजारती लोग सरकार द्वारा नियत भाव पर गल्ला खरीदेंगे और उसमें का आधा गल्ला तो सरकार को दे देंगे और आधा वे बाजार में खुले दाम पर बेच सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह आधा गल्ला उनको बाजार में बेचने की इजाजत क्यों दी गयी है ? इसका कारण क्या है ? मेरा आपसे अनुरोध है कि जो खरीद उनके द्वारा करायी जाय वह सारी की सारी सरकारी गोदामों में आनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, बिल्ली और बन्दर वाली कहानी जो हम सुनते थे वह आज हमारे यहां चरितार्थ हो रही है । जो लोग प्रांत का शासन चलाने के लिये जनता द्वारा प्रतिनिधि बना कर भेजे गए थे वे तो आपस में टकरा टकरा कर बैठ गये और केन्द्र ने जिन लोगों को सुलह कराने के लिये भेजा था वे आज हमारे प्रदेश का शासन चला रहे हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है और यह सही बात है कि हमारे प्रदेश का भाग्य आज जिन हाथों में है उनमें जनता की विश्वास की भावना है, लेकिन बदकिस्मती साथ साथ चलती है और वह यह है कि अगर कहीं लचक की गुंजायश न हो, कहीं लगाम पड़ी हुई न हो तो काम नहीं चलता । मैं मानता हूं और मानता चला आ रहा हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री की सूझ-बूझ कम नहीं है किसी दूसरे से, परन्तु जिन हालात में आज हुकूमत को चलाने का काम उनके कंधों पर डाला गया है उसमें वह कामयाब नहीं हो पा रही हैं । हमारे प्रान्त के राज्यपाल पुराने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं । ऐसे दो व्यक्तियों, राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री, के होते हुये भी हमारे प्रान्त में जनता के कष्ट दिन प्रति दिन बढ़ते रहें यह एक गंभीर प्रश्न है और इस पर सोच विचार होना चाहिये, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं या ऐसे बना दिये जाते हैं कि जिनके अन्दर सोच विचार करना संभव नहीं रह जाता । सदन में कहा गया और दोनों तरफ की यह राय है कि हमारी तमाम नीतियां हमारी तमाम योजनाएं फेल हुई हैं । इसमें कोई गलत बात नहीं है । लेकिन क्या ऐसे घोड़े पर सवार हो कर हम आगे बढ़ सकेंगे कि जिसकी टांग न हो, जिस पर लगाम न हो, जिसकी गरदन न हिलती हो, जिसके घुटने न चलते हों ? वह हमें आगे कैसे ले जा सकेगा ? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो नीतियां आज अपनायी जाती हैं और जिनका समर्थन उधर से या इधर से कर दिया जाता है उनमें कितनी सूझ बूझ है ? जबरदस्ती, इसलिये कि उधर के बैठने वालों की संख्या ज्यादा है और उधर के बैठने वाले आपस में बैठ कर लड़ते हैं और सही राय नहीं दे पाते । मैं कहता हूं कि इससे भला होने वाला नहीं है । यह सब देख कर मुझे बड़ा दुख होता है । हम तो अपने दिन किसी तरह से काट ही लेंगे, मगर जो १०–२०–५० साल बाद नस्ल आने वाली है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वह इस देश के लिये बड़ा ही दुखदायी होगा ।

बहरहाल, यह काम जनता ने कांग्रेस दल पर, जो बहुमत में है, छोड़ा है । आज सभी इस मत से एक राय के होंगे कि आज देश के अन्दर हर व्यक्ति दुखी है । चाहे वह पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, सभी दुखी हैं । सब जगह आपको असंतोष मिलेगा, संतोष कहीं नजर नहीं आयेगा । आखिर उसका कारण क्या है ? उसका कारण है आपके कानून और उन कानूनों को चलाने वाले व्यक्ति । जो कानून आपके बन रहे हैं और उनके अन्तर्गत जो नियम आपके बन रहे हैं उनके अन्दर नेक नीयती की भावना नहीं है । मुझे यह देख कर बड़ा दुख है कि प्रान्त के अन्दर अनाज होते हुये भी आज अनाज की कमी है । अभी हमारी सरकार के खाद्य मंत्री जी ने एक कानून बनाया । उसके अन्तर्गत सेक्रेटरी महोदय ने कुछ नियम बनाये । जो नियम बने उनको देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ । उन नियमों के अनुसार जो व्यक्ति दो कार्ड बनवायेगा अपने राशन के लिये उसको तो सजा देने का प्राविधान किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति अमेरिका से मंगाये हुये गेहूं को बाजार में ब्लैक में बेचेगा उसके लिये आपने कोई सजा नहीं रखी है । आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

जिन दुकानदारों की मार्फत आप गेहूं बिकवा रहे हैं वहां का काफी गेहूं आज ब्लैक में बाजार में बिक रहा है । इतनी मेहनत से इतनी दूर से मंगवाया हुआ गेहूं इस तरह से बिके और बेचने वाले के लिये आपके नियमों में कोई चीज न हो, यह देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ । आपने तो पैसा लेकर गेहूं उसके हवाले कर दिया, लेकिन उस दुकानदार पर आपने कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया है जिससे वह उसे ब्लैक में न बेच सके । कानून में इस कमी के कारण आज हजारों मन गल्ला ब्लैक में बिक रहा है । यही कारण है कि गल्ला जहां जाना चाहिये, जिन लोगों को मिलना चाहिये, उनको न मिल कर दूसरी जगह जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

(कुछ ठहर कर)

मुझे एक सूचना देनी है । अभी ५ बजे से, यहां से उठने के बाद तिलक हाल में लेजिस्लेचर ग्रुप की एक मीटिंग हो रही है जिसमें भारत सरकार की मंत्राणी श्रीमती लक्ष्मी मेनन भाषण कर रही हैं, आप लोगों से अपेक्षा है कि उसमें सम्मिलित होने का कष्ट करें ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह एक संसदीय परम्परा रही है कि जब नया वित्तीय वर्ष आरम्भ होने को हो तो उससे पूर्व राज्याधीश या राज्यप्रमुख अपनी संसद में अपनी सरकार के कार्यक्रम को, उसकी नीति को एक मुख्तसिर खाके के रूप में अपने सम्बोधन द्वारा रक्खेंगे । फिर उस पर चर्चा हो । या तो एक तरफ से उसकी आलोचना हो या सराहना हो । सही सा नक्शा सबके सामने आ जाय । मैं तो मान्यवर यह समझता हूं कि आलोचना का एक बहुत बड़ा महत्व है । उससे सरकार की भूलें और खामियां एक शीशे की तरह से आईने के रूप में सामने आ जाती हैं लेकिन किस तरह की आलोचना । ऐसी आलोचना से नहीं जो आलोचना, आलोचना के लिये ही की जाय । ऐसी आलोचना का महत्व है जो एक निर्माण की नीयत से की जाय, एक सुझाव के रूप से की जाय । एक गल्ती के रास्ते से हटाकर एक सही रास्ते पर लाने की नीयत से की जाय । ऐसी आलोचना नहीं जिसमें कि राजनैतिक लाभ मद्दे नजर हो । मान्यवर, यह सही है कि महामहिम राज्यपाल का सम्बोधन ऐसी गंभीर परिस्थितियों में हुआ है जब कि एक तरफ खाद्य संकट है । इससे इंकार नहीं किया जा सकता । दूसरी तरफ हमारा पिछड़ापन भी है। लेकिन, मैं मान्यवर आपसे पूछता हूं, क्या इसका सारा दोष सरकार के कंधों पर ही डाला जा सकता है ? भ्रष्टाचार भी है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या फिर भी सारा दोष सरकार के कंधों पर डाला जा सकता है ? जहां तक मैं समझता हूं, हरगिज नहीं । मान्यवर, खाद्य संकट की भी कितनी ही वजूहात हैं । हो सकता है कि सरकार से भी त्रुटियां हुई हों । लेकिन मौसमी हालात को देखिये । कौन उन्हें रोक सकता है ? यह इंसान के वश के बाहर है । दूसरी तरफ मुल्क में करन्सी का इन्फ्लेशन है । रुपये का फैलाव है । दूसरी तरफ जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है । इसके अलावा यह भी जरूर है कि जखीरन्दाजी भी है। वह भी इतनी तेज है कि कुछ व्यापारियों ने की है, कुछ प्रोड्यूसर्स ने की है और कुछ कन्ज्यूमर्स ने भी की है । ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर ही सारा दोष देना कहां तक उचित है? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक एक तरफ किसानों को इस महंगाई से तकलीफ हुई है क्योंकि उसकी जरूरियात की चीजें बढ़ गई हैं उससे एक तरफ फायदा और लाभ भी हुआ है । उसके माल के अच्छे दाम मिल जाने से उसकी गरीबी भी दूर हुई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इस तरीके से उसके अन्दर एक ऐसा जजबा पैदा हुआ है कि कृषि उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय। यह उनके लिए एक इन्सेंटिव है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से किसान उत्पादन को बढ़ा रहा है। उसकी कोशिश का नतीजा मैं समझता हूं जल्दी ही दिखायी पड़ेगा। रबी की फसल अच्छी है।

इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा रकबा अच्छी जमीन का गन्ने और सब्जियों में चला जाता है। इससे भी गल्ला उत्पादन कम हुआ है। मैं खाद्य मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों को उनके माल की ज्यादा से ज्यादा कीमत दी जाय। बीच के व्यापारी तबके को शीघ्र से शीघ्र खत्म करने की आवश्यकता है। अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो यह किसी भी वक्त खाद्य संकट पैदा कर सकता है। उनके खिलाफ जो अब तक कार्यवाहियां की हैं, उनसे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाय। खाद्यान्न व्यापार को शीघ्र ही कौमियाने की जरूरत है। इस सिलसिले में सरकार ने कुछ कदम उठाया भी है। इसके साथ ही साथ मुझे खुशी है कि महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण हिन्दी राष्ट्रभाषा में पढ़ा। हालांकि वे हिन्दी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिन्दी में अभिभाषण पढ़ने की जो कोशिश की, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं।

दो नयी यूनिवर्सिटीज को कायम करने के बारे में भी बताया गया है और लड़कियों की हाई स्कूल तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है इसके लिए भी मैं उनको तथा सरकार को बधाई देता हूं।

जहां तक औद्योगीकरण का ताल्लुक है, उसमें हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। लोगों को रोजगार देने के लिए और जमीन पर से बोझ हटाने के लिए यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी औद्योगीकरण किया जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, कल से इस सम्बन्ध में बहस चल रही है। राज्य में व्याप्त जो विशेष परिस्थिति है उसकी ओर आपका और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े गौर से पढ़ा। मुझे उम्मीद थी कि महामहिम राज्यपाल, श्री विश्वनाथ दास जी जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं देश, विदेश की परिस्थिति तथा उत्तर प्रदेश की परिस्थिति के बारे में विशेष विवरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे उनके अभिभाषण को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वे भी इस गन्दी राजनीति के दलदल में इस प्रकार फंस गये कि अब निकल नहीं पा रहे हैं और आज जो परिस्थिति है उसका अवलोकन वे नहीं कर पा रहे हैं।

मैं उधर के बैठने वालों से नहीं कहता क्योंकि मैं जानता हूं कि आज वे १७ साल पहले से बड़े-बड़े विद्वान जो इधर बैठा करते थे, बराबर सरकार को सुझाव देते रहे लेकिन १७ साल में भी उसकी आंखें नहीं खुलीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से और इस आदरणीय सदन के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश का शासक दल उसी दकियानूसी तरीके से शासन चलाता है और वैसा ही चलायेगा या उसमें कोई परिवर्तन भी होगा? मैं तो यहां १० साल से देख रहा हूं कि लाल कालीन सीढ़ी से लेकर सभा कक्ष तक बिछा दी जाती है और गवर्नर साहब खरामां खरामां एक मिनट में एक कदम उठाते हुये आधे घंटे में सीढ़ी से इस सभा कक्ष तक पहुंचते हैं। इस राकेट के युग में जब कि उसकी रफ्तार एक घंटे में १५ हजार मील हो, उत्तर प्रदेश के शासक का एक मिनट में एक कदम उठाना और आगे पीछे सारे खंजाम के साथ यहां तक आने में आधा घंटा लगता हो तो फिर ऐसे शासक से यहां का शासन क्या चल सकेगा? इससे बढ़ कर आटोक्रसी का नमूना और क्या हो सकता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

इस सम्बन्ध में आज उत्तर प्रदेश की जनता को और इस आदरणीय सदन को सोचना होगा कि यह दकियानूसी तौर तरीका इसी तरह से चलता रहेगा या बन्द भी होगा? आज सारे प्रदेश में करोड़ों जनता के भूखों मरने की स्थिति है लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वहां के गवर्नर के रहन-सहन के तौर तरीके में कोई तब्दीली न हो, शासन के मंत्रियों के तौर तरीके में तब्दीली न हो, तो इसके माने साफ यह है कि आज उत्तर प्रदेश का शासन जिनके हाथों में है उनके जरिये इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं किया कि हमारे देश की उत्तरी सीमा पर चीन का खतरा है। इतना ही नहीं, हमारा जिला गोरखपुर व देवरिया से मिला हुआ है और सभी जानते हैं कि गोरखपुर की सीमा चीन से मिली हुई है। इस बात को हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े-बड़े आफिसर उस मोर्चे पर लगे हुये हैं जो मंत्रियों के रिश्तेदार हैं और आज उनका काम स्मगलिंग के जरिये लाखों रुपया पैदा करना रह गया है। यह बड़े ही अफसोस की बात है कि चीन का बना हुआ कम्बल और रेशम गोरखपुर के नौगढ़ में आकर बिकता है और चीन का बना हुआ फाउन्टेनपेन इस राजधानी में आकर एक सवा रुपये में बिकता है। साथ ही यहां की चीनी व चावल नैपाल के रास्ते बराबर हमारे दुश्मन चीन देश को जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी दलाली करने के लिए कौन गया था, क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गये थे, क्या गोपालन और डांगे गये थे? मैं जानता हूं और एक-एक मन्त्री तथा उनके रिश्तेदारों को बतला सकता हूं कि वे लाखों रुपये स्मगलिंग के जरिये आज कमाई कर रहे हैं। उन चीनियों को रास्ता दिखलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं गये थे बल्कि कांग्रेस के शासक दल के जरिये ही इस तरह के गलत काम हो रहे हैं। श्रीमन्, यह इस सरकार की नीति का ही फल है कि हमारे बद्रीनाथ के पास का भेसरगांव आज चीनियों के कब्जे में है। उनको रास्ता दिखलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहां नहीं गये थे। आज लाखों रुपया मंत्रियों के रहन-सहन पर खर्च किया जा रहा है। कल माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि गवर्नर साहब को बड़ा दुख है। आखिर दुख किस लिए है? वे तो २५ एकड़ के अन्तर्गत बने हुये विशाल भवन में रहते हैं, उनके ऊपर ७ लाख से ऊपर का खर्चा है, और उसके बाद जब विरोधी दल अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है तो इसके लिए उसको दोष दिया जाता है।

जनसंघ जनतंत्र की बड़ी दुहाई दिया करता है आज मैं जनसंघ से और खास करके माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी से पूछता हूं कि जनसंघ द्वारा जनतांत्रिक परम्पराओं पर कुठाराघात की बात तो बहुत कही जाती है लेकिन आप बतलायें कि दुनिया में कौन सा ऐसा जनतांत्रिक देश है जहां पर गवर्नर का ओहदा है? अमेरिका में गवर्नर होते हैं जिनका हर दो (चार) वर्ष के बाद चुनाव होता है, प्रेसीडेंट का चुनाव होता है, लेकिन यहां पर यह चीज नहीं है।

मैं पूछता हूं कि पांच, छः महीने तक जो इस असेम्बली का आह्वान नहीं किया गया उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसके लिए सारी जिम्मेदारी राज्यपाल महोदय की ही है। क्या राज्यपाल ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया? उनके मंत्रिमण्डल ने ५ मास के भीतर सात-सात आर्डिनेंस निकाले, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में, चन्द लोगों की रोजी कायम रखने के लिए यह राज्यपाल का ओहदा बनाया गया है। माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने और आचार्य कृपलानी ने कहा था कि साकार लोगों को बेकार करने के लिए यह कांग्रेस की सरकार इन राज्यपालों पर करोड़ों रुपया व्यय करती है। काम करने वालों को यह ओहदा देकर बेकार बनाया जाता है और इस पद पर भेजा जाता है। इस तरह से जो व्यक्ति काम करता हो, जो सरकार की सारी बुराइयों का नजरन्दाज करके मुख्य मन्त्री के मातहत की तरह काम करता हो उसके लिए हमारे जैसा आदमी और हमारा दल कतई धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। किसलिए उनको धन्यवाद दिया जाय? क्या इसलिए कि सारी भीषण परिस्थितियों का नजर अन्दाज कर के ५ महीने तक जैसा मुख्य मन्त्री कहें वह

करते रहें? क्या इसलिए कि वह इस सरकार की सारी खामियों पर पर्दा डाले रहें? क्या इसलिए कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से स्मगलिंग का सामान आपकी राजधानी लखनऊ में दुश्मन देश चीन से आकर खुले आम बिकता रहे? क्या इसलिये कि उनके प्रदेश में लोग भूख से तड़पते हों और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर गोलियां बरसायी जायं और उनको सुरक्षा के नाम पर जेल में बन्द कर दिया जाय? आज भी नैनी जेल में श्री ज्ञानेश्वर मिश्र आप की नीति के अनुसार यातना झेल रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर रामाधार यादव को भी बन्द किया गया है जो निर्दोष हैं। इसके लिए इस कांग्रेस सरकार को शर्म आनी चाहिये। नौगढ़ में जो गोरखपुर और गोंडे की सीमा चीन से मिली हुई है वहां पर विदेशी पकड़े गये, आप के कर्मचारियों ने उनको पकड़ा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसी भी कानून में केन्द्र के और आपके एक भी कर्मचारी किसी भी विदेशी को नहीं पकड़ सके। जिस प्रकार कि इस तरह से भारत सुरक्षा के नाम पर अपने राजनैतिक विरोधियों को पकड़ा जाता है उसकी जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है। इस तरह की बिस्फोटक परिस्थिति में इस तरह के लोगों को फौरन पकड़ना चाहिये था लेकिन आपके कर्मचारी सोते रहे। इस तरह की कार्यवाहियों से इस देश को और इस प्रदेश को भारी खतरा है। जनसंघ, कम्युनिस्ट या सोशलिस्टों से कोई खतरा नहीं है अगर खतरा है तो इस तरह के कांग्रेस राज्य से ही है और इनके इन वजीरों से है जो जिम्मेदार हैं। अगर सही मानों में यहां जनतन्त्र की स्थापना हो तो यह वजीर ही डी० आई० आर० में जेल में बन्द किये जायं, लेकिन आज जनता में वह ताकत नहीं है। इन शब्दों के साथ आज जो लोग हुकूमत की कुर्सियों पर हैं उनको देशद्रोहियों की संज्ञा से मैं विभूषित करना चाहता हूं।

जैसा कि राधे श्याम जी ने कहा बहुत से लोग कहते हैं कि आज अगर कांग्रेस की हुकूमत हटा दी जाय तो किसमें क्षमता है कि जो यहां की हुकूमत को ठीक से चला सके। मैं कहता हूं कि आज सारे देश में मरघट की शांति छायी हुई है और आज की जो स्थिति है उससे तो अराजकता की भी स्थिति अच्छी ही होगी, गृहयुद्ध की स्थिति भी उत्तम होगी। इस धराध्वस्त कांग्रेस हुकूमत को किसी तरह से हटना चाहिये, जब तक यह सरकार रहेगी, भुखमरी और अकाल सब कुछ बना रहेगा। अन्त में मैं कहूंगा कि शक्ति को इकट्ठा करके इस कांग्रेस सरकार को खत्म किया जाय, जब तक यह रहेंगे, देश में कोई व्यवस्था चल नहीं सकती, इसको पहले अपदस्थ किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मुझे बड़ा दुख है कि कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खेद का प्रस्ताव बहुमत के बल पर पास करा लिया जिसके भागी जनसंघ और स्वतन्त्र दल के लोग भी रहे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर जरा विचार करें और सोचें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हुं। जो कुछ मैंने इस सम्बन्ध में बोलने की बात सोची थी उसकी शक्ल श्री काशीनाथ के भाषण को सुनने के बाद करीब-करीब बदल गयी है। मैं बैठा-बैठा सोच रहा था कि नेता विरोधी दल जिस बात को कहने में असफल रहे, माननीय पांडे जी उसमें सफल रहे, माननीय नेकराम शर्मा असफल रहे, माननीय जेड० ए० अहमद भी करीब-करीब असफल रहे लेकिन उन सब बातों की पूर्ति माननीय काशीनाथ जी ने कर दी। वह इतनी कामयाबी के साथ इस बात पर तुल गये थे।

श्रीमन्, इस सदन के अन्दर इससे ज्यादा खूबसूरत गाली नहीं दी जा सकती। लोगों ने कहा था कि राज्यपाल आये उनका स्वागत कुछ ठीक नहीं हुआ। हम लोगों के भाषण में थोड़ी सी त्रुटि रह गयी, लेकिन हमारे मित्र इतने मुंहजोर हैं कि हम सदन में खड़े हैं, राज्यपाल के भाषण पर हम कुछ कह रहे हैं और हम विधायक हैं। एक लाख जनता ने हमको चुनकर भेजा है। आपके बारे में ख्याल क्या होगा? आपके बारे में यह ख्याल होगा लोगों का कि यह इतने सभ्य हैं कि एक साल के बाद राज्यपाल महोदय हमारे सदन में आते हैं, वे १०–१५

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

मिनट के लिए आते हैं तो हम अपनी सभ्यता का इस प्रकार से प्रदर्शन करें। मैं उन सब शब्दों को किस प्रकार से बताऊं। अधिष्ठाता महोदय मैं आप के द्वारा उन को बता देना चाहता हूं—

(व्यवधान)

सरकार के कार्यों में जो कुछ गड़बड़ी इस समय है हम यह देखते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर कोई माननीय सदस्य एक बात कहें तो उसको रोकने का मेरा का है। अगर माननीय सदस्य उस को रोकने लगेंगे तो मेरा काम क्या रहेगा ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

हमारे इस प्रदेश का एक शख्स साल भर में आता है एक बार, तो क्या इतनी भलमंसाहत नहीं बरती जा सकती है, क्या अनर्गल प्रचार से ही हमारा स्तर ऊंचा हो सकता है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के कार्यों में हमेशा त्रुटि रही है और रहेगी सरकार के कामों में जो कमी रह गयी है और रहती है, वह रहेगी। हमारे नियोजन के कार्यों को उलटा बताते हैं। हमसे ज्यादा भ्रष्टाचारी की सिफारिश आप करते हैं। आपके साथ ज्यादा से ज्यादा दफा ११० वाले निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा गांजा और शराब बेचने वाले निकलेंगे। अपने दिल पर आप हाथ रखकर पूछिये मैं यह कहता हूं कि साहब इतना मुंहजोर नहीं होना चाहिये कि इतने मा० सदस्य जिसके बीच आप सच्चाई पर पर्दा डालकर ऐसी बात करें। माननीय नेकराम शर्मा जी, मैं तो सोच रहा था कि बहुत काफी पढ़े लिखे हैं, बहुत पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं तो दंग रह गया कि उन्होंने मिनिस्टरी का परिवर्तन कर दिया। एक चीफ-मिनिस्टर को चढ़ा दिया और दूसरे को उतार दिया और एक महिला पर हथियार चलाया। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह कोई महिला की जगह या पुरुषों की जगह नहीं है। यह जगह चीफ मिनिस्टर की है। एक नियम व कानून के अन्दर वह बंधा होता है और उसके अन्दर ही अपना ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। मैं उनकी तारीफ जरूर करूंगा कि जबसे वह आयी हैं इस जगह पर तब से ऐडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन हुआ है, भ्रष्टाचार में कमी हुई है, नियोजन के कार्यों में बढ़ोत्तरी हुई है। यह बात जरूर है कि आपकी जबानें ज्यादा खुल गयी हैं। महिला समझ कर जो चाहते हैं कह देते हैं। गुप्ता जी, पंत जी तथा सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में आप इतना नहीं बोल पाते थे।

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने महिला के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जो कुछ कहा वह चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

चरित्र की परिभाषा माननीय नेक राम जी करें, उसे सुन कर मैं स्तब्ध रह गया।

श्री नेकराम शर्मा—

आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैंने किसी महिला के नाम से उनके चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने चीफ मिनिस्टर की पालिसी पर हमला किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चरित्र पर आक्षेप किया। नेक राम जी ने चरित्र की बात की। मैं समझता हूं कि अब तो कम से कम उन में जरूर सुधार हो गया होगा। माननीय

नेगी जी बैठे हैं। उनके पास विरोधी दल की तरफ से अनेक स्लिपें होंगी, कि जो गलत से गलत सप्लाई आफिसर है उसकी सिफारिश की गयी है कि उसका ट्रांस्फर न किया जाय। विरोधी दल के भाई ऐसी बातें कहते, इस तरह के सुझाव देते जिन पर सरकार अमल करती या जिनसे सरकार पर असर होता, तो कहीं बेहतर होता। लेकिन वही गाली गलौज, वही रफ्तार जो पहले थी, वही अब भी है, इससे प्रदेश का कुछ भला होने वाला नहीं है।

हमारे प्रदेश के बड़े रिवोल्यूशनरी लीडर माननीय झारखंडे राय जी ने ढपोरशंख जैसी बात कह दी कि ढाई रुपया मन गल्ला होना चाहिये।

आवाजें—

गल्ला नहीं, गन्ना कहा था। ताज्जुब होता है कि संशोधन में यह नहीं था।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप का भाषण समाप्त। हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इस के बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० फरवरी, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८५ पर)

परिशिष्ट १ मूल सूची

प्रश्न सं० ४८ से संबंधित

१ अप्रैल, १९६३ की अवशेष धनराशि की मंडलानुसार सूची

मण्डल			अवशेष धनराशि	मण्डल			अवशेष धनराशि
			रु०				रु०
लखनऊ क्षेत्र				**कानपुर क्षेत्र**			
१	लखनऊ	..	५७,३३,२७६	१	कानपुर	..	२,८८,९६,३३१
२	राय बरेली	..	१,६३,७०१	२	इटावा	..	१३,६५,०३०
३	नैनीताल	..	३,१२,३८९	३	फतेहगढ़	..	८,२२,५४३
४	अल्मोड़ा	..	२,६५,७२१	४	फतेहपुर	..	५,९३,८४३
५	हल्द्वानी	..	४,९२,६७३	५	झांसी	..	४८,४९,४८८
६	काशीपुर	..	३,७३,११८	६	महोबा	..	२,२७,९४५
७	बरेली	..	३४,७४,५४८	७	उरई	..	६,२९,४१२
८	पीलीभीत	..	७,८८,४६५	८	उन्नाव	..	२,१४,०५२
९	खीरी	..	११,५१,६३४				
१०	सीतापुर	..	४,८१,५६४		योग	..	३,७५,९८,६४४
११	शाहजहांपुर	..	३,०४,३४८				
१२	हरदोई	..	५,७८,५७८				
१३	बहराइच	..	११,०३,६९४				
१४	गोंडा	..	४,६८,८९०	**मेरठ क्षेत्र**			
१५	बाराबंकी	..	७,८२,७९७	१	मेरठ	..	२३,३४,२९८
	योग	..	१,६४,७५,३९६	२	हापुड़	..	७,९८,२४७
				३	गाजियाबाद	..	११,२४,८७७
आगरा क्षेत्र				४	मुजफ्फरनगर	..	२४,४६,५०५
१	आगरा	..	८६,६५,४४२	५	सहारनपुर	..	१४,५२,३८६
२	फिरोजाबाद	..	१९,१४,२०२	६	रुड़की	..	२,८९,८४९
३	मैनपुरी	..	१०,०५,९०६	७	देहरादून	..	८,६०,१८७
४	मथुरा	..	११,४३,२९३	८	ऋषिकेश	..	१,३६,८२८
५	हाथरस	..	२१,९९,०९४	९	मुरादाबाद	..	२०,९९,४५१
६	अलीगढ़	..	२५,४५,५३५	१०	बुलन्दशहर	..	६४,१८,२१९
७	बदायूं	..	६,९६,८०५	११	बिजनौर	..	१२,५३,२६०
८	एटा	..	१८,२१,८४९	१२	लैन्सडाउन	..	२,९१,३३५
	योग	..	१,९९,९२,१२६	१३	रामपुर	..	३,२१,९५०
					योग	..	१,९८,२७,३९२

मण्डल		अवशेष धनराशि
		रु०
इलाहाबाद क्षेत्र		
१	इलाहाबाद ..	४५,७३,७११
२	आजमगढ़ ..	८,९८,६९६
३	बलिया ..	३,३०,०७२
४	वाराणसी ..	२९,३३,६१०
५	बस्ती ..	७,६१,०४७
६	देवरिया ..	७,१५,७१८
७	फैजाबाद ..	६,९४,१८२
८	गाजीपुर ..	३,१२,८६२
९	गोरखपुर ..	१०,०५,७२०
१०	जौनपुर ..	२,६१,७२५
११	मिर्जापुर ..	२,७१,५१६
१२	प्रतापगढ़ ..	२,४६,०३२
१३	सुल्तानपुर ..	२,१६,९७९
	योग ..	१,३२,२१,८७०
लखनऊ क्षेत्र		१,६४,७५,३९६
आगरा क्षेत्र	..	१,९९,९२,१२६
मेरठ क्षेत्र	..	१,९८,२७,३९२
इलाहाबाद क्षेत्र	..	१,३२,२१,८७०
कानपुर क्षेत्र	..	३,७५,९८,६४४
कुल योग	..	१०,७१,१५,४२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट २ संशोधित सूची

१ अप्रैल, १९६३ को अवशेष धनराशि की मंडलानुसार सूची

मण्डल		अवशेष धनराशि रु०
लखनऊ क्षेत्र		
१	लखनऊ ..	५७,३३,२७६
२	राय बरेली ..	१,६३,७०१
३	नैनीताल ..	३,१२,३८९
४	अल्मोड़ा ..	२,६५,७२१
५	काशीपुर ..	३,७३,११८
६	बरेली ..	३४,७४,५४८
७	पीलीभीत ..	७.८८,४६५
८	खीरी ..	११,५१,६३४
९	सीतापुर ..	४,८१,५६४
१०	हल्द्वानी ..	४.९२,५७१
११	शाहजहांपुर ..	१३,०४,३४८
१२	हरदोई ..	५,७८,५७८
१३	बहराइच ..	११,०३,६९४
१४	गोंडा ..	४,६८,८९०
१५	बाराबंकी ..	७,८२,७९७
	योग ..	१,७४,७५,२९४
आगरा क्षेत्र		
१	आगरा ..	८६,६५,४४२
२	फिरोजाबाद ..	१९,१४,२०२
३	मैनपुरी ..	१०,०५,९०६
४	मथुरा ..	११,४३,२९३
५	हाथरस ..	२१,९९,०९४
६	अलीगढ़ ..	२५,४५,५३५
७	बदायूं ..	६,९६,८०५
८	एटा ..	१८,२१,८४९
	योग ..	१,९९,९२,१२६
कानपुर क्षेत्र		
१	कानपुर ..	२,८८,९६,३३१
२	इटावा ..	१३,६५,०३०
३	फतेहगढ़ ..	८,२२,५४३
४	फतेहपुर ..	५,९३,८४३
५	झांसी ..	४८,४९,४८८
६	महोबा ..	२,२७,९४५
७	उरई ..	६,२९,४१२
८	उन्नाव ..	२,१४,०५२
	योग ..	३,७५,९८,६४४
मेरठ क्षेत्र		
१	मेरठ ..	२३,३४,२९८
२	हापुड़ ..	७,९८,२४७
३	गाजियाबाद ..	११,२४,८७७
४	मुजफ्फरनगर ..	२४,४६,५०५
५	सह रनपुर ..	१४,५२,३८६
६	रुड़की ..	२,८९,८४९
७	देहरादून ..	८,६०,१८७
८	ऋषिकेश ..	१,३६,८२८
९	मुरादाबाद ..	२०,९९,४५१
१०	बुलन्दशहर ..	६४,१८,२१९
११	बिजनौर ..	१२,५३,२६०
१२	लैन्सडाउन ..	२,९१,३३५
१३	रामपुर ..	३,२१,९५०
	योग ..	१,९८,२७,३९२
इलाहाबाद क्षेत्र		
१	इलाहाबाद ..	४५,७३,७११
२	आजमगढ़ ..	८,९८,६९६
३	बलिया ..	३,३०,०७२
४	वाराणसी ..	२९,३३,६१०
५	बस्ती ..	७,६१,०४७
६	देवरिया ..	७,१५,७१८
७	फैजाबाद ..	६,९४,१८२
८	गाजीपुर ..	३,१२,८६२

मण्डल			अवशेष धनराशि	मण्डल			अवशेष धनराशि
			रु०				रु०
९	गोरखपुर	..	१०,०५,७२०	लखनऊ क्षेत्र	..		१,७४,७५,२९४
१०	जौनपुर	..	२,६१,७२५	आगरा क्षेत्र	..		१,९९,९२,१२६
११	मिर्जापुर	..	२,७१,५१६	मेरठ क्षेत्र	..		१,९८,२७,३९२
१२	प्रतापगढ़	..	२,४६,०३२	इलाहाबाद क्षेत्र	..		१,३२,२१,८७०
१३	सुल्तानपुर	..	२,१६,९७९	कानपुर क्षेत्र	..		३,७५,९८,६४४
	योग	..	१,३२,२१,८७०	कुल योग	..		१०,८१,१५,३२६

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पिछे पृष्ठ २०८ पर)

बस्ती जिले के बांसी तथा नौगढ़ तहसील में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत पटाई के विभिन्न गांवों की नामावली एवं प्रगति का विवरण

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	विकास क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	गांव में कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की तिथि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	बांसी ..	बांसी ..	मगर गहा ..	.. २५-११-६४		
			सोसनर ..	.. २-११-६४		
			गुर हराया राजा..	.. २-११-६४		
			मगनतापुर ..	.. २-११-६४		
			बकुवाऊ ..	.. २-११-६४		
			फूलपुर ..	.. २५-११-६४		
			मदारी ..	.. ४-११-६४		
			भुजराई ..	.. २५-११-६४		
			टंडवल घाट ..	.. २५-११-६४		
			तिन्डिया बाजार..	.. २७-११-६४		
			पिन्डारी खुर्द ..	.. २७-११-६४		
			बिरवा माफी ..	.. २५-११-६४		
			धोमा ..	.. ,,		
			कुसमी ..	.. ,,		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		बतरगवा	..	..	,,	..	
		मिड़लाराजा	..	..	,,	..	
मिथवल	..	बनकटा नं० १	..	..	३०-१२-६४	..	
		बनकटा नं० २	..	..	,,	..	
		शहरीघाट	..	..	,,		
		बावनी नानकार	..	..	,,	..	
		वधौली	..	..	,,	..	
		खदरी	..	..	,,	..	
		द्वारका पुरवा	..	..	,,	..	
		अकसर माफी	..	..	,,	..	
		रवलापुर	..	..	१-१-६५	..	
		सिकटा	..	..	,,	..	
		धुमवा माफी	..	..	,,	..	
		किसुन पुरवा	..	..	,,	..	
		तरिखा पांडे	..	..	,,	..	
		सोरहवा	..	..	,,	..	
		रनुवारी	..	..	,,	..	
२	बांसी ..	सैसरहा ..	डुमरिया बुजुर्ग	..	..	४-३-६३ ..	१-४-६४ ..
			चौरई चाल	..	..	,, ..	९-८-६४ ..
			बंजरहा बुजुर्ग	..	..	,, ..	१५-४-६४ ..

१	२	३	४	५	६	७
			कुनरिजा ..	.. २३-३-६३ ..	१०-७-६३ ..	
नौगढ़	..	नौगढ़ ..	गोवरधनपुर ..	.. २०-२-६३ ..	..	९८ प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
			महदेवा बुजुर्ग ..	.. ,, ..	,, ..	,,
			मसेरा ..	.. ,, ..	२५-५-६३ ..	
			काकोरी ..	.. ,, ..	,, ..	,,
			चिलधरामान्ट ..	.. ,, ..	,, ..	,,
			कपिया बुकनियावा ..	.. ,, ..	१५-५-६३ ..	
			मरेहरतुलवा टिपरी ..	.. १६-३-६३ ..	,, ..	,,
			मदरहना उर्फ भैंसहवा	.. ,, ..	..	
			खमरिया ..	.. २८-११-६४ ..	..	
			अगवा ..	.. ,, ..	..	
			रामगढ़ ..	.. ,, ..	..	
			धौरीभुवा ..	.. ,, ..	..	
बोगिया	..	छलनापार ..	.. २०-२-६३ ..	२८-२-६४ ..		
		खतवारी ..	.. ,, ..	२९-६-६४ ..		

अनुवाद विधान सभा

	छोटाला तपैया ..	..	,,	..	३०-७-६४	..
	नागपारी ..	..	,,	..	२४-३-६४	..
	खेतवाल मिश्र ..	..	,,	..	३०-७-६४	..
	सुतइया ..	..	,,	..	१९-८-६४	..
	कुसुमहर ..	..	,,	..	,,	..
	भैसहवा ..	..	,,	..	२२-७-६४	..
	मनौतापुर ..	..	,,	..	२-६-६४	..
	अछनारी ..	..	,,	..	३१-७-६४	..
बड़नी ..	समरहवा ..	..	,,	..	१९-१-६४	..
	टीसम ..	..	,,	..	५-४-६४	..
	मडरिया ..	..	,,	..	१५-६-६४	..
	सिमरी उर्फ गोलखंखवा ..		,,	..	१६-१-६४	..
	अतरइया ..	..	,,	..	६-३-६४	..
	खेरी सीतल प्रसाद ..	..	,,	..	१०-६-६४	..
	झुनगहना ..	..	,,	..	—	.. ९८ प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।
	मुतहवा ..	..	२०-२-६३	..	५-७-६४	..
	समसरी ..	..	१५-७-६३	..	१५-६-६४	..
	तौलहवा ..	..	१४-७-६३	..	—	.. ९८ प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।
	रामनगर ..	..	४-११-६४	..		..
	टीकर ..	..	,,	..		..

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	विकास क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	गांव में कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की तिथि	अन्य टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
			खिवट	,, ..	,, ..	,,
			वसनुवापाकर	२७-११-६४ ..	,, ..	,,
			मानपुर	,, ..	,, ..	,,
			रोजेवा	,, ..	,, ..	,,
		बर्डपुर ..	वरगवहवा	२०-२-६३ ..	,, ..	,,
			दुल्हा जनूबी	,, ..	१५-७-६४ ..	,,
			कुंडीला	,, ..	,, ..	,,
			खिलसंडी	,, ..	,, ..	,,
			सिमरी	,, ..	,, ..	,,
			बयूथलिया	,, ..	,, ..	,,
			निवीहवा	,, ..	८-६-६४ ..	,,
			बिहारीपुर	२५-११-६४ ..	,, ..	,,
			भगवानपुर	१७-११-६४ ..	,, ..	,,
			वरगवहवा	,, ..	,, ..	,,
			बूढ़ा	२५-११-६४ ..	,, ..	,,
			खैराती	२७-११-६४ ..	,, ..	,,
			ककरहवा	,, ..	,, ..	,,

अनुपूरक विधान सभा

	मेहदावल ..	..	२५-११-६४	..	,,	..	,,
	दूल्हादुरमयानी ..	..	,,	..	,,	..	,,
उसका ..	नटवाताल ..	..	२०-२-६३	..	२-७-६४	..	,,
	इथवरताल ..	..	,,	..	,,	..	,,
	चित्तरापार ..	..	२६-२-६३	..	१५-२-६४	..	,,
	तालवधइया ..	..	१०-५-६४	..	,,	..	४० प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

९२ ३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर)

FROM

THE ADHYAKSHA,
ANTARIM ZILA PARISHAD,
AZAMGARH,

TO

THE UP SACHIVA,
PANCHAYAT RAJ VIBHAG,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

[Through: (1) The District Magistrate, Azamgarh, (2) The Commissioner, Gorakhpur-Varanasi Division, Varanasi].

No. 810 *Dated Azamgarh, the* 10*th September*, 1962.

Subject : **Removal of Sri Kamta Singh from his office of membership of the Antarim Zila Parishad, Azamgarh.**

SIR,

I have the honour to bring to the notice of the Government some of the serious irregularities committed by Sri Kamta Singh, a member of this Parishad and to request you kindly to take immediate action for his removal from his office of membership under section 231 (*a*) and 231(*c*) of the Uttar Pradesh Kshettra Samiti and Zila Parishads Adhiniyam, 1961.

1. Sri Kamta Singh has been occupying a portion of the staging bungalow of the Parishad on a nominal rent of Rs. 15.00 per mensem. This quarter was let out to him on the aforesaid rent as a temporary measure when it had only two rooms. These two rooms were later on changed into a spacious residential quarter with electrification and fixation of a hand-pump in its inner courtyard accompanied by a Flush system latrine, a kitchen and a store-room. The rent paid by him is too low especially in comparison with the rent of Rs. 25.00 per mensem paid by the Deputy Inspector of Schools who is accommodated in another much smaller portion of the quarter of the bungalow. The quarter was rented to Sri Singh by the Ex-Adhyaksha of the Parishad on his verbal undertakings that he would vacate the quarter after having settled some quarter for his residence in the town. Sri Kamta Singh despite being given the benefit as stated above defaulted in payment of the rent continuously for 3 years which accumulated to Rs. 390.00 and was realized from him on the notice of attachment proceedings issued under my orders.

2. He purchased furniture costing Rs. 1,995-12 on credit from the Saran Jam Karyalaya of the Parishad about 10 years back and after repeated demands paid Rs. 1,300.00 uptil now. There is still a balance of Rs. 695.12 outstanding against him.

3. Sri Kamta Singh has violated the Act and rules in as much as he got his nephews Sarvasri Mahatam Singh and Jitendra Singh appointed as teachers and Sri Virendra Singh as a clerk in the office of the Parishad without securing the sanction of the Divisional Commissioner for the same as required under rules.

4. Sri Singh secured coal from the Parishad in the name of his relation, Sri Kapildeo Singh for supplying bricks at a very cheaper rate for construction of its schools and other buildings, but he neither supplied the bricks nor returned the coal or its cost to the Parishad. The bricks which were baked from the coal of the Parishad were utilized in the construction of the Higher Secondary School, Diha of which Sri Singh is an Honorary Manager. The cost of the coal was recovered from him after a lapse of about four years on my assuming office in the Parishad.

5. Sri Singh through his personal influence on the Ex-Adhyaksha of the Parishad in collaboration of Sri Umrao Singh, Up-adhyaksha, secured payment of a sum of Rs.1,000.00 for the construction of a Girls Primary School at Katchri Kishunpur although there is no such school in existence. This deceitful action of the member was a clear forgery on his part. The amount is still outstanding against him for which he was asked several times to clear off the same.

6. Sri Kamta Singh in the capacity of a member of Objection Committee of the Parishad illegally presided over its meetings and gave arbitrary judgments in remitting the big taxes from Rs. 1,00.00 to Rs. 500.00 in toto levied on deserving persons by the Assessing Officer and has caused a heavy loss to the funds of the Parishad. A few such cases of Tahsil Sadar are illustrated below to show his high-handedness in the matter :

Serial number of assessment list with year	Name of Assessee	Amount of Tax proposed by Assessing Officer	Orders passed in objection
		Rs.	
1070 (1959-60)	Abdul Shakur Rahmatullah ..	125	Tax remitted
1072(1959-60) ..	Samad Sheikh	100	Ditto
1127(1959-60) ..	Mukhtar	500	Ditto
1132(1959-60) ..	Shaimul	150	Ditto
1228(1959-60) ..	Jamil	300	Ditto
1372 (1960-61)	Munir	100	Ditto

From the above it would be evident that the said Sri Kamta Singh is guilty of all the charges narrated above and that his misconduct and abuse of powers in the discharge of his official duties has caused a heavy loss to the Parishad. His further continuance as a member of the Parishad, therefore, is detrimental to its interest.

It is under the circumstances requested that the Government would be pleased to view the case seriously and take action for his removal from the office of membership of the Parishad forthwith.

It is further requested that pending enquiry and final decision of the Government in the matter, Sri Kamta Singh may kindly be suspended from his office in public interest.

Yours faithfully,
RAM KUNWAR SINGH,
Adhyaksha,
Antarim Zila Parishad, Azamgarh.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०९ पर)

सन् १९६१ व १९६२ में बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण विद्यालय विचपुरी (आगरा) में उच्च प्रशिक्षण हेतु भेजे गये ग्राम सेवकों का वांछित विवरण ।

सन् १९६१

क्रमांक	नाम ग्राम सेवक	उच्च प्रशिक्षण में जाने से पूर्व जिस पद पर कार्य कर रहे थे उक्त पद, वेतन क्रम तथा विकास क्षेत्र एवं जिले का नाम			प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्त किये गये पद, वेतन क्रम तथा विकास क्षेत्र एवं जिले का नाम		
		पद	प्रशिक्षण के पूर्व नियुक्ति पद का वेतन क्रम	वि० क्षे० एवं जिले का नाम	पद	प्रशिक्षण के पश्चात् नियुक्ति का पद वेतन क्रम	वि० क्षे० एवं० जिले का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
१	सर्वश्री बाबू सिंह ..	स्था० स० वि० अ० (पं० स० शि०)	१२०–२५०	हरगांव (सीतापुर)	स० वि० अ० (पं० स०)	१२०–२५०	सिधौली (सीतापुर)
२	छीत्तरमल गुप्ता ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	धानपुर (बुलन्दशहर)	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	डिवाई (बुलन्दशहर)
३	गिरराजसिंह ..	स्था० स० वि० अ० (कृषि)	१२०–२५०	बबीना (झांसी)	स्था० स० वि० अ० (कृषि)	१२०–२५०	ताल वेहट (झांसी)
४	बलरामसिंह ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	नरायनपुर (मिर्जापुर)	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	पहाड़ी (मिर्जापुर)

५	रास बिहारी उपाध्याय	स्था० स० वि० अ० (सहकारिता)	१२०–२५०	रावर्ट्सगंज (मिर्जापुर)	स्था० स० वि० अ० (सहकारिता)	१२०–२५०	रावर्ट्सगंज (मिर्जापुर)
६	कल्याण सिंह बलिया	स्था० स० वि० अ० (कृषि)	१२०–२५०	गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)	ग्रा० से० १-५-६३ से	७५–१२० (१-५-६३ से २५-५-६३)	पिथौरागढ़
					स० वि० अ० (कृषि)	१२०–२५०	
७	के० पी० सागर ..	स० वि० अ० (कृषि)	१२०–२५०	विसल पुर (पीलीभीत)	स० वि० अ० ..	१२०–२५०	भरीरी (पीलीभीत)
८	पास नाथ मिश्रा ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	सठियांव (आजमगढ़)	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	सठियांव (आजमगढ़)
९	राम कृष्ण अवस्थी ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	अजीतमल (इटावा)	ग्राम सेवक	७५–१२०	अजीतमल (इटावा)
					स० वि०अ० (कृषि) १८-५-६३-से	१२०–२५०	भर्थना (इटावा)
१०	रघुवीर सिंह ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	पुवायां (शाहजहां-पुर)	ग्राम सेवक ९-५-६३	७५–१२० (९-५-६३से) ८-७-६३ तक)	पुवायां (शाहजहांपुर)
					स० वि० अ० (पं० सं०)	१२०–२५० (९-७-६३ से १८-१२-६३)	खुटार (शाहजहांपुर)
					ग्राम सेवक	७५–१२० (१८-४-६४)	
११	सरयू नारायणसिंह	स्था० स० वि० अ० (कृषि)	१२०–२५०	बर्डपुर (बस्ती)	स० वि० अ० (कृषि)	१२०–२५०	बस्ती
१२	राम शंकर त्रिवेदी	स्था० वि० अ० ..		खीरी	..	..	प्रशिक्षण काल में ही स्कूटर दुर्घटना से मृत्यु हो गई ।

		उच्च प्रशिक्षण में जाने से पूर्व जिस पद पर कार्य कर रहे थे उक्त पद, वेतनक्रम तथा विकास क्षेत्र तथा जिले का नाम			प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्त किये गये पद, वेतन क्रम, तथा विकास क्षेत्र एवं जिले का नाम		
क्रमांक	नाम ग्राम सेवक	पद	प्रशिक्षण के पूर्व नियुक्ति पद का वेतन-क्रम	वि० क्षे० एवं जिले का नाम	पद	प्रशिक्षण के पश्चापत् नियुक्ति पद का वेतन-क्रम	वि० क्षे० एवं जिले का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अजीतसिंह ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	बुलन्दशहर (बुलन्दशहर)	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	बुलन्दशहर (बुलन्दशहर)
२	सुख देव सिंह ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	जानसठ (मुजफ्फरनगर)	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	जानसठ (मुजफ्फरनगर)
३	सोरनसिंह ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	नजीवाबाद (बिजनौर)	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	कोतवाली (बिजनौर)
४	केदार नाथ द्विवेदी ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	कप्तानगंज (बस्ती) ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	कप्तानगंज (बस्ती)
५	रघुवीरसिंह ..	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	फरह (मथुरा)	ग्राम सेवक ..	७५–१२०	फरह (मथुरा)
६	श्री प्रकाश शुक्ला ..	स्था० सं० वि० अ० कृषि	१२०–२५०	खजुआ (फतेहपुर)	ग्राम सेवक स० वि० अ० ..	७५–१२० १२०–२५० (१-९-६४से)	खजुआ (फतेहपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	महेशचन्द्र उपाध्याय	ग्राम सेवक	..	७५–१२०	शिकोहाबाद (मैनपुरी)	ग्राम सेवक	.. ७५–१२०	खैरगढ़ (मैनपुरी)
८	भोलादत्त शर्मा ..	ग्राम सेवक	..	७५–१२०	धारचूला .. (पिथौरागढ़)	ग्राम सेवक	.. ७५–१२०	धारचूला (पिथौरागढ़)
९	बुद्ध सेन सिंह ..	ग्राम सेवक	..	७५–१२०	रेवतीपुर (गाजीपुर)	ग्राम सेवक	.. ७५–१२०	रेवतीपुर (गाजीपुर)
१०	नियाज अली ..	ग्राम सेवक	..	७५–१२०	शाहगंज (जौनपुर)	ग्राम सेवक स० वि० अ० (कृषि)	.. ७५–१२० १२०–२५० (२९-१-६४)	शाहगंज (जौनपुर) (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

तालिका १

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	मेस सोसल वर्कर का नाम	लेडी सोसल वर्कर का नाम	कार्य का दिनांक	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१	मदनपुर ..	श्री के० एन० गंगवार ..	..	२१-४-६२ से ३०-१०-६४	..
२	एका	श्री उदय भान सिंह ..	..	१५-१-६५ से ..	..
		श्री नवाबसिंह चौहान ..	..	८-१२-६२ से	..
३	जसराना ..	श्री के० के० निगम ..	..	१५-१-६२ ..	स्थानान्तरण ६ सितम्बर, १९६४ से
		श्री राम दयाल सिंह ..	..	१४-११-६४ से ..	..
			श्रीमती ओम हरीदेवी ..	२४-९-६४ से ..	..
४	खैरगढ़ ..	श्री के० के० नारायण ..	..	१४-१-६३ से	..
५	बरनाहल ..	श्री ओ० पी० तिवारी ..	..	१३-३-६४ से	
६	सुल्तानगंज ..	श्री शिशुपाल सिंह राठौर ..	..	२-२-६२ से १५-८-६४ तक	
		श्री दिनेशचन्द्र कठियार	..	२६-८-६४ से	
			श्रीमती सावित्री देवी, पार्ट टाइम	१५-६-६४ से २५-८-६४ तक	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	करहल	श्री उदयभान सिंह		१८-१-६३ से १२-१-६४ तक	स्थानान्तरण मदनपुर सेन्टर को ।
			श्रीमती शशी प्रभा	२-६-६४ से ३१-१२-६४ तक	स्थानान्तरण जिला हरदोई को ।
८	किशनी	श्री साहबदीन		१-६-६३ से	
			श्रीमती मालती टंडन	२९-५-६४ से	
९	घिरौर	श्री ओम प्रकाश सक्सेना		१-१२-६४ से	स्थानान्तरण मैनपुरी ।
		श्री राम औतार		४-५-६४ से	
			श्रीमती सरला देवी	१०-६-६४ से	स्थानान्तरण कुरावली । सेन्टर ।
१०	कुराबली	श्री दिनेशचन्द्र कटियार		३०-६-६२ से	स्थानान्तरण सुल्तानगंज ।
		श्री बाबू लाल अग्रवाल		१६-१०-६४ से	
			श्रीमती भगवतीदेवी सक्सेना	२८-३-६४ से	त्यागपत्र दे दिया ।
११	शिकोहाबाद	श्री शिशुपाल सिंह		१९-८-६४-से	सुल्तानगंज से तबादला होकर आये ।
			श्रीमती सुशीला देवी चौहान	८-८-६४ से	
१२	मैंनपुरी (करीमगंज)	श्री ओम प्रकाश		१२-१२-६३ से	घिरोर से तबादला होकर आये ।
			श्रीमती ओम हरी	२-९-६३ से	स्थानान्तरण जसराना को ।
			श्रीमती सावित्री देवी	२६-९-६४ से	सुल्तानगंज से आई हैं ।
१३	एलाऊ	श्री पी० पी० सक्सेना		२५-८-६४ से	
१४	अरांव	श्री के० ए० गंगवार		१-११-६४ से	मदनपुर से स्थानान्तरण होकर आये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

तालिका २

क्रम-संख्या	सोशल वर्कर का नाम	राजकीय भवन में रहने की, तिथि	दिए गए किराए की दर	किराया लेने की विधि	लिया गया किराया	शेष लिया जाने वाला किराया	विशेष विवरण
१	श्री शिशुपाल सिंह राठौर ..	२-२-६२ से १५-८-६४	१० फीसदी में से	वेतन बिल में से काटा जाता है।	३९९.४२	..	..
२	श्री नवाबसिंह चौहान ..	२५-३-६३	,,	,,	२७३.६८	..	..
३	श्री के० एन० गंगवार ..	२१-४-६२ से अक्तूबर, ६४ तक।	,,	,,	३९४.४९	..	..
४	श्री दिनेश चन्द्र कटियार ..	७-६-६३	,,	२१-८-६४ से वेतन बिल द्वारा	१६४.९२	३६	दिनांक ७-३-६३ से २०-८-६४ तक १२ फीसदी प्र० मा०
५	श्रीमती भगवती देवी ..	२१-८-६४ से २८-११-६४	,,	चालान द्वारा जमा किया।	२७.७२	..	..
६	श्रीमती सरलादेवी प्रधान ..	१९-१२-६४	,,	,,	..	..	अगले माह में प्राप्त किया जायगा
७	श्री रामदयाल सिंह ..	दिसम्बर, ६४	,,	,,	..	..	..
८	श्रीमती ओमहरी देवी गुप्ता	दिसम्बर, ६४	,,	,,	..	..	..

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

तालिका ३

प्रश्न:—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुरुष तथा महिला सोशल वर्कर ने अब तक कितने केस कार्ड भरे और कितने आपरेशन कराए ?

क्रम-संख्या	केन्द्र का नाम	केस कार्ड खुलने की संख्या ३१-१२-६४ तक		आपरेशन कराने की संख्या १-४-६४ से ३१-१२-६४		केन्द्र खुलने के समय से अब तक (२१-१२-१९६४)
		मेल सोशल वर्कर	लेडी सोशल वर्कर	मेल शोशल वर्कर	लेडी सोशल वर्कर	
१	मदनपुर	५०१	..	१९	..	४४
२	सुल्तानगंज	५५१	८३	१२	..	१०
३	कुरावली	३५९	२१८	१०	..	३२
४	जसराना	३५१	११७	३	..	१०
५	एका	३१७	..	१५	.	१७
६	घिरौर	१६१	९७	१	..	७
७	किशनी	२२६	१३३	९	..	२०
८	करहल	५८५	१४१	१३	..	१२
९	खैरगढ़	२२४	..	..	..	१
१०	बरनाहल	१७७	..	४	..	४
११	मैनपुरी (रूरल)	२४३	२६३	९	..	११
१२	शिकोहाबाद	१२०	११९	२३	..	२२
१३	एलाऊ	६५	..	१	..	१
१४	अराव	नया खुला है				

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ २४८ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ का संशोधन करने के लिए

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९६२

विधेयक

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ का संशोधन करने के लिए १४ दिसम्बर, १९६४ को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ प्रख्यापित किया गया था, और यह इष्टकर और आवश्यक है कि अध्यादेश को विधान मण्डल अधिनियमिति द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९६२

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलाएगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९६२ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिए जायें।

धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "आयुक्तों" रख दिया जाय;

(२) उपधारा (२) में शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय,

(३) उपधारा (४) के प्रारम्भ में आए हुए शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय, और

(४) उपधारा (५) के प्रारम्भ में आए हुए शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "प्रत्येक" बढ़ा दिया जाय।

धारा ५ का संशोधन

केवल हिन्दू ही आयुक्त होंगे

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"५—प्रत्येक आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जो हिन्दू धर्म के अनुयायी हों।"

धारा ६ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय।

धारा ७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए पूर्वानुमोदन आवश्यक

"७—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का हस्तान्तरण तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उक्त संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त की अथवा, यदि हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपए से अधिक न हो तो सहायक आयुक्त की, लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त कर ली गई हो कि हस्तान्तरण आवश्यक अथवा संस्था के लिए लाभदायक है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "हस्तान्तरण" के अन्तर्गत किसी चल सम्पत्ति का, जैसे भोग, प्रसाद तथा इसी प्रकार की किसी वस्तु का रूढ़िगत उपयोग या वितरण सम्मिलित नहीं है।

(२) किसी आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर संस्था का मुख्यालय अथवा सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो और अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।"

धारा १५ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) धारा ७ के अधीन प्रस्तावित सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९६४ का निरसन

८—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध लागू होंगे मानो यह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त तथा पुनरधिनियमित कोई अधिनियमित हो।

उद्देश्य और कारण

राज्य में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के समुचित प्रबन्ध तथा नियन्त्रण के लिए विधायन बनाने के प्रश्न पर सरकार गत कुछ वर्षों से विचार कर रही है उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५ विधान सभा में १९ अगस्त, १९५५ को पुरःस्थापित किया गया था, परन्तु बाद में वह व्यपगत हो गया। उक्त विधेयक को शीघ्र ही फिर से पुरःस्थापित करने का विचार था, किन्तु अब तक ऐसा नहीं किया जा सका और इसमें अभी कुछ समय लगने की सम्भावना है। फिर भी, अन्तरिम उपाय के रूप में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम १४ दिसम्बर, १९६४ को, अर्थात् प्रचलित होने से दो वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता। चूंकि हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के समुचित प्रबन्ध के निमित्त एक व्यापक विधान बनाना अब तक सम्भव नहीं हो सका है और उक्त समय विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिए यह आवश्यक समझा गया था कि अध्यादेश द्वारा उक्त अधिनियम की अवधि दो वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाय। अधिनियम में कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाया गया। तदनुसार, १४ दिसम्बर, १९६४ को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ जारी किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ द्वारा प्रतिस्थापित करना है जिसे पुरःस्थापित किया जाता है।

डा० सीता राम,
समाज कल्याण मन्त्री।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की संशोधित की जाने वाली धाराओं के उद्धरण।

१—(३) इसके प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष समाप्त होने पर यह प्रभावी न रहेगा, सिवाय ऐसी बातों के सम्बन्ध में जिन पर उक्त समाप्ति के पूर्व कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो और यूनाइटेड प्रांविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ इस अधिनियम की समाप्ति पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी मानो यह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

४—(१) (क) आयुक्त—

(२) राज्य सरकार आयुक्त को अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है।

(४) आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझे जायेंगे तथा होंगे।

(५) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर १९०८ के अधीन किसी व्यवहार न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात् :

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथपूर्वक या प्रतिज्ञान सहित उसका बयान लेना तथा स्थानीय निरीक्षण करना,

(ख) लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना,

(ग) साक्षियों का बयान लेने, लेखा की परीक्षा करने तथा स्थानीय अनुसंधान करने के लिए कमीशन जारी करना।

५—आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो।

६—(१) जब राज्य सरकार को या आयुक्त को यह आशंका हो कि उसके अधिक्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की, जिसकी सकल वार्षिक आय उसे १,२०० रुपए या उससे अधिक जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपए या उससे अधिक प्रतीत हों, सम्पत्ति के अपव्यय किए जाने की सम्भावना है, तो वह अनुसंधान अधिकारी को उक्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था का, यहां की गई व्यवस्था के अनुसार, सर्वेक्षण का निदेश दे सकता है।

७—(१) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का हस्तान्तरण वैध नहीं होगा जब तक कि उक्त संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर न प्राप्त कर ली गई जो कि हस्तान्तरण आवश्यक अथवा संस्था के लिए लाभदायक है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "हस्तान्तरण" में किसी चल सम्पत्ति का, जैसे भोग, प्रसाद तथा इसी प्रकार की किसी वस्तु का, रूढ़िगत उपयोग या वितरण सम्मिलित नहीं है।

(२) आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आदेश के तारीख से तीस दिन के अन्दर अपील उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसके अधिक्षेत्र के भीतर संस्था का मुख्यालय अथवा सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो, और अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

१५—२ (२) धारा ७ के अधीन प्रस्तावित सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए स्वीकृति देने या ऐसी स्वीकृति देने से इनकार करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०१ एल० ए०—१९६५—८६०।